CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. III, First Session, 2019/1941 (Saka)

No. 30, Friday, July 26, 2019/Shravana 4, 1941 (Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	
Anniversary of Kargil Vijay Diwas	12-13
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 481 to 485, 491 to 492 and 498	14-55
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 486 to 490, 493 to 497, 499 and 500	56-98
Unstarred Question Nos. 5482 to 5514, **5516 to 5711	99-663

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

** USQ No.5515 was deleted due to passing away of Shri Ram Chandra Paswan a sitting Member of Lok Sabha.

PAPERS LAID ON THE TABLE 665-691

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA 692

(i) **STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 72 DATED 21.06.2019 REGARDING “PLACEMENT OF NIFT STUDENT” ALONGWITH REASONS FOR DELAY**

Shrimati Smriti Zubin Irani 693-693(B)

(ii) **STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1196 DATED 28.06.2019 REGARDING “MoU ON CANCER RESEARCH INITIATIVE” ALONGWITH REASONS FOR DELAY**

Shri Ashwini Kumar Choubey 693(C)-693(H)

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Defence on 'Proxy and Postal voting by Defence Services Personnel in General Elections - an Evaluation' pertaining to the Ministry of Defence

Shri Shripad Yesso Naik 693(J)

BUSINESS OF THE HOUSE 694-696

ELECTION TO THE COMMITTEE

Central Advisory Committee for the National Cadet Corps 697

SUBMISSION BY THE MEMBERS

Re: Derogatory Remarks made Against Woman Chairperson by a Member 698-711

STATUTORY RSOLUTION RE: DISAPPROVAL OF COMPANIES (AMENDMENT) SECOND ORDINANCE, 2019

AND

COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2019 712-759

Motion to Consider 712-715

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 712, 717-720

Shrimati Nirmala Sitharaman 712-715

Shri P.P. Chaudhary 721-725

Shri A. Raja 726-728

Prof. Sougata Ray 729-730

Shrimati Vanga Geetha Viswanath 731-732

Shri Pinaki Misra 733-735

Shrimati Supriya Sadanand Sule 736-738

Shri Manoj Kotak 739-740

Shri Jayadev Galla 741-742

Dr. Shrikant Eknath Shinde 743-745

Shri Ritesh Pandey 746

	Shri Saptagiri Sankar Ulaka	747-748
	Resolution- Withdrawn	758
	Clauses 2 to 44 and 1	759
	Motion to Pass	759
PRIVATE MEMBERS' BILLS –Introduced		760-781
(i)	The Good Samaritan Bill, 2019 By Shri Hibi Eden	760
(ii)	The Companies (Amendment) Bill, 2019 *(Amendment of section 135, etc.)* By Shri Hibi Eden	760
(iii)	The Protection of Medical and Health Service Professionals from Assault, Criminal Force and Intimidation Bill 2019 By Shri Gautam Gambhir	761
(iv)	The Milk and Milk Products (Remunerative Support Price) Bill, 2019 By Shri Devaji Patel	761
(v)	The Fodder Warehouse Board Bill, 2019 By Shri Devaji Patel	761-762
(vi)	The Indigenous Cow Protection Board Bill, 2019 By Shri Devaji Patel	762
(vii)	The Mandatory Buyback and Recycling of Packaging Material Bill, 2019 By Shri Vishnu Dayal Ram	762-763

(viii) The Special Financial Assistance to the State of Rajasthan Bill, 2019
By Dr. Manoj Rajoria 763

(ix) The Extension of Central Government Health Scheme to Every District Headquarter Bill, 2019
By Dr. Manoj Rajoria 764

(x) The Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2019 *(Substitution of new section for section 3)*
By Shri Pravesh Sahib Singh Verma 764

(xi) The Constitution (Amendment) Bill, 2019 (Amendment of the Preamble, etc.)
By Shri Bhartruhari Mahtab 765

(xii) The Use of Mobile Electronic Devices by Pedestrians on Road (Regulation) Bill, 2019
By Shri Bhartruhari Mahtab 765

(xiii) The Euthanasia (Regulation) Bill, 2019
By Shri Bhartruhari Mahtab 765-766

(xiv) The Insecticides (Amendment) Bill, 2019
(Amendment of section 4, etc.)
By Dr. Manoj Rajoria 766

(xv) The Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 2019
(Amendment of section 11, etc.)
By Dr. Manoj Rajoria 766

(xvi) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2019
(Amendment of section 56, etc.)
By Shri Bhanu Pratap Singh Verma 767

(xvii) The Compulsory Teaching of Legal Education in Educational Institutions Bill, 2019

By Shri Sudheer Gupta 767

(xviii) The Prohibition of Defecation in Open Places Bill, 2019

By Shri Naranbhai Kachhadiya 767-768

(xix) The Bureau of Accountability Bill, 2019

By Shri Naranbhai Kachhadiya 768

(xx) The Compulsory Teaching of Disaster Management Education in Educational Institutions Bill, 2019

By Shri Naranbhai Kachhadiya 768-769

(xxi) The Compulsory Teaching of Psychology in Educational Institutions Bill, 2019

By Shri Naranbhai Kachhadiya 769

(xxii) The Special Financial Assistance to the State of Bihar Bill, 2019

By Dr. Alok Kumar Suman 769-770

(xxiii) The Representation of the People (Amendment) Bill, 2019

(Amendment of section 30)

By Shri Rahul Ramesh Shewale 770

(xxiv) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2019

(Amendment of section 2)

By Shri Rahul Ramesh Shewale 770-771

(xxv) The Nationalisation of Inter-State Rivers Bill, 2019

By Shri K. Navaskani 771

(xxvi)	The National Agriculture and Farmers Commission Bill, 2019 By Shri K. Navaskani	771-772
(xxvii)	The Death Penalty (Abolition) Bill, 2019 By Shrimati Kanimozhi	772
(xxviii)	The Criminal Law (Amendment) Bill, 2019 *(Amendment of section 228A, etc.)* By Shrimati Kanimozhi	772
(xxix)	The Central Himalayan States Development Council Bill, 2019 By Shri Tirath Singh Rawat	773
(xxx)	The Compulsory Teaching of Yoga in Educational Institutions Bill, 2019 By Shri Tirath Singh Rawat	773
(xxxi)	The Special Infrastructure Development in Economically Backward Regions Bill, 2019 By Shrimati Rama Devi	774
(xxxii)	The Prevention of Bribery in Private Sector Bill, 2019 By Shrimati Rama Devi	774-775
(xxxiii)	The Provision of Uninterrupted Power Supply to Industries in Backward Areas Bill, 2019 By Shrimati Rama Devi	775
(xxxiv)	The Fake News (Prohibition) Bill, 2019 By Shrimati Rama Devi	775
(xxxv)	The Ban on Single-Use Plastic Bill, 2019 By Dr. Shrikant Eknath Shinde	776

(xxxvi) The Prevention of Violence Against Doctors, Medical Professionals and Medical Institutions Bill, 2019
By Dr. Shrikant Eknath Shinde 776

(xxxvii) The Constitution (Amendment) Bill, 2019
(Insertion of new article 47A)
By Dr. Shrikant Eknath Shinde 777

(xxxviii) The Free and Compulsory Pre-Marital Genetic Testing Bill, 2019
By Dr. Shrikant Eknath Shinde 777

(xxxix) The Integrated Child Development Services (Regularisation) Bill, 2019
By Shri Vishnu Dayal Ram 778

(xl) The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019 (Insertion of new section 207A)
By Shri Vishnu Dayal Ram 778

(xli) The Constitution (Amendment) Bill, 2019
(Amendment of the Seventh Schedule)
By Shri Vinod Kumar Sonkar 779

(xlii) The Fishermen (Welfare) Bill, 2019
By Shri H Vasanthakumar 779

(xliii) The Free and Compulsory Primary, Secondary, Higher and Technical Education Bill, 2019
By Shri H Vasanthakumar 780

(xliv) The Personal Data and Information Privacy Code Bill, 2019
By Dr. D. Ravikumar 780-781

COMPULSORY VOTING BILL, 2019 782-811

Shri Jagdambika Pal 782-787

Shri Rajiv Pratap Rudy 788-795

Shri Nihal Chand Chouhan 796-799

Shri Bhartruhari Mahtab 800-806

Shri Rajendra Agarwal 807-809

Shri Dushyant Singh 810-811

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 822

Member-wise Index to Unstarred Questions 823-827

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 828

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 829

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr.(Prof.)Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakashi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, July 26, 2019/ Shravana 4, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[Hon. Speaker *in the Chair*]

REFERENCE BY THE SPEAKER
Anniversary of Kargil Vijay Diwas

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि आज के दिन भारत ने वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध जीता था। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे वीर जवानों ने जिस शौर्य और बहादुरी से पड़ोसी देश से आए सैनिकों और घुसपैठियों को भगा कर अपनी विजय पताका फहराई है, उसके लिए मैं उन सभी बहादुर एवं वीर सैनिकों के प्रति सभा की ओर से वन्दना करता हूँ। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को समाप्त हुआ। आज का दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों की बहादुरी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मैं इस विजय दिवस पर सभा की ओर से देशवासियों को बधाई देता हूँ तथा देश पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अपने सैनिकों की वीरता एवं बहादुरी पर उनको श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, कारगिल दिवस को 20 साल पार हो चुके हैं। हमारे वीर बहादुरों ने इस देश की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा की। उन्होंने अपनी जान न्यौछावर करने में भी कोई दिक्कत नहीं समझी। पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन 'बद्र' चालू हुआ था, हमारी तरफ से ऑपरेशन 'विजय' चालू हुआ था और ऑपरेशन 'विजय' की जीत हुई थी। सर, दो लाख से ज्यादा हमारी फौजों को तैनात किया गया था। उस समय हिन्दुस्तान में घर-घर में द्रास, कारगिल, बटालिक और सियाचिन के बारे में चर्चा होती थी। सर, हम अपनी पार्टी की तरफ से यह चाहते हैं कि इस दिवस को स्मरण करते हुए, हम सदन में एक चर्चा का क्यों न इंतजाम करें। मैं चाहता हूँ कि इस विषय को लेकर, क्योंकि 7 तारीख तक सदन चलेगा, समय का कोई अभाव नहीं है, इस विषय को लेकर आप एक चर्चा का इंतजाम करें। यह हमारी रिक्वेस्ट है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय रक्षा मंत्री जी, आप श्रद्धा-सुमन अर्पित कर दीजिए।

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज सारे देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में रहने वाले भी जो भारतीय नागरिक हैं, वे 26 जुलाई को एक कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस बार भारत के अंदर, चूंकि 20 वर्ष कारगिल की विजय हासिल किए हुए हम लोगों के पूरे हो रहे हैं, इसलिए सारे देशभर में कारगिल विजय को लेकर जगह-जगह पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे देश के जवानों ने अपने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शहादत दी है, यह देश कभी भी उन्हें भूल नहीं सकता है। सदैव ही याद रखेंगे। वैसे पाकिस्तान का जहाँ तक प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई 1965 में भी हुई, 1971 में भी हुई, 1999 में भी हुई। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश के बहादुर जवानों ने जो करिश्माई काम इन युद्धों के दौरान किया है, उस आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब हमारा पड़ोसी पाकिस्तान न तो भारत के साथ फुल-फ्लैज्ड वार लड़ सकता है, न भारत के साथ लिमिटेड वार लड़ सकता है। यदि वह लड़ता है तो केवल प्रॉक्सी वार लड़ता है, छद्म युद्ध भारत के साथ लड़ता है। हम सभी देशवासियों को अपने देश की सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर पूरा यकीन है। चूँकि आज कारगिल विजय दिवस है तो मैं उन सारे जवानों को, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए इस भारत को विजय दिलाई है, उनकी स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Mr. Speaker, Sir, I have given a notice of Adjournment. …(*Interruptions*) Sir, it is a very important issue. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग अभी बैठ जाइए। मैं प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दूँगा।

…(व्यवधान)

11.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 481, श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

(Q. 481)

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE : Mr. Speaker, Sir, I would like to ask the Minister whether the Government is taking any steps to protect the shrinking mangrove swamp and the steps taken to protect the declining numbers of the mammals which are dependent on the swamp and if so, the details there of.

SHRI BABUL SUPRIYO: Sir, first of all, I would really like to thank my colleague Shrimati Locket Chatterjee from West Bengal for bringing up a very important issue as a question in this House. पहले मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि The area, where the mangroves are, has not really gone down in the last three years. पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि 1960 में इंडियन मैंग्रोव कवर जो था, it was about 6,000 sq. km. वर्ष 1987 तक इसके बारे में कोई रेग्युलेशन या कोई नियम नहीं था कि कैसे इसको और इनहेंस किया जाए। उसकी वजह से Due to destruction and regeneration वर्ष 1987 तक यह 6 हजार वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है, वह कम होकर 4,056 वर्ग किलोमीटर हो गया। However, the Government of India started the Mangrove Conservation Programme from 1987, इसके तहत धीरे-धीरे मैंग्रोव स्टैबलाइजेशन बढ़ता रहा। वर्ष 1995 में इसका एरिया 4,500 वर्ग किलोमीटर हुआ और आपको यह जानकर खुशी होगी कि वर्ष 2007 तक यह एरिया 4,921 वर्ग किलोमीटर यानी कि ऑलमोस्ट 5 हजार वर्ग किलोमीटर तक पहुँचा है। पहले तो मैं आपको इस बारे में आश्वस्त करता हूँ कि इसका एरिया कम नहीं हो रहा है। सरकार इसके बारे में बहुत गंभीर है।

दूसरी बात यह है कि मैंग्रोव का जो रीहैबिलिटेशन है या मैंग्रोव के एरिया का कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में प्रमोशनल मेजर्स के तहत they are being implemented through Central sector schemes called Conservation and Management of Mangroves and Coral Reefs under the National Coastal Mission Programme.

यहाँ पर आपने सुन्दरवन स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, तो पिछले 3 साल में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को 6.36 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसके बारे में काम कर रही है। वेस्ट बंगाल सरकार कुछ स्टेट फंडिड स्कीम्स भी चला रही है। रेग्युलेटरी मेजर्स भी लागू हो रहे हैं। सेन्ट्रल के कोस्टल रेग्युलेशन जोन नोटिफिकेशन यानी कि (CRZ) नोटिफिकेशन, जो वर्ष 2011 के हैं और उनको और भी इनहेंस करके वर्ष 2019 में भी लाया गया है। इसके अलावा Environment Protection Act, Wildlife Protection Act, Biological Diversity Act, ये सारे एक्ट समय-समय पर रिव्यू किए जाते हैं, अमेंड किए जाते हैं ताकि ये मैंग्रोव, उस पूरे इलाके का, कोस्टल जोन का हेल्थ, स्वाइल इरोजन से लेकर हर चीज हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हम कंट्रोल में रख सकें। धन्यवाद।

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE : Sir, my second supplementary is, whether the Government is taking any steps to conserve the Royal Bengal Tigers of the Sunderbans and the steps taken to increase their number in the future; if so, the details thereof.

श्री बाबुल सुप्रियो : जैसे मैंने मैंग्रोव के बारे में बताया है, पहले तो मैं आपको खुशखबरी दे दूँ कि टाइगर पॉपुलेशन बढ़ रही है। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में हाल ही में एक समझौता भी हुआ है। मैं आपको बता दूँ कि यह सुन्दरवन जो है, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच में 3/5 और 2/5 के हिसाब से बँटा हुआ है, three-fifth is in Bangladesh and two-fifth is in Bengal. जो हमने वर्ष 2010 में गिनती की है, उसके हिसाब से नम्बर ऑफ टाइगर्स 70 थे और वर्ष 2014 में

उनकी संख्या बढ़कर 76 हो गई है। टोटल मिनिमम 182 टाइगर्स बांग्लादेश और इंडिया को मिलाकर हैं। यह नम्बर वन चीज का उत्तर है।

दूसरा, सुन्दरवन जो है, this area has been declared as a Tiger Reserve for the purpose of conserving wildlife. So, conservation of flora and fauna of the Sunderbans is also implemented through a legally mandated Tiger Conservation Plan, जिसमें इंटर आलिया प्रेस्क्रिप्शंस हैं, जैसा मैंने पहले वाले सवाल में कहा कि mangrove areas, anti-poaching, habitat management, monitoring and staff deployment, ये सारी चीजें इसके मद्देनजर की जा रही हैं। मैं आपको यह भी बता दूँ कि हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जो 4 स्कीम्स हैं, वहाँ पर टाइगर कंजर्वेशन प्लान के लिए स्पेसिफिकली पिछले 3 साल में 11.82 करोड़ रुपये दिए गए हैं। टाइगर हमारे एक लिए एक बहुत ही सुन्दर और in real sense of the term रॉयल जानवर है।

उसे किस तरीके से कन्ज़र्व किया जाए, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उसके साथ 'बंगाल' जुड़ा हुआ है। हमारे तृणमूल काँग्रेस पार्टी के साथी भी शायद यह मानेंगे कि हम इसके बारे में बहुत कुछ कर रहे हैं।

DR. THAMIZHACHI THANGAPANDIAN : Hon. Speaker, Sir, thank you for having permitted me to ask this supplementary question. Today is World Preservation Day for Marshlands. So, I would like to raise a very important issue pertaining to my constituency regarding World Preservation Day for Marshlands. I have a freshwater marshland in Pallikaranai in my South Chennai constituency which is a very precious environmental zone in the entire South India. It has been much tampered by the dumping of Corporation's wastes, as a result of which the water fillings in that place have not been inundated for years. Even the High Court has brought it to the notice of the

authorities of the State Government to take proper action. We have given a number of petitions to the State Government. A lot of fund has been allotted but nothing concrete has been done. I have raised this issue under Rule 377 also yesterday. I would like to request the Minister concerned to take note of this and do the needful to save the freshwater marshland in my constituency.

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, मैडम ने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इन्हें बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एण्ड क्लाइमेट चेंज इसके बारे में लगातार चर्चा कर रहा है, लेकिन आपका जो क्वैश्चन है, वह स्पेसिफिकली आपकी कंस्टीट्युन्सी में जो मार्श लैंड है, उसके संदर्भ में है। जैसे आपने कल भी नियम-377 के तहत इस मैटर को दिया है और आज भी आप यह सवाल कर रही हैं, I will be more than happy कि इसके बारे में एक डिटेल्ड जानकारी आपको दूं।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Hon. Speaker, Sir, it is one of the disputed issues. The Sundarbans is one of the famous jungle areas in the entire country, if not in the entire world. The Sundarbans has its own special tiger, known as Royal Bengal Tiger, longest in length and very healthy. If one is lucky, one can get a chance to watch the big cat.

What is happening in the southern part of Africa? There are lion safaris; lions are kept over there; there is a programme ‘Walk with the Lions’, where people walk with the lions. Lions are kept preserved. Why can a tiger safari not be set up in the Sundarbans to attract the tourists of the entire world by which India can earn foreign exchange on one side and on the other side, it can add one more enthusiastic area in the world.

श्री बाबुल सुप्रियो: सर, सुदीप दा एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल हमारे सामने लाए हैं। यह बिल्कुल सही है कि जब हम शेर और टाइगर्स से मिलना चाहते हैं तो हमें अफ्रीका के जंगलों में जाना पड़ता है। आप सारे अपने-अपने क्षेत्रों में रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं। आप जब जंगलों में जाएं या सुन्दरबन में जाएं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से कभी-कभी टाइगर भी आकर आपसे मिल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम आपको यह बताना चाहते हैं कि I completely agree with you that this should be done in coordination between the State and the Centre. मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसका पूरा प्रपोजल लेकर हमारे मंत्रालय में आएंगे तो हम मिलकर इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे और एक अच्छा सफारी होगा। सुन्दरबन पूरी दुनिया में जाना जाता है और मैं फिर यह कहूंगा कि इसके साथ 'बंगाल' शब्द जुड़ा हुआ है। I think we can definitely work something out to make everyone in the House happy and they can go to Bengal and enjoy the safari.

श्रीमती जसकौर मीना : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि राजस्थान के रणथम्भौर और अलवर के टाइगर प्रोजेक्ट्स पूरे देश में ही नहीं बल्कि संसार में माने हुए हैं।

वहां कई बार टाइगरों ने आसपास के किसानों का शिकार भी किया है। ऐसी परिस्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या वन्य जीव संरक्षण के साथ-साथ उनके समीप गांवों के किसानों की फसल सुरक्षा या उनकी सुरक्षा का भी कोई इंतजाम होगा? यह मेरा प्रश्न है, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र के थानागाजी में अभी हाल में एक टाइगर ने किसान के खेत में ही उसकी हत्या कर दी है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या इसके लिए सुरक्षा का कोई प्रबंध किया जा रहा है?

श्री बाबुल सुप्रियो: मैडम, यह बहुत ही गंभीर विषय है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से हमारे देश में जो फॉरेस्ट कवर है, उसका अनसाइंटिफिक और बहुत ही क्रुअल तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एक तरफ हमारे टाइगर्स का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन उनके रहने के लिए जो जगह है, वह कम हो रही है। इससे जो ह्यूमन-एनिमल कंफ्लिक्ट है, वह बढ़ता है। जब

ह्यूमन-एनिमल कंफ्लिक्ट बढ़ता है, तो कई जगह ऐसा होता है कि ह्यूमन और एनिमल कंफ्लिक्ट में कभी टाइगर मारा जाता है, कभी ह्यूमन बिइंग्स की जान चली जाती है।

अगर आप कभी मेरे ऑफिस में आएंगे, तो मैं आपको दिखाउंगा कि इस संदर्भ में हमने कितना अच्छा काम किया है। मैं आपको यह भी एक खुशखबरी दूंगा कि our country is only one of the eight countries in the world where forest cover has been increased by one per cent. ह्यूमन-एनिमल कंफ्लिक्ट को कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं …(व्यवधान) अगर आप टेबल बजा ही रहे हैं, तो थोड़े अच्छे से बजा दीजिए, क्योंकि हमने इसके बारे में काफी अच्छा काम किया है।…(व्यवधान) आप हाफ हार्ट से नहीं, बल्कि फुल हार्ट से बजाइए। मैं समझता हूं कि यह अच्छा क्वेश्चन है। इस संदर्भ में मैं आपको और भी ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Thank You, Sir.

Though this Question was relating to mangroves in Sunderbans, the supplementary questions have enlarged the scope to mangroves in different parts of the country. I would like to draw the attention of the Minister, through you, to the mangrove jungles in the Bhitarkanika area. This was one of the widest and largest mangroves. It is in the mouth of two big rivers, Mahanadi and Brahmani. Slowly, because of the incursions of human habitations, mangroves are being depleted despite all the laws that are there. A crocodile farm is also being operated there and there is human-animal conflict. I would like to understand what steps are being taken to protect the mangroves in that area from sea incursion so that the land could be protected and to expand the mangroves in the Bhitarkanika area.

श्री बाबुल सुप्रियो: जैसा मैंने आपको कहा है कि मैन्ग्रोव कंजर्वेशन के लिए पहले कोई स्कीम नहीं थी। ऐसा कोई प्रपोज्ड प्लान नहीं था। यह प्लान वर्ष 1987 से आया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि about five per cent of the world's mangrove vegetation is in India. हमारे देश में मैन्ग्रोव वेजिटेशन का जो फॉरेस्ट है, वह 70 परसेंट बंगाल और गुजरात में है, लेकिन Odisha is also a very important State. जहां पर मैन्ग्रोव का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ह्यूमन एन्क्रोच्मेन्ट हो रहा है, वहां इससे पर्यावरण की क्षति होती है और ग्रीनरी भी कम होती है। This Ministry is very seriously looking into it. आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले तीन साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओडिशा को 249.80 लाख रुपये मैन्ग्रोव प्रोडक्शन के लिए दिये हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ओडिशा का जो ईयर वाइज असेसमेंट ऑफ मैन्ग्रोव कवर आया है, वहां पर भी यह खुशखबरी है कि वर्ष 2015 में जहां 231 स्क्वायर किलोमीटर का मैन्ग्रोव एरिया था, वह अभी बढ़कर 243 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। हालांकि यह जो फिगर है, यह देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन आप समझिए कि 231 से बढ़कर 243 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है, यानी 12 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ा है। That is a lot of space. ओडिशा में इतना मैन्ग्रोव कवर बढ़ा है।

अभी आपने जो बात की है, वह बहुत ही सीरियस इश्यू है, इसलिए हम इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। मैं आपको एक छोटा-सा एग्जाम्प्ल दूंगा। जहां पर मैन्ग्रोव कटिंग होती है तथा डेवलपमेंट तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नेसेसरी होता है, वहां पर भी हमने ऐसा प्लान बनाया है कि अगर आप एक मैन्ग्रोव काटेंगे, तो उस स्टेट या उस इलाके की अथॉरिटी जो डिसाइड करेगी, उसी हिसाब से आपको मल्टीप्ल मैन्ग्रोव लगाना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि जहां पर बुलेट ट्रेन बन रही है, उस जगह पर हमें कुछ मैन्ग्रोव काटने की जरुरत पड़ रही है। अगर वहां पर एक मैन्ग्रोव कटेगा, तो उसके मल्टीप्ल मैन्ग्रोव का प्लांटेशन किया जाएगा। It is being looked into very seriously.

(Q. 482, 492, 498 and 491)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे – उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्य प्रश्न 482, 492 और 498 को क्लब किया जाता है।

प्रश्न 492, श्री दिलेश्वर कामैत।

श्री दिलेश्वर कामैत : महोदय, इस प्रश्न का कोई जवाब मुझे नहीं मिला। बिहार में स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उसके संबंध में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। जिस तरह मुजफ्फरपुर में बच्चों को बीमारी हुई है, उसे देखते हुए बिहार में कुछ ऐसे अस्पतालों की स्थापना की जाए, जिससे बिहार में बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। बिहार में मेडिकल कॉलेज तो है, लेकिन वहां एक एम्स की व्यवस्था की जाए। अगर एक एम्स सुपौल या दरभंगा में खोला जाए, तो स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा।

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो-तीन विषय रखे हैं। इसमें उन्होंने एम्स के बारे में कहा है। पटना में ऑलरेडी एक एम्स क्रिएटेड है, जो काफी वर्षों से काम कर रहा है। बिहार एक अकेला ऐसा प्रदेश है, जहां दूसरा एम्स भी प्रपोज्ड है। उसका जो उचित स्थान उपलब्ध कराना है, उसके बारे में उन्होंने जहां सजेस्ट किया है, वहां पर डिपार्टमेंट ने सर्वेज़ वगैरह कराए हैं। शायद उस स्थान को उतना उपयुक्त नहीं पाया गया, इसलिए इसके बारे में यह डिस्कशन स्टेज में है।

जहां तक मेडिकल फैसिलिटीज को क्रिएट करने की बात है, तो सरकार की ऑलरेडी एक स्कीम है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेज़ में परिवर्तित किया जाता है। इसमें पहले 58 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का प्रपोजल था, फिर उसके बाद 24 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का प्रपोजल था। इस योजना के अंतर्गत बिहार के अंदर कई स्थानों पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेजेज़ में परिवर्तित हो रहे हैं। मुझे यह कहना है कि 82 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पटिल्स के बाद सरकार की वर्ष 2022 तक 75 नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को देश भर में मेडिकल कॉलेजेज़ में

परिवर्तित करने की योजना है। इस बार इसमें क्राइटेरियाज प्रिफरेंस देने के लिए रखे गए हैं, उसमें 300 बेड्स से ऊपर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उसके साथ-साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर प्रिफरेंस है, जिसमें प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपनी विजनरी लीडरशिप के कारण पिछले पांच सालों में बहुत ऐतिहासिक काम किया है। जहां सब पैरामीटर्स पर ये डिस्ट्रिक्ट्स बहुत पीछे थे, लेकिन अब ये देश के बाकी जिलों के कंपैरिजन में करीब आ रहे हैं। ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो भी सांसद जुड़े हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है कि वे अपनी-अपनी जगह पर प्रोएक्टिवली उसके ऊपर वर्किंग करें। उनको लगता है कि वहां कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जिनके आसपास मेडिकल कॉलेजेज़ नहीं हैं। मेडिकल एजुकेशन को उन इलाकों में स्ट्रेंग्थेन करना है, तो वे अपनी स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से उनके प्रपोजल्स भारत सरकार को भेज सकते हैं। इसमें जो लोग पहले प्रपोजल्स भेजेंगे और अगर वे क्राइटेरियाज का पालन करेंगे, तो उनको निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जाएगी।

तीसरा विषय इन्होंने रेज़ किया कि मुजफ्फरपुर में हर साल एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण बच्चों की मृत्यु होती है। इस वर्ष भी सिग्निफिकेंट नंबर में बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुईं। मैं वहां पर वर्ष 2014 में गया था। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, उस समय भी जून में यह एपिडैमिक आया था। मैं इस बार भी वहां गया था। वहां पर उस समय हमने कुछ चीजें प्रॉमिस की थीं। हमने वहां पर एक सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल उसी कैंपस के अंदर बनाने की घोषणा की थी। अभी जब मैं वहां गया, तो देखा कि वह सुपर हॉस्पिटल लगभग बनकर तैयार हो गया है। नवम्बर-दिसम्बर के अंदर हम उसको डेडीकेट करेंगे। हमारी सरकार वहां के लोगों के लिए इसे शुरू करेगी।

इसके अलावा, 100 बेड्स की पीडिएट्रिक आईसीयू बनाने के लिए स्थान इत्यादि तय हो चुका है। हमारे डिपार्टमेंट ने वहां की सरकार के सभी अधिकारियों के साथ प्रोएक्टिवली मिलकर उसकी सारी योजना बनाई है।

वह एक साल के अंदर बन कर तैयार हो जाएगी। इसके साथ-साथ वहां पर कंटीन्युअसली एईएस काउज के रिसर्च, वायरोलॉजी लैब, इंटर-डिसिप्लनरी रिसर्च सेंटर इत्यादि सारी चीजें एडवान्सड स्टेज में हैं। बिहार के अंदर पटना मेडिकल कॉलेज में वॉयरोलॉजी की दो-तीन लैब स्थापित की जा सकती हैं।

जहां तक भारत सरकार का प्रश्न है, बिहार और सारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से जो भी पब्लिक हेल्थ के आइडियल स्टैंडर्डस हैं, उनके हिसाब से यदि कोई भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग के पास प्रपोज्लस नीचे के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में सुविधाओं को स्ट्रैन्थेन करने के लिए हमारे पास भेजते हैं तो हम नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर पूरी सहायता देते हैं।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, आप उन सेंटर्स में स्वयं विजिट करें। यदि विजिट करने के बाद आपको लगता है कि जो कुछ सुविधाएं कम हैं, उनके स्पेसिफिक प्रपोजल नेशनल हेल्थ मिशन भारत सरकार के पास अपने स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भिजवाएंगे और खुद एक्टिवली परसू करेंगे, उसके लिए प्रोग्राम्स इम्पिलिमेंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जिनके अंतर्गत उसे भेजने पड़ते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इसके लिए प्रो-एक्टिवली काम करेगा, उसकी जो भी डिमांड्स होगी, उसे पूरा करने के लिए भारत सरकार पूरा प्रयास करेगी।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण से आग्रह करूंगा कि वह शार्ट में क्वेश्चन पूछें और माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वह शार्ट में जवाब दें।

SHRI RAGHURAMA KRISHNA RAJU : I had gone through the hon. Minister’s reply. It is a small extract of what was there on the web and is nothing more than that. But still in my supplementary, I would like to cover my question.

In the year 2006, in the State of Andhra Pradesh, the then hon. Chief Minister, late Shri Y.S. Rajasekhara Reddy, had started the ‘Aarogyasri Scheme’. It covered the entire State. It was the most successful scheme with 100 per cent corporate hospital, in queue, to fall in line with the request of the hon. Chief Minister. Through the ambitious project of ‘Ayushman Bharat’ -- started by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji -- you want to cover almost 50 crore people. The reach to the private corporate hospitals is hardly 10 per cent. So, how is the Government going to make efforts to reach to the corporate hospitals, if not 100 per cent, but at least, by 90 per cent? Is there any proposal to do so? About 85 per cent of the hospital business is with the private sector. So, that is essential. I would like the hon. Minister to reply.

DR. HARSH VARDHAN: I would like to inform the hon. Member that it is not a paltry number. Over 16,000 hospitals are already empanelled in this scheme. Out of these 16,000 hospitals, around 8,000 hospitals are from the public sector and another 8,000 hospitals are from the private sector. About 1,383 packages for different types of diseases and procedures that have to be undertaken to help the patients, have been put in that list and the rates, etc., have been fixed for them. Till now, almost 32.5 lakh people have already availed this facility within the last eight months. I think this is probably one of the most ambitious and successful programmes of recent times, not only in India, but all over the world. It is totally IT-driven. Anybody out of those 10.8 crore people -- who are actually the basic first-list people and who could avail this facility -- can walk into any of these 16,000 hospitals anywhere in the

country. They have to just go to the reception and there is a specialised counter at these 16,000 hospitals. They have to just mention their names, Aadhar card numbers or mobile numbers and they will be provided with a card immediately and their treatment will start straightway. Already eight crore people have been given cards.

When the Scheme was launched, the Prime Minister was gracious enough to inform these 10 crore people about this. Now also, through all possible mechanisms of communicating, we are actively communicating with all these people. We are letting them know that this is a facility which is available to them. So I do not think there is any problem. Whatever problems we are encountering, we are trying to nip them in the bud itself. We are trying to investigate any complaint of any nature coming to us from any remotest corner. Our team at the central level is proactively, with all the IT tools available with them, working day-in-and-day-out to ensure that this Scheme really becomes the fastest health delivery system for the poorest of the poor of this country.

SHRI RAGHURAMA KRISHNA RAJU : Sir, with regard to eligibility criteria, the criteria which have been given will unnecessarily lead to corruption. It is because it says that no person should be between 16 years and 59 years. It also says that the income of any of the family members shall not exceed Rs.10,000 per month and no one should have a two-wheeler. Today, we are seeing that even our milk-boy and paper-boy are coming on two-wheelers for

delivery. So these kinds of restrictions would unnecessarily motivate the people to indulge in corruption.

The hon. Prime Minister's idea was to reach 10 crore families and not individuals, which would comprise almost 40 crore people. Whereas, the eligibility criteria in Andhra Pradesh is Rs.40,000 per month and it should be less than Rs.5 lakh per annum. So, Andhra Pradesh is covering 80 per cent of the population under the Scheme. Strictly going by the criteria given in the Ayushman Bharat Scheme, in Andhra Pradesh, no one would be eligible because there is no hut in the State of Andhra Pradesh. Every house has got slabs. No house is with thatched roof. Now the criteria say that everyone should have a kutcha roof. So those who are having kutcha roof, only they are eligible. The dream of the hon. Prime Minister is not this. He wants to reach 50 crore people. You have kept Rs.6,400 crore in a year in the Budget. Only three days back, we have given Rs.1,740 crore for our Scheme.

I would request the hon. Minister to keep criteria in a manner which would fulfil the dream of the hon. Prime Minister.

DR. HARSH VARDHAN: Let me read out the criteria for urban and rural areas which have not been fixed by me. This has been done according to the Census of 2011. It is not something which is discretionary that anybody can put anybody's name or anybody can get anybody's name included. So, let me, for the knowledge of all the Members, once inform that PMJAY is an entitlement-based Scheme with entitlement to be decided on the basis of

deprivation and occupational criteria in the SECC database and this is according to the Census of 2011.

The different categories in the rural areas include: automatically included households based on fulfilling any of the five parameters of inclusion like – households without shelter, destitute living on alms, manual scavenger families, primitive tribal groups, and legally released bonded-labour. So, it comes to about 15.95 lakh people. Then there is a criterion where the standard deprivation parameter is there. I will let you know the details of how many households are there -- only one room with kutcha walls and kutcha roof comes to 2.38 crore people; no adult member between age 16 years and 59 years in the family – 65.33 lakh people; female headed households with no adult male member between age 16 years to 59 years – 69.43 lakh people; disabled member and no able-bodied adult member - 7.20 lakh people; SC/ST households – 3.87 crore people; no literate adult above 25 years – 4.22 crore people; and landless households deriving major part of their income from manual casual labour – 5.40 crore people. So, the total comes to 8.03 crore people. So these households are being targeted under PMJAY who belong to one of the six deprivation criteria.

For rural areas, there are 11 defined occupational categories where the people are entitled under the scheme. Targeted urban household categories which are proposed to be included and which are already there are as follows: worker category – ragpicker 23,825; beggars 47371, domestic workers 6,85,352, street vendor/cobbler/hawker/other service providers working on

streets 8,64,659, construction workers/plumbers/mason/labour/ painter/welder/security guard/*coolie*/other head load workers 1,02, 35,435, sweepers/sanitation workers/*mali* 6,06,446; home based workers/artisans/handicraft worker/tailor 27,58,194, transport workers/drivers/conductors/helper to drivers and conductors/cart pullers/rickshaw pullers 27,73,310, shop workers/assistants/peon in small establishments/helpers/delivery assistants/attendants/waiters 36,93,042, electrician/mechanic/assemblers/repair workers 11,99,262, washer men/*chowkidar* 4,60,433.

I am quoting these figures because I wanted to clarify to the whole House because there is a lot of confusion in the minds of people that there is some discretion in including different categories. These are all according to established criteria. Anybody cannot get anybody included in the list or excluded from the list. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नं. 491 भी क्लब किया जाता है।

डॉ. संजय जायसवाल : बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा मूल प्रश्न मातृ एवं शिशु मृत्यु दर पर है। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक बार उन्होंने 'मन की बात' कार्यक्रम में यह बात कही थी कि निजी चिकित्सकों को 9 तारीख को मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद हजारों चिकित्सकों ने उनकी बात मानते हुए अपने निजी चिकित्सा क्लिनिकों में मुफ्त सेवा देनी शुरू कर दी। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि बहुत सारे छोटे-छोटे शहरों के साधारण चिकित्सकों ने 9 तारीख को मुफ्त सेवा देना शुरू कर दी । लेकिन, हमारे यहां फाइव स्टार हॉस्पिटल्स हैं, जिनको एक रुपये में, एक सौ रुपये में दिल्ली में, मुम्बई में बड़ी-बड़ी लैंड मुफ्त में मिल जाती है। मैं इनको फाइव स्टार हॉस्पिटल इसलिए कहता हूं, क्योंकि दिल्ली के फाइव स्टार होटल में 20 हजार रुपये में रूम मिल सकता है, लेकिन इन अस्पतालों में 20 हजार रुपये में प्रतिदिन के हिसाब से रूम नहीं मिल सकता है। क्या माननीय मंत्री जी की कोई ऐसी योजना है कि देश के जितने लाभार्थी प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में भी 9 तारीख को हर गर्भवती गरीब महिला को मुफ्त में इलाज मिले। क्या मंत्री जी इस दिशा में कोई कदम उठाना पसंद करेंगे?

DR. HARSHA VARDHAN: Hon. Speaker Sir, let me clarify to the hon. Member that when the hon. Prime Minister made this appeal, after that, under this scheme, we invited the gynaecologists particularly and some of them said that they pledged for 9^{th}. It is not only from the smaller places but these gynaecologists, whose number run in thousands, are actually joining the scheme and delivering their specialised services to the society by joining the Government system. We do not allow the pregnant females to go to the private system. The gynaecologists who want to serve these people, have to be a part of the scheme. Thousands of gynaecologists from the National Body of the

Gynaecologists and also from IMA have pledged for this service and they are already helping for that cause and are working also.

They are all being honoured and facilitated also by the Ministry by organising functions. This is something which is a very unique thing that has happened after the Prime Minister's Man ki Baat Programme and this Programme is running quite well. That is the reason why maternal mortality rate and infant mortality rate, under the age of five years, have quite gone down.

As far as private hospitals are concerned, when private hospitals are given land, they have to contribute a particular portion of their OPD services and also indoor services free to the patients. There are specialised mechanisms constituted by the respective Governments to ensure that private people who were given land to develop their private hospitals also follow those norms.

डॉ. संजय जायसवाल : सर, मैंने तो अभी तक किसी भी तरह के अस्पतालों में नहीं देखा कि उस तरह की सेवा प्राइवेट या सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही हो। मेरा एक और सुझाव भी है और प्रश्न भी है कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय इसको अखबारों में प्रचारित करेगा कि निजी चिकित्सक ज्यादा भागीदारी करें, क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने तो मन की बात में कह दिया, पोर्टल भी बना दिया। मैं ऐसे बहुत सारे चिकित्सकों को जानता हूं जो सेवा तो करते हैं, लेकिन पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो क्या आप अखबार के माध्यम से प्रचारित करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा निजी चिकित्सक इसमें जुड़ें और जो चिकित्सक तीन साल से ज्यादा मुफ्त सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं, उनको भी क्या स्वास्थ्य मंत्रालय प्रशस्ति पत्र देने की योजना बना रहा है?

DR. HARSH VARDHAN: Sir, I have already answered this point earlier that all those who have done exemplary work through this service mechanism have already been facilitated. This is a continuous process. If you read the answer that I have provided, you may find that we have made a mention of this also. The organisations are being approached and they are regularly in touch with us. I mentioned about FOGSI and IMA. There is a continuous, regular and consistent mechanism to be in touch with them. In this era of digitisation and Digital India, we use all possible means to communicate with them. For example, this book has so many details of how to take care of the child for 1000 days since the child is born. We have created Ayushman App. If one goes to the Google play store and if a mother downloads that App in her phone, for 1000 days, she will get all possible information about what she has to do. We have circulated this detailed book to all the State Governments and asked them to provide them to mothers, in their own language, in the remotest possible areas with App facility, etc. We are using all possible information mechanism, technology, etc. to ensure that relevant information is disseminated to all the people.

Advertisements also appear from time to time. But my personal observation about the newspaper advertisements is that this is something which people skip while reading the newspapers. It is a huge load on the Government money. There are better ways which are far more effective. We

can use the advertisement mode also but we do concentrate much more on other modes also.

(Q. 483)

श्री रविन्दर कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में मुझे पहली बार प्रश्न पूछने का मौका मिला है इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 'आयुष्मान योजना' माननीय प्रधान मंत्री जी लेकर आए हैं। मैं 'आयुष्मान योजना' के लिए प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि देश के करोड़ों गरीबों, निर्धनों जिनके पास इलाज की कोई सुविधा नहीं थी, वह सुविधा उनको आयुष्मान योजना के कारण प्राप्त हुई। इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत रूप से इन चीजों के बारे में बताया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हम सभी सांसदगण जब अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो सुबह या शाम को तमाम गरीब लोग ऐसे आते हैं, जो इसके पात्र हैं।

उनका 'आयुष्मान भारत' योजना का कार्ड बनना चाहिए, लेकिन 'आयुष्मान भारत' का कार्ड उनके पास नहीं है। वे हम लोगों के पास आते हैं कि हमारा भी कार्ड बन जाए। इस तरह की समस्या, मैं समझता हूं कि सभी सांसदों के साथ आती है। जब हम लोग अपने क्षेत्रों में भ्रमण पर जाते हैं तो लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा भी कार्ड बन जाए, हमारे लिए भी इलाज की व्यवस्था हो जाए। वर्ष 2011 जनगणना की सूची के आधार पर आप अभी यह सुविधा दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जो गरीब लोग इस योजना से छूट गए हैं, उनको भी इस योजना में शामिल किया जा सके?

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो पात्रता का विषय बताया है और जिस सूची का उल्लेख किया है, लगभग आठ करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक कार्ड डिलीवर किए जा चुके हैं। जब ऐसा गरीब 16,000 अस्पतालों में कहीं भी इलाज के लिए जाता है, वहां अपना नाम बताता है, अपना आधार नम्बर देता है या अपना कोई मोबाइल नम्बर देता है तो उसका नाम विदिन ए सेकण्ड उसमें अपीयर हो जाता है और उसे हाथ के हाथ कार्ड उपलब्ध करा दिया जाता है। हम इसे प्रोएक्टिवली कर रहे हैं और स्टेट लेवल पर इस स्कीम को स्टेट हैल्थ एजेंसीज इम्पलीमेंट करती हैं, उन सबके अलग-अलग मॉडल्स हैं और सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस हैं।

इसलिए कोई भी व्यक्ति, जो इसका पात्र है, उसके लिए कार्ड की कोई समस्या नहीं है। अगर उसके पास कार्ड नहीं भी है और वह पात्र है, यदि उसे कोई तकलीफ होती है तो जब वह इन 16,000 अस्पतालों में से कहीं पर भी जाएगा तो उसे इलाज की सुविधा मिलेगी। यह पूरी तरह से पेपरलेस और कैशलेस स्कीम है। यह स्ट्राँगली आईटी ड्रिवेन स्कीम है। …(व्यवधान)

जहां तक भविष्य में, इसमें और ज्यादा लोगों को शामिल करने की बात है, इस विषय पर सरकार काम कर रही है। अभी पहला फोकस यह है कि जो 10.8 करोड़ लोग हैं, उनके बारे में कोई भी, किसी भी तरह की कमी या बेसी इसमें ध्यान में आती है, उन सारे गैप्स को फिल करके, हम इस स्कीम को बिल्कुल रोबस्ट और परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही, हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि इस स्कीम का आगे एक्सपैंशन कैसे करना है।

इस स्कीम का जो दूसरा पार्ट है, उसमें हमें डेढ़ लाख हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पूरे देश में बनाने हैं, जिनमें से लगभग 20,000 सेंटर्स बनकर तैयार हो गए हैं और मार्च तक उनकी संख्या 40,000 हो जाएगी और 31 दिसम्बर, 2022 तक पूरे डेढ़ लाख सेंटर्स बनकर तैयार हो जाएंगे। वहां पर सारी सुविधाएं सभी लोगों के लिए नि:शुल्क उपलब्ध हैं। आने वाले समय में, अल्टीमेटली प्रधान मंत्री जी का यही सपना है कि यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज सारे देश के लोगों के लिए उपलब्ध हो। इसके लिए इतनी जल्दी और इतने बड़े स्केल पर इस स्कीम को लागू किया गया है। इसके स्टैबलाइज होने के बाद, इसके आगे के स्टेप्स लेने के बारे में काम किया जाएगा।

श्री रविन्दर कुशवाहा : अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 'आयुष्मान भारत' योजना के अंतर्गत पांच लाख रुपये तक की दवा और इलाज का प्रबन्ध है, लेकिन हमारे देश में बहुत-से मिडिल क्लास और गरीब लोग ऐसे हैं, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, कैंसर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है आदि इस तरह की तमाम असाध्य बीमारियां हो जाती हैं। उनके इलाज का एस्टिमेट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख रुपये तक आता है। हम सभी सांसद माननीय प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं और उसमें हम चाहे कितनी भी संस्तुतियां करें, महीने में मात्र तीन ही संस्तुतियों पर पैसा मिलता है। मैं यह चाहता हूं, शायद सभी लोगों का यही

मत है कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जब डाक्टर बहुत ज्यादा एमाउण्ट का एस्टिमेट देता है तो उनका इलाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वे आर्थिक परेशानी में पड़ जाते हैं। इसलिए माननीय प्रधान मंत्री जी के राहत कोष से प्रत्येक सांसद को जो महीने में तीन संस्तुतियां करने का कोटा है, उसे बढ़ाकर 10 या 15 कर दिया जाए। मेरा यह सुझाव है, इससे गरीबों के इलाज में सुविधा उपलब्ध होगी।

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष जी, जो मरीज 'आयुष्मान भारत' की पोटेंशियल बेनिफिशरीज की लिस्ट में नहीं आते हैं और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं, वे किसी स्कीम के तहत उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। उसके लिए माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि प्रधान मंत्री राहत कोष है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत भी ऐसी आरोग्य निधियां हैं। एम्स वगैरह के अंदर हम लोगों ने इसे डिसेंट्रलाइज करके, पावर्स डेलिगेट करके, उनके लिए कुछ पैसा वहां उपलब्ध कराया है, जिससे अस्पताल के अंदर ही एस्टिमेट बनाकर, एम्स वहीं पर उनको पैसा उपलब्ध करा देता है।

आप ऐसे रोगियों को अलग-अलग स्कीम्स के माध्यम से प्रॉपर तरीका गाइड करिए। सभी तरह के फॉर्म्स वेबसाइड पर एवं स्वास्थ्य मंत्रालय में भी उपलब्ध होते हैं। आपने प्रधान मंत्री कार्यालय की बात की है। मैं आपका सुझाव निश्चित रूप से जरूर प्रधान मंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। अगर इसमें कोई और गुणात्मक सुधार किया जा सकता है, तो विचार किया जाएगा।

SHRI B. MANICKAM TAGORE : Mr. Speaker, Sir, in the year 2006, in Congress-ruled Andhra Pradesh the then Chief Minister Shri Rajasekhar Reddy introduced a health scheme. It was then introduced in Tamil Nadu also by Dr. Kalaignar as Kalaignar Health Scheme which involved private hospitals in health insurance and it helped many poor patients. Now, Tamil Nadu has the leading number of beneficiaries – 1.57 crore – from this scheme. There is a growing role of insurance companies in third-party insurance in the said

scheme. How much money was paid as third-party insurance premium to the private companies and the benefits accrued to some specific insurance companies? Can the hon. Minister share the details with us?

DR. HARSH VARDHAN: Sir, this is not done by the Central Government. The State Governments do it at their own level; whether they do it from the insurance model or the other model, it is for them. As far as the question of how much money has been paid to which company is concerned, at least we do not have information about any hanky-panky or fraud on this account or favouritism being shown because we have a very robust pro-active mechanism whereby we try to invite suggestions from people about any possible fraud or corruption in the whole scheme. You will be happy to know that, on our own, we wrote to 7,000 hospitals and sent them a pro-active email with seven questions asking them whether they could locate any fraud or whether somebody approached them to get their bills cleared, etc. We received responses from over 2,000 people and more than 95 per cent of them said that there was no problem; some told us about some problems and we are investigating all those cases also in a very meticulous manner.

So, as far as we know, we have no information like that. The hon. Member has rightly said that in Tamil Nadu 1.57 crore people have benefited and 90 lakh people have benefited in Andhra Pradesh. There was a question put by a Member from Andhra Pradesh also. They have already got the benefit of the scheme.

(Q. 484)

श्री पी. पी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल इण्डस्ट्रीज के जो एफल्यूएंट्स हैं, वे कैनाल्स, रिवर्स या वाटर बॉडीज में जाता है और फिर अंडरग्राउंड वाटर में भी जाता है उसमें चाहे लेड, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल, एसिडिक या ऐल्कलाइन हों । ये बीमारियों का कारण बनते हैं । आपकी जो आईपीडीएस स्कीम है, उसके तहत सीईटीपी स्थापित करने का प्रावधान है और वह इसलिए स्थापित की जाती हैं कि जीरो लिक्विड डिसचार्ज करे, लेकिन सिर्फ ट्रीटमेंट करने की स्कीम है । जहां तक उस यूनिट, इंडस्ट्री से कलेक्शन का मामला है, वह दूसरी एजेंसी है, वह करे या नहीं करे, उसका पानी बाहर जा सकता है, लेकिन उसके बाद डिस्पोजल का विषय उस स्कीम में नहीं है । यह आइसोलेशन में है ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल तीनों को एक होलिस्टिक-वे में लेकर, न कि आइसोलेशन में, जिससे पूरी तरह सही से ट्रीटमेंट हो सके और लोग उसे नालियों के द्वारा इधर-उधर नदियों में नहीं छोड़ें । क्या आप इस स्कीम को रीविजिट करेंगे?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय सांसद जी को आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की इस स्कीम के क्रियान्वयन में बहुत बड़ी भूमिका रहती है । हम बार-बार हर प्रोजेक्ट के संदर्भ में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उनका इनपुट लेते हैं, ताकि प्रोजेक्ट में इस प्रकार की कोई भी चुनौती आए, तो हम उसका समाधान दे सकें । माननीय सांसद को यह बताना भी उचित होगा कि वॉटर बॉडीज के एक किलोमीटर के आस-पास इस प्रकार की गतिविधि को कई राज्यों में प्रोहिबिट भी किया गया है, जिसका समर्थन भारत सरकार टेक्सटाइल मंत्रालय के माध्यम से करती है ।

महोदय, माननीय सांसद का होलिस्टिक सॉल्यूशन्स प्रोवाइड करने का प्रश्न था, उसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो हमारे गैन्जेटिक बेल्ट के आस-पास की प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उनके संदर्भ में हम जल शक्ति मंत्रालय के साथ समन्वय में काम करते हैं apart from working with State Governments and State Pollution Control Boards.

श्री पी. पी. चौधरी : सर, 80 परसेंट इंडस्ट्रीज एमएसएमई के तहत आती हैं और ईटीपी, सीईपीटी कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और छोटी-छोटी यूनिट्स का जो एफ्ल्यूएंट निकलता है, उसके लिए सीईपीटी के साथ-साथ एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट अपने परिसर में लगाकर, जिसमें उसके कलेक्शन की जरूरत नहीं है, वहीं ट्रीटमेंट करके उसका डिस्पोजल भी कर सकते हैं और सीमेंट के प्लांट वगैरह में दे सकते हैं। इससे समस्या बहुत हद तक दूर हो सकती है।

आपका सीईपीटी का प्लांट तो है, लेकिन क्या एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट छोटे-छोटे परिसरों में स्थापित करने की स्कीम लाने के लिए मंत्रालय का कोई विचार है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, सांसद जी ने सही कहा कि छोटी-छोटी यूनिट्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि एफ्ल्यूएंट के ट्रीटमेंट का खर्च छोटा यूनिट वहन नहीं कर सकता है, लेकिन जब-जब प्रदेश की सरकारों में अथवा रीजनल टेक्सटाइल कांफ्रेंसेज में स्मॉल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेज इस प्रकार का प्रस्ताव रखते हैं, तो हम यह सुझाव देते हैं कि वे एकाग्रचित से अपना प्रोजेक्ट हमारे सुपुर्द करें। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि प्रोसेसिंग सैक्टर वर्तमान में पांच लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है। यह स्कीम वर्ष 2020 तक चलने वाली है और स्कीम के अंत तक देश भर में 1438 इस प्रकार के हमारे प्रयास स्थापित हो जाएंगे।

11.58 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज कारगिल विजय दिवस पर संसद भवन में प्रधान मंत्री जी के आतिथ्य में और सभी दलों के फ्लोर नेता, सभी दलों के नेताओं के नेतृत्व में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। वृक्षारोपण में आपका भी सक्रिय योगदान रहे और हम सब मिलकर देश को हरा-भरा बनाने में और पर्यावरण संरक्षण में हमारी भूमिका निभाएं। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि लोक सभा और राज्य सभा के सभी माननीय सदस्यगण उद्योग भवन के नजदीक सबके लिए वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भाग ले। तीन दिन तक वहां स्टाफ रहेगा और जब पांच साल आपका पौधा बड़ा हो जाएगा, उस पर आपकी नेमप्लेट रहेगी। वह पौधा आपको हमेशा नजर आता रहेगा।

(Q. 485)

श्री प्रतापराव जाधव : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की नदियां दिन-प्रतिदिन प्रदूषित हो रही हैं। कई नदियों में चलने वाली विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के बावजूद जल प्रदूषण को प्रतिबंधित या रुकवाने का कोई भी संभव परिणाम नहीं मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास की रिपोर्ट के अनुसार जल की उपलब्धता के दृष्टिकोण से भारत आज 180 देशों की सूची में 133वें स्थान पर है। वहीं जल गुणवत्ता के दृष्टिकोण से 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है।

महोदय, मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विगत वर्षों के दौरान सरकार ने नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो कदम उठाए हैं और धन व्यय किया है, क्या सरकार ने इसका कोई आकलन कराया है कि नदियों के प्रदूषण में कितनी कमी आई है तथा देश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य के निम्न स्तर का एक बड़ा कारण नदियों के जल का प्रदूषित होना ही है तथा इस प्रदूषित पानी की वजह से ही कोलेरा, दस्त, उलटी, टीबी, पीलिया इत्यादि गंभीर बीमारियां वर्षा के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित अर्थात महामारी का विकराल रूप धारण कर लेती हैं। क्या इससे निपटने के लिए सरकार ने राज्य सरकारों, विशेषत: महाराष्ट्र सरकार को आज तक कितनी मदद दी है, यह मैं पूछना चाहता हूं?

12.00 hrs

श्री प्रकाश जावड़ेकर : अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि समय कम है। अपने देश में आज़ादी के 72 वर्षों बाद वास्तविकता है कि 62 परसेंट sewage goes untreated into water bodies. इसलिए, आज नदियां दूषित हो गई हैं। इस पर हमारी सरकार ने ज़ोर दिया है। जल संबंधी सभी विषयों के लिए जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की है। पिछले 5 सालों में 58 हज़ार करोड़ रुपये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार करने के लिए खर्च हुए हैं।

यह बहुत बड़ा बैकलॉग है, क्योंकि जिस गति से आबादी बढ़ी है, उस गति से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बढ़े, यही इसका मुख्य कारण है। मैं कहना चाहता हूं कि पांच सालों में जो 9 करोड़ टायलेट्स बने, उनका भी यह परिणाम है कि अब नदियों के पानी में कम गंदगी जा रही है। आने वाले 5-10 सालों में ये सारी नदियां, जैसी हम विदेशों में देखते हैं, वैसी देखने को मिलेंगी। उसके लिए यह प्लान है। 50 वर्षों का जो बहुत बड़ा गैप है, उसे हम भर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे दो विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं कर रहा हूं।

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नंबर 2, श्री रवि शंकर प्रसाद।

विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

1. विधान सभा निर्वाचन (सिक्किम) संचालन संशोधन नियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1022 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
2. निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1023 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 575/17/19]

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) Annual Report of the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 576/17/19]

THE MINISTER OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the years 2016-2017 and 2017-2018, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 577/17/19]

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Broadcast Engineering Consultants India Limited and the Ministry of Information and Broadcasting for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 578/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy, Ghaziabad, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pharmacopoeia Commission for Indian Medicine & Homoeopathy, Ghaziabad, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 579/17/19]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Hindustan Aeronautics Limited and the Ministry of Defence for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 580/17/19]

(ii) Memorandum of Understanding between the Hindustan Shipyard Limited and the Ministry of Defence for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 581/17/19]

(4) A copy of the Indian Medicine Central Council (Minimum standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 24-14/2018 (UG Regulation) in Gazette of India dated 18th June, 2019 under sub-section (3) of Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970

[Placed in Library, See No. LT 582/17/19]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 583/17/19]

(3) (एक) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर, दीमापुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 584/17/19]

(5) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 585/17/19]

(7) (एक) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 586/17/19]

(9) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 587/17/19]

(11) (एक) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 588/17/19]

(13) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 589/17/19]

(15) (एक) साउथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 590/17/19]

(17) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) "पुराना किला, दिल्ली " के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां।

[Placed in Library, See No. LT 591/17/19]

(दो) खैर-उल-मंजिल और शेर शाह गेट के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधियां।

[Placed in Library, See No. LT 592/17/19]

(18) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 593/17/19]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, Ahmedabad, for the year 2017-2018, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 594/17/19]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) इंटरनेशनल इंस्टिटयूट ऑफ पापुलेशन साइंसेस, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टिटयूट ऑफ पापुलेशन साइंसेस, मुंबई के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 595/17/19]

(3) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2017-2018 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे :-

(एक) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टिटयूट फॉर सोशल एण्ड इकोनोमिक चेंज), बंगलौर।

[Placed in Library, See No. LT 596/17/19]

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर।

[Placed in Library, See No. LT 597/17/19]

(तीन) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर।

[Placed in Library, See No. LT 598/17/19]

(4) मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 की धारा 47 के अंतर्गत मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) नियम, 2018, जो 17 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का.888(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 599/17/19]

(5) भारत नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय नर्स परिषद (नर्स पंजीकरण और ट्रैकिंग प्रणाली) विनियम, 2019, जो 7 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.22-10/एनयूआईडी/2014-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 600/17/19]

(6) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पहला संशोधन) नियम, 2018, जो 13 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 222(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) औषधि और प्रसाधन सामग्री (तीसरा संशोधन) नियम, 2018, जो 10 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 360(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) औषधि और प्रसाधन सामग्री (चौथा संशोधन) नियम, 2018, जो 19 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 385(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवां संशोधन) नियम, 2018, जो 26 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 408(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) औषधि और प्रसाधन सामग्री (छठा संशोधन) नियम, 2018, जो 1 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 521(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) औषधि और प्रसाधन सामग्री (आठवां संशोधन) नियम, 2018, जो 3 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1161(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) औषधि और प्रसाधन सामग्री (नौवां संशोधन) नियम, 2018, जो 7 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1186(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दसवां संशोधन) नियम, 2018, जो 12 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 1193(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) औषधि और प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 2019, जो 10 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का. 20(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 601/17/19]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मानसिक विकास केन्द्रम, विजयवाड़ा के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 602/17/19]

(3) निशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 100 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निशक्तजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2019 जो 11 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.नि.का.209(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 603/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Human Rights Commission, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 604/17/19]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री परषोत्तम रूपाला की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 605/17/19]

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वेस्ट बंगाल लाइव स्टाक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वेस्ट बंगाल लाइव स्टाक डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 606/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY DHOTRE): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madhya Pradesh Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Bhopal, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madhyamik Shiksha Abhiyan Samiti, Bhopal, for the year 2013-2014.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 607/17/19]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory Mission Authority Dadra and Nagar Haveli (Sarva Shiksha Abhiyan), Silvassa, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Union Territory Mission Authority Dadra and Nagar Haveli (Sarva Shiksha Abhiyan), Silvassa, for the year 2017-2018.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 608/17/19]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Andhra Pradesh, Hyderabad, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Andhra Pradesh, Hyderabad, for the year 2017-2018.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 609/17/19]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Delhi, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Delhi, Delhi, for the year 2016-2017.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 610/17/19]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the UEE Mission Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Delhi, Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the UEE Mission Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Delhi, Delhi, for the year 2016-2017.

(10) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (9) above.

[Placed in Library, See No. LT 611/17/19]

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, for the year 2017-2018.

(12) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (11) above.

[Placed in Library, See No. LT 612/17/19]

(13) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Calcutta, Kolkata, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Calcutta, Kolkata, for the year 2017-2018.

(14) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (13) above.

[Placed in Library, See No. LT 613/17/19]

(15) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Lucknow, Lucknow, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Lucknow, Lucknow, for the year 2016-2017.

(16) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (15) above.

[Placed in Library, See No. LT 614/17/19]

(17) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madhya Pradesh Sarva Shiksha Abhiyan Mission, Bhopal, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of theMadhya Pradesh Sarva Shiksha Abhiyan Mission, Bhopal, for the year 2017-2018.

(18) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (17) above.

[Placed in Library, See No. LT 615/17/19]

(19) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technology Jamshedpur, Jamshedpur, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technology Jamshedpur, Jamshedpur, for the year 2016-2017.

(20) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (19) above.

[Placed in Library, See No. LT 616/17/19]

(21) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Meghalaya, Shillong, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Meghalaya, Shillong, for the year 2014-2015.

(22) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (21) above.

[Placed in Library, See No. LT 617/17/19]

(23) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Social Science Research, New Delhi, for the year 2017-2018.

(24) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (23) above.

[Placed in Library, See No. LT 618/17/19]

(25) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Nagaland, Kohima, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Nagaland, Kohima, for the year 2017-2018.

(26) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (25) above.

[Placed in Library, See No. LT 619/17/19]

(27) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Meghalaya, Shillong, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Meghalaya, Shillong, for the year 2016-2017.

(28) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (27) above.

[Placed in Library, See No. LT 620/17/19]

(29) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Jammu and Kashmir (Noor Society), Srinagar, for the years 2013-2014 to 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Jammu and Kashmir (Noor Society), Srinagar, for the years 2013-2014 to 2015-2016.

(30) Three statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (29) above.

[Placed in Library, See No. LT 621/17/19]

(31) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Tirupati, for the year 2017-2018.

(32) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (31) above.

[Placed in Library, See No. LT 622/17/19]

(33) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Science Education and Research, Thiruvananthapuram, for the year 2017-2018.

(34) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (33) above.

[Placed in Library, See No. LT 623/17/19]

(35) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jammu and Kashmir Sarva Shiksha Abhiyan, Jammu, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jammu and Kashmir Sarva Shiksha Abhiyan, Jammu, for the year 2016-2017.

(36) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (35) above.

[Placed in Library, See No. LT 624/17/19]

(37) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jharkhand Secondary Education Project Council, Ranchi, for the years 2012-2013 to 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jharkhand Secondary Education Project Council, Ranchi, for the years 2013-2014 to 2016-2017.

(38) Five statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (37) above.

[Placed in Library, See No. LT 625/17/19]

(39) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Nagaland, Kohima, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Nagaland, Kohima, for the year 2016-2017.

(40) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (39) above.

[Placed in Library, See No. LT 626/17/19]

(41) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute ofTechnology Delhi, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Delhi, New Delhi, for the year 2017-2018.

(42) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (41) above.

[Placed in Library, See No. LT 627/17/19]

(43) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, for the year 2017-2018.

(44) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (43) above.

[Placed in Library, See No. LT 628/17/19]

(45) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Mandi, Mandi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Mandi, Mandi, for the year 2017-2018.

(46) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (45) above.

[Placed in Library, See No. LT 629/17/19]

(47) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Bhilai, Bhilai, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Bhilai, Bhilai, for the year 2017-2018.

(48) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (47) above.

[Placed in Library, See No. LT 630/17/19]

(49) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shikshana Abhiyan Samithi Karnataka, Bengaluru, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shikshana Abhiyan Samithi Karnataka, Bengaluru, for the year 2016-2017.

(50) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (49) above.

[Placed in Library, See No. LT 631/17/19]

(51) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Udaipur, Udaipur, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Udaipur, Udaipur, for the year 2017-2018.

(52) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (51) above.

[Placed in Library, See No. LT 632/17/19]

(53) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maharshi SandipaniRashtriya Vedvidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Maharshi Sandipani Rashtriya Vedvidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maharshi Sandipani Rashtriya Vedvidya Pratishthan, Ujjain, for the year 2017-2018.

(54) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (53) above.

[Placed in Library, See No. LT 633/17/19]

(55) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Port Blair Municipal Council, Port Blair, for the years 2015-2016 and 2016-2017, together with Audit Reports thereon.

(56) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (55) above.

[Placed in Library, See No. LT 634/17/19]

(57) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Andhra Pradesh, Hyderabad, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Andhra Pradesh, Hyderabad, for the year 2016-2017.

(58) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (57) above.

[Placed in Library, See No. LT 635/17/19]

(59) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Karnataka, Bengaluru, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan Karnataka, Bengaluru, for the year 2014-2015.

(60) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (59) above.

[Placed in Library, See No. LT 636/17/19]

(61) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bihar Madhyamik Shiksha Parishad (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan), Patna, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bihar Madhyamik Shiksha Parishad (Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan), Patna, for the year 2015-2016.

(62) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (61) above.

[Placed in Library, See No. LT 637/17/19]

(63) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Union Territory Mission Authority Dadra and Nagar Haveli Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Silvassa, for the years 2016-2017 and 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Union Territory Mission Authority Dadra and Nagar Haveli Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Silvassa, for the years 2016-2017 and 2017-2018.

(64) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (63) above.

[Placed in Library, See No. LT 638/17/19]

(65) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Kozhikode, Kozhikode, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Kozhikode, Kozhikode, for the year 2017-2018.

(66) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (65) above.

[Placed in Library, See No. LT 639/17/19]

(67) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Tiruchirappalli, Tiruchirappalli, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Tiruchirappalli, Tiruchirappalli, for the year 2017-2018.

(68) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (67) above.

[Placed in Library, See No. LT 640/17/19]

(69) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Management Indore, Indore, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Management Indore, Indore, for the year 2017-2018.

(70) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (69) above.

[Placed in Library, See No. LT 641/17/19]

(71) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Tamil Nadu, Chennai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Tamil Nadu, Chennai, for the year 2017-2018.

(72) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (71) above.

[Placed in Library, See No. LT 642/17/19]

(73) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Chandigarh, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, Chandigarh, for the year 2017-2018.

(74) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (73) above.

[Placed in Library, See No. LT 643/17/19]

(75) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chennai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chennai, for the year 2017-2018.

(76) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (75) above.

[Placed in Library, See No. LT 644/17/19]

(77) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Hyderabad, Hyderabad, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Hyderabad, Hyderabad, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the Indian Institute of Technology Hyderabad, Hyderabad, for the year 2017-2018.

(78) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (77) above.

[Placed in Library, See No. LT 645/17/19]

(79) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology Jodhpur, Jodhpur, for the year 2017-2018.

(80) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (79) above.

[Placed in Library, See No. LT 646/17/19]

(81) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Varanasi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Varanasi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Varanasi, for the year 2017-2018.

(82) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (81) above.

[Placed in Library, See No. LT 647/17/19]

(83) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council for Promotion of Sindhi Language, New Delhi, for the year 2017-2018.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Council for Promotion of Sindhi Language, New Delhi, for the year 2017-2018, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council for Promotion of Sindhi Language, New Delhi, for the year 2017-2018.

(84) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (83) above.

[Placed in Library, See No. LT 648/17/19]

(85) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the EdCIL(India) Limited and the Ministry of Human Resource Development for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 649/17/19]

(86) A copy of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 1-2/2018 (CPP-I/DU) published in Gazette of India dated 20th February, 2019 under Section 28 of the University Grants Commission Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 650/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the 32nd Progress Report (Hindi and English versions) on the Action Taken pursuant to the recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, June, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 651/17/19]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export-Import Bank of India, Mumbai, for the year 2017-2018.

[Placed in Library, See No. LT 652/17/19]

(3) A copy of the State Bank of India General (Amendment) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. ORG/UKD/2018-19/564(E) in Gazette of India dated 1st April, 2019 under sub-section (4) of Section 50 of the State Bank of India Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 653/17/19]

(4) A copy of the Notification No. IRDAI/IAC/8/159/2019 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 16th July, 2016 reconstituting the Insurance Advisory Committee which will be effective from 25th July, 2019 issued under sub-section (1) of Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

[Placed in Library, See No. LT 654/17/19]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 13 of the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017:-

(i) The Goods and Services Tax Compensation Cess Rules, 2017 published in Notification No. G.S.R.820(E) published in Gazette of India dated 1st July, 2017.

(ii) G.S.R.700(E) published in Gazette of India dated 28th June, 2017 notifying the date 1st July, 2017 as the date on which all the provisions of Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 shall come into force.

(iii) G.S.R.73(E) published in Gazette of India dated 29 the January, 2019 notifying the date 1st February, 2019 as the date on which all the provisions of Goods and Services Tax to States) Amendment Act, 2018 shall come into force.

[Placed in Library, See No. LT 655/17/19]

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 656/17/19]

12.04 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA
AND
BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

Protection of Children from Sexual Offences(Amendment) Bill, 2019*

SECRETARY-GENERAL: Hon. Speaker, Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 24th July, 2019."

(2) Hon'ble Speaker, Sir, I lay on the Table the Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill, 2019, as passed by Rajya Sabha on the 24th July, 2019."

---

* Laid on the Table.

12.05 hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 72 DATED 21.06.2019 REGARDING "PLACEMENT OF NIFT STUDENT" ALONGWITH REASONS FOR DELAY*

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF TEXTILES (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): I beg to make Statements (Hindi and English versions (i) correcting the reply to Unstarred Question No. 72 given on 21st June, 2019 asked by Shri Kaushal Kishore, MP regarding 'Placement of NIFT Students' and (ii) giving reasons for delay in correcting the reply.

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 657/17/19.

STATEMENT AUGMENTING THE REPLY GIVEN TO PART (c) OF THE LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO.72 ASKED BY SHRI KAUSHAL KISHORE REGARDING 'PLACEMENT OF NIFT STUDENTS' WHICH WAS ANSWERED ON 21.06.2019

MINISTER OF TEXTILES (SMT. SMRITI ZUBIN IRANI) : Sir, I would like to make a statement to augment the reply given to part (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No.72 answered by the Ministry of Textiles on 21st June, 2019 regarding 'Placement of NIFT Students'.

The table in part (c) of the question gives campus placement data for the years 2015-16 to 2018-19. The placement percentage for 2018-19 indicated in the answer was the figure existing in June 2019. However, the campus placement for the year 2018-19 is still in process and likely to continue until September 2019. However, even in the interm period between June 2019 and 17th July 2019, there has been substantial improvement in figures for placement of NIFT students, as tabulated below :

S. No.	Campus	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2018-19
		Placement (%)	Placement (%)	Placement (%)	Placement (%) (as on 21.06.2019)	Placement (%) (as on 17.07.2019)
1	Bengaluru	50	98	97	38	74
2	Bhopal	34	80	82	39	81
3	Bhubaneswar	47	61	79	27	81
4	Chennai	42	83	87	38	81
5	Gandhinagar	40	83	77	46	78
6	Hyderabad	41	64	86	41	76
7	Jodhpur	43	48	89	51	83
8	Kangra	37	48	59	24	70
9	Kannur	42	46	50	22	73
10	Kolkata	66	77	98	50	76
11	Mumbai	48	73	77	37	78
12	New Delhi	42	80	98	37	78
13	Patna	33	53	81	46	83
14	Raebareli	30	45	66	21	77
15	Shillong	33	52	67	30	75

Therefore, in order to augment/correct the reply to part (c) of the question, following will be inserted in the beginning of operative part of the reply.

"The campus placement for the academic year 2018-19 is still in process and is likely to continue until September 2019."

The agumentation/correction has necessitated this statement. Accordingly revised reply is laid on the Table of the House.

The delay is regretted.

Sd/-
(Smriti Zubin Irani)

STATEMENT GIVING REASONS FOR DELAY IN MAKING AUGMENTATION/CORRECTION STATEMENT IN RESPECT OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO.72 ASKED BY SHRI KAUSHAL KISHORE REGARDING 'PLACEMENT OF NIFT STUDENTS' WHICH WAS ANSWERED ON 21.06.2019.

In Reply given to part (c) of the Lok Sabha Unstarred Question No.72 answered by the Ministry of Textiles on 21st June, 2019 regarding 'Placement of NIFT students' a perception on falling NIFT campus placements created has later come to notice. Since, the campus placements were still ongoing during the period of reply and has substantially improved in the intervening period, the augmentation of the reply to the Lok Sabha Question No.72 answered on 21.06.2019 has taken some more time for an updation.

The delay is regretted.

Sd/-
(Smriti Zubin Irani)

12.05 ½ hrs

STATEMENT CORRECTING REPLY TO UNSTARRED QUESTION NO. 1196 DATED 28.06.2019 REGARDING "MoU ON CANCER RESEARCH INITIATIVE" ALONGWITH REASONS FOR DELAY*

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से (एक) श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य द्वारा पूछे "कैंसर अनुसंधान पहल संबंधी समझौता ज्ञापन" के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1196 का 28 जून, 2019 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाले और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलंब के कारणों को बताने वाले वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखता हूं।

---

* Laid on the Table and also Placed in Library, See No. LT 658/17/19.

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

"कैंसर शोध पहल पर समझौता ज्ञापन के संदर्भ" में दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या :1196 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर को सही करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री द्वारा दिए जाने वाला विवरण

प्रश्न	पिछला उत्तर	संशोधित उत्तर
(क) क्या सरकार ने भारत और यूके के बीच कैंसर शोध पहल के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तिथि के अनुसार इसके क्या परिणाम हैं;	(क) जी नहीं।	जी हां । जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) ने दिनांक 14 से 16 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित इनोग्रल रिसर्चर्स समिट के दौरान 'कैंसर के प्रति किफायती दृष्टिकोण' नामक एक कैंसर अनुसंधान पहल हेतु कैंसर रिसर्च यूके (सीआरयूके) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके पश्चात् 19 से 20 मार्च, 2019 को लंदन में चैलेन्ज सेटिंग बैठक आयोजित हुई जिस में भारत एवं यूके के विशेषज्ञों तथा डीबीटी तथा सीआरयूके के प्रतिनिधियों द्वारा व्यापक चर्चा की गई थी तथा अनुसंधान पहल हेतु सात चुनौतियों को सूचीबद्ध किया गया था।
कैंसर के सस्ते इलाज, रोक और देखभाल के मामलों का समाधान करने के लिए शोध चुनौतियों के लिए चिन्हित मुख्य विषयों का ब्यौरा क्या है;	(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता है।	(ख) निर्धारित की गई सात चुनौतियां निम्नवत हैं: 1. घटनाओं में क्षेत्रीय विविधता को बेहतर रूप से समझने, कैंसर निवारण हेतु नए दृष्टिकोणों को सक्षम बनाने हेतु कैंसर जोखिम कारकों की पहचान और परिमाण निर्धारित करना। 2. कैंसर की शीघ्र पहचान में सुधार के लिए किफायती जांच उपकरण खोजना। 3. लक्षणात्मक कैंसरों के शीघ्र निदान में सुधार के लिए किफायती दृष्टिकोणों की पहचान करना

		4. लक्षणात्मक कैंसर के शीघ्र निदान में सुधार के लिए किफायती अभिकलनात्मक (कम्प्यूटेशनल) दृष्टिकोणों का विकास करना 5. लघु अणुओं (मोलक्यूल्स) का उपयोग करते हुए कैंसर उपचार में कठिनाई हेतु नवीन किफायती उपचार दृष्टिकोणों की पहचान करना 6. प्रभावी कैंसर उपचारों की किफायत में सुधार करना 7. कैंसरग्रस्त बच्चों और युवा लोगों में जीवन की दीर्घकालिक गुणवत्ता अवधि सुधारने हेतु दृष्टिकोणों का विकास करना
(ग) पहल के लिए कुल शोध वित्त पोषण का ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि के अनुसार परिणाम का ब्यौरा क्या है;		(ग) डीबीटी और सीआरयूके कैंसर हेतु किफायती दृष्टिकोण ढूंढने पर केन्द्रित 10 मिलियन पाउंड (90 करोड़ रुपए) वाली 5 वर्षीय अनुसंधान पहल आरंभ करने में भागीदार हैं। आज की तारीख तक का परिणाम यह है कि द्विपक्षीय अनुसंधान प्रयास हेतु सात चुनौतियों की पहचान का चरण-I पूरा कर लिया गया है।

(अश्विनी कुमार चौबे)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री

“कैंसर अनुसंधान पहल पर समझौता ज्ञापन” के संबंध में दिनांक 28.06.2019 को उत्तर दिए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1196 के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में सुधार करने में विलंब का कारण

अताराकित प्रश्न संख्या 1196 का उत्तर दिनांक 28.06.2019 को लोकसभा में रखा गया था। प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) के उत्तर में सुधार करने की जरूरत थी जो प्रश्न का उत्तर देने के बाद हमारे ध्यान में आया। अन्य विभागों से परामर्श करने में कुछ समय लगा। इस प्रकार, उत्तर में सुधार करते हुए अब उत्तर दिया जा रहा है।

2. असुविधा के लिए खेद है।

(अश्विनी कुमार चौबे)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री

12.06 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Defence on 'Proxy and Postal voting by Defence Services Personnel in General Elections-an Evaluation' pertaining to the Ministry of Defence*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Defence on 'Proxy and Postal voting by Defence Services Personnel in General Elections-an Evaluation' pertaining to the Ministry of Defence.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 659/17/19.

12.07 hrs

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business during the remaining part of the 1st Session of 17th Lok Sabha will consist of :

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - *[it contains (i) Discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 (Ordinance No. 6 of 2019) and Consideration and passing of the Companies (Amendment) Bill, 2019; (ii} Consideration and passing of the National Medical Commission Bill, 2019; and (iii) Consideration and passing of the DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2019.]*

2. Consideration and passing of the following Bills:-

   (i) The Consumer Protection Bill, 2019

   (ii) The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2019.

   (iii) The Jallianwala Bagh National Memorial (Amendment) Bill, 2019.

   (iv) The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019.

(v) The Code on Wages Bill, 2019;

(vi) The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code Bill,2019;

(vii) The Inter-State River Water Disputes (Amendment) Bill, 2019.

(viii) The Repealing and Amending Bill, 2019.

(ix) The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019.

3. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:-

(i) The Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2019

(ii) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2019.

(iii) The Protection of Children from Sexual Offences (Amendment) Bill 2019.

1. Consideration and passing of the Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2019 after it is passed by Rajya Sabha.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किये जाएं:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों पलामू और गढ़वा में नए उद्योगों की स्थापना की जाए।

2. पलामू एवं गढ़वा जिलों के अतर्गत प्रखंड मुख्यालयों में ऐसे संयत्र लगाए जाएं, जिनके माध्यम से पीने योग्य पानी मिल सके।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किये जाएं:

1. पुरुषोत्तम एक्सप्रेस (भुवनेश्वर से नई दिल्ली) का जयपुर तक विस्तार करना।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर टाटानगर-दानापुर ट्रेन का विस्तार बक्सर होते हुए दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक किया जाए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किये जाएं:

1. जिला टीकमगढ़ में उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए।
2. छतरपुर जिले में पान के पत्ते को कृषि उत्पाद में जोड़ा जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया – उपस्थित नहीं।

डॉ. जय सिधेश्वर महास्वामीजी: माननीय अध्यक्ष जी, शोलापुर शहर दक्षिण भारत को जोड़ने वाला शहर कहा जाता है। इस शहर से कई ट्रेंस गुजरती हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो सबमिशन दिया है, केवल उतना ही पढ़ना है। आप दोबारा दे देना।

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किये जाएं:

1. संस्कृत भाषा के संरक्षण के संबंध में।
2. प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना में व्याप्त कथित विसंगतियों के संबंध में।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. उदयपुर जिले के लिए एक और केन्द्रीय विद्यालय की आवश्यकता है।
2. उदयपुर-हरिद्वार ट्रेन संख्या (19609-10) को प्रतिदिन चलाए जाने की आवश्यकता है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The following two items may kindly be included in next Week's List of Business: -

1. Need to set up a Passport Seva Kendra at Kottarakkara, Kollam District, Kerala.

2 Need to set up a Kendriya Vidyalaya in Chengannur.

SHRI Su. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, the following two items may kindly be included in next Week's List of Business: -

1. Urgent need for establishing a new Kendriya Vidyalaya school in the district HQs Pudukkotai, Tamil Nadu.

2. Immediate necessity to lay a 14 km stretch service road from Palpannai (Dairy Farm) to Thuvakudi.

डा. जय सिधेश्वर महास्वामी जी (शोलापुर): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र शोलापुर में पेयजल एवं सिंचाई की समस्या के लिए नई पेयजल नीति तथा कृत्रिम वर्षा की आवश्यकता है।

2. शोलापुर रेलवे स्टेशन पर बंद पड़े हुए गुड शेड्स को टर्मिनल स्टेशन के रूप में परिवर्तित करने के संबंध में।

12.12 hrs

ELECTION TO COMMITTEE
Central Advisory Committee for National Cadet Corps

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): On behalf of Shri Rajnath Singh, I beg to move the following: -

> "That in pursuance of clause (i) of sub-section (1) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two Members from amongst themselves to serve as members of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps, subject to the other provisions of the said Act and rules made thereunder."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

> "कि राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (एक) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

12.13 hrs

SUBMISSION BY THE MINISTERS/MEMBERS
Re: Derogatory Remarks made Against Woman Chairperson by a Member

माननीय अध्यक्ष : अब शून्य काल।

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं) : सर, 5 मिनट का समय चाहिए। मान्यवर, मैं इस सदन का ध्यान केन्द्रित करना चाहती हूं। हम महिलाएं आज बहुत बड़ी संख्या में संसद में हैं और मैंने खुद एक सामान्य परिवार में जन्म लिया है। उसके पश्चात् अपने पिता जी के संघर्षों के माध्यम से मैं एक राजनीतिक परिवार से जुड़ी हूं। मैं बहुत भली-भांति इस चीज का एहसास कर सकती हूं कि महिलाओं पर चाहे, वे सामान्य परिवार की हों, किसी राजघराने की हों या राजनैतिक परिवार से हों, उनके ऊपर समय-समय पर टीका-टिप्पणी होती रही हैं। पहले भी हमारे तमाम महापुरुषों ने महिलाओं के हक और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी है।

मान्यवर, आज मैं इसलिए आपके सामने खड़ी हुई हूं, क्योंकि कल जो सदन में हुआ है, हमारे बीच की ही एक महिला सांसद, जो पीठासीन सभापति के रूप में बैठी थीं, उन पर जो कमेंट किया गया है, अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके लिए माननीय सांसद को क्षमा मांगनी पड़ेगी। उन्होंने इस्तीफे की बात की है। …(व्यवधान)। हमें इस्तीफे से मतलब नहीं है। हमें क्षमा चाहिए। उन्हें इस सदन में आकर माफी मांगनी होगी। …(व्यवधान)।

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहती हूं कि मेरे सात वर्ष के संसदीय कार्यकाल में आज तक किसी पुरुष ने किसी भी सदन में इस प्रकार की हिमाकत नहीं की है। यह विषय महिला का नहीं है। इस सदन में और दूसरे सदन में भी कई पुरुषों ने अपने राजनितिक और सामाजिक कार्यकाल में महिलाओं के संरक्षण और सम्मान के लिए आवाज उठाई है। Let us not reduce it to a women's problem. This is a blot on all legislators including men. This is not a House where men come in ताकि किसी औरत की आंखों में झांका जाए and what was

repugnant was that our Leaders stood in solidarity with the *…*[*] …(*Interruptions*) My appeal to you Sir is that irrespective of our political differences, the entire nation watched yesterday, कैसे यह सदन शर्मसार हुआ। इस सदन में बातचीत प्रिवलेज होती है। अगर महिला के साथ इस प्रकार की *…** सदन के बाहर होती तो वह पुलिस का संरक्षण मांगती और उसे मिलता। Sexual Harassment at Workplace का बिल इसी सदन ने पास किया है और हम चुपचाप बैठकर मूकदर्शक नहीं बन सकते हैं। मंत्री के नाते नहीं, महिला सांसद के नाते नहीं, आज सांसद के नाते पूरे सदन से मेरी अपील है कि यह मैसेज भेजें कि महिला चाहे किसी भी पक्ष की हो, इस सदन के प्रिवलेज का मिसयूज़ एक महिला का अपमान करने के लिए नहीं होगा। …(व्यवधान)

महोदय, बाहर पुलिस का संरक्षण है, लेकिन यहां आपका है, इसलिए मैं आपसे अपील करूंगी कि सदन में पोलिटिकल डिफरेंसेज़ और जेंडर डिफरेंसेज़ छोड़कर हम एक स्वर में बोलें कि you cannot misbehave with a woman and get away with it by just dramatizing it by saying मैं रिज़ाइन कर दूंगा, आपको गलतफहमी हुई है। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह बात बड़ा…(व्यवधान) हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। सर, मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं…(व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सर, कल जब यह विषय हुआ था, उस समय मैं सदन में मौजूद था।…(व्यवधान) जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया…(व्यवधान) मैंने उसी समय आपत्ति की थी। माननीय श्रीमती रमा देवी बहुत ही सुलझी हुई आदरणीय नेता हैं।…(व्यवधान) महिला अपनी जगह पर हैं और बहुत वरिष्ठ हैं। वे सदन की कुर्सी पर विराजमान हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, वे इतने शर्मिंदगी भरे थे कि मैं उनको रिपीट नहीं कर सकता हूं। वह सांसद या तो माफी मांगें अथवा उनको सदन में आने पर सस्पैंड किया जाए…(व्यवधान) यह हमारी मांग है…(व्यवधान)

---

[*] Not recorded.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदय, उनको सस्पैंड किया जाना चाहिए…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, हिन्दुस्तान में महिला को मां के रूप में मानते हैं और सम्मान करते हैं। सदन के अंदर नहीं, बाहर भी और सारी दुनिया में कहीं भी अगर महिला का असम्मान और असमान आचरण होता है तो हिन्दुस्तान के लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन, सर, यहां जो इलजाम लगाया जा रहा है, शिकायत दर्ज की जा रही है, उस विषय में जिन लोगों के खिलाफ यह शिकायत दी जा रही है, उन लोगों की कोई बात हमें सुनने को नहीं मिली है…(व्यवधान) आप लोग मेरी बात सुनिए…(व्यवधान) At least I should be heard. …(*Interruptions*) At least, I should be heard. हम किसी असम्माननीय आचरण का समर्थन नहीं करते हैं।…(व्यवधान)

मेरा यह कहना है कि…(व्यवधान) जिन लोगों के खिलाफ यह शिकायत है, उन लोगों का क्या कहना है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है।…(व्यवधान) कल इसका विरोध हुआ है।…(व्यवधान) मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं।…(व्यवधान) आप बिना वजह हमारे ऊपर दोषारोपण मत कीजिए।…(व्यवधान) मैं कानून की बात करता हूं। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं।…(व्यवधान) मैं किसी की भी रक्षा करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। महोदय, मेरा यह कहना है कि आप इस सदन के सर्वोच्च अधिकारी हैं। हमारी प्रिवलेज कमेटी है, हमारी एथिक्स कमेटी है, इन सब कमेटियों में विचार के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, हम सब उससे सहमत होंगे।…(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमती स्मृति इरानी जी ने जो कहा है और सभी महिलाओं ने भी जो कहा है, there should not be any words used or there should not be any conduct which amounts to any kind of insult to any woman. There is no quarrel about that. महिलाओं का सम्मान जिसने नहीं किया है, a person, who does not know how to respect a woman, possibly, does not know the culture of the

country itself. जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी 14 वर्षों के वनवास पर थे, तब लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी के मुख का दर्शन नहीं किया था, उनके पांव की तरफ दर्शन थे।…(व्यवधान) कभी भी उनके मुख का दर्शन नहीं किया था। जो हुआ है, वह अच्छा नहीं हुआ है। It has not only hurt the sentiments of the women but also it has hurt the sentiments of everyone. मैं तो जानता हूं, मैंने माता जी को देखा है और मेरी बहन भी है, जब मेरी बेटी पैदा हुई, तब मुझे मालूम चला कि बेटी क्या होती है। इसलिए, किसी बेटी का, किसी बहन का कोई अनादर करेगा, whether by words or by conduct, we are the last persons to tolerate it.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to condemn this. Actually, I hang my head in shame today. This is for the first time I am feeling that. I come to this highest office of democracy, which we call as a temple of democracy. Here, we work for the gender equality. Here, against one of my colleagues, who has worked very hard and who has had her challenges in her life, this offensive language has been used and it is just not accepted. We have to show zero tolerance towards any such thing. It is very shameful, and if we do not correct it today, then generations ahead will follow bad values. I think we set good examples of good culture and good values, and the beginning starts with us.

So, I urge you, Sir, to give very, very strict instruction that no Member, be it a man or a woman, should be insulted or offended with any language or any such personal comment. We come here as professionals and not as men and women. So, I condemn it.

Sir, we expect that you will take very strict action and the House has to stand in one voice against this. It does not matter whether you are sitting on this side or that side. Today, even the men are with us. Today, we have to come out and speak in one voice because this is the voice for the women of India about whom we are very proud of. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : यह शून्य काल है, जिसको बोलना है, बोल सकता है।

…(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो यहां पर चर्चा हो रही है, हम लोग बहुत ही शर्मनाक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी महिला या माता अपने गर्भ में बच्चे को नौ महीनों तक रखती है और उसके बाद उसको जन्म देती है। जब से हम पैदा होते हैं, तब से लेकर आज तक महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के प्रति जो हमारा रुख है, उसके प्रति जागरूक रहने का काम करते हैं। यह तो प्रजातंत्र का मंदिर है, अगर यहां बैठकर कोई महिलाओं का अपमान करे, महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करे, तो यह कतई बर्दाश्त करने के लायक नही है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हम अपनी पार्टी की तरफ से आपसे आग्रह करेंगे कि आप सख्त से सख्त कदम उठाइये ताकि भविष्य में कोई ऐसा साहस नहीं करें कि किसी महिला के बारे में अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करें।

श्रीमती नवनीत रवि राणा (अमरावती): कल जिस तरीके से यहाँ पर वाकया हुआ है, मुझे लगता है कि जितनी महिलाएँ यहाँ पर बैठी हैं, हम अपनी ज़िन्दगी में इतनी ताकत से लड़ कर यहाँ आए हैं तो किसी भी पुरुष को हमारे लिए कुछ भी बात करने का अधिकार नहीं है। कोई अपनी माँ से यह बात नहीं कहेगा कि "आप मेरी नजरों में देख कर बात कीजिए। आप मेरे दिल में बैठती हो।" यह बहनों को नहीं बोलेगा। मुझे लगता है कि जितने भी पुरुष यहाँ पर हैं, वे हमारे लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड है, क्योंकि आपके बिना हमारी ज़िन्दगी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आप

लोगों से कमजोर हैं। अगर लड़ने की बात आएगी तो हर महिला यहाँ पर बैठे हुए, पक्ष अलग होगा, पार्टी अलग होगी, लेकिन हम सब एक होकर महिलाओं के प्रश्नों के लिए लड़ेंगे । आपने उन्हें स्ट्रिक्टली कहा। उन्होंने बहुत अच्छे से कहा कि आप मेरी छोटी बहन लगती हैं। अगर बहन के सामने झुक जाते तो भाई कभी छोटा नहीं होता, भाई और बड़ा हो जाता। अगर भाई ने झुक कर दो शब्द बोल कर बात कर ली होती और सॉरी बोलते तो शायद आज वे बहुत ज्यादा बड़े हो जाते। हमारी कोई भी महिला, जो इस सदन में बैठी हैं, मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इस चीज को सपोर्ट करेगी। इसके विरोध में हमेशा रहेगी। Then, party is a non-matter. It is just to support a female Member. हम बहुत मुश्किल से और बहुत परेशानियों से लोगों को जवाब देते-देते यहाँ पर आए हैं।

SUSHRI MIMI CHAKRABORTY (JADAVPUR): Thank you, Sir. Yesterday I was present when this massacre was going on. I just want to tell one little thing that when I came to this Parliament for the first time, everybody respected me, everybody welcomed me with open heart and that was what I was learning. Everybody called me the 'Youngest MP' and all that. All I want to say is that this is a learning process. But what happened yesterday cannot be a part of my learning process which as a woman I am learning every day.

Apart from any political difference which we have and we fight for, we should fight for this cause unanimously. We should fight for it altogether. Nobody can stand in the Parliament and tell a woman Chairperson to look into his eyes and talk. You might be very rhythmic in your couplets or anything but that is not a Parliamentary thing.

Therefore, Sir, I think you should come up with something which we all are looking forward. All women present here are expecting something big from you right now. Thank you.

SHRIMATI KANIMOZHI (THOOTHUKKUDI): Sir, a woman, whatever age she is, wherever she belongs to, wherever she comes from and whatever post she holds and wherever she sits, is continued to be insulted. Even in this House of democracy, women are continued to be insulted and are made to feel small. I condemn this. This cannot go on.

Therefore, I urge the Government to come up with a Women's Reservation Bill because bringing in more women into this House will add to the strength of women. I am sure that we are with the Government to support the Bill when they bring it. It is unacceptable that somebody insults a fellow parliamentarian like this. If the state of women inside this House is this, then we can understand how these very same people would be treating women outside Parliament and what the state of affairs outside this House can be. I condemn this again and I stand to oppose any such behaviour against any woman.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अनुप्रिया जी, बोलना चाह रही है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो इस सदन में हुआ, उससे यह लोकतंत्र का मंदिर, यह सदन ही शर्मसार नहीं हुआ है, बल्कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। पूरे देश को इस बात की तकलीफ है कि हम जिस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति इतनी आस्था रखते हैं, वहाँ हमने कैसे नुमाइंदे चुन कर भेजे हैं। मुझे लगता है कि जिस कॉन्स्टीट्यूएंसी से हमारे माननीय

सदस्य, जिन्होंने ऐसी अशोभनीय टिप्पणी की है, चुन कर आए हैं, आज उनकी पूरी कॉन्स्टीट्यूएंसी के लोगों का सिर शर्म से झुका होगा कि हमने कैसे व्यक्ति को यहाँ चुन कर भेजा है।

हमारी रमा देवी जी लोक सभा की एक सीनियर मेंबर हैं। महोदय, जब मैं उन्हें देखती हूँ, तो मुझे उनके अंदर अपनी माँ का स्वरूप नजर आता है। जब भी वे हम लोगों से बात करती हैं, तो वे एक माँ के समान स्नेह हमें देती हैं। She is a very experienced parliamentarian. We need to learn a lot from her. Whatever happened in this Parliament yesterday was very ungraceful. मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अगर भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से रोकना है, तो आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। पूरा सदन आपसे इसकी माँग करता है।

महोदय, मैं महिला होने के नाते आपसे माँग कर रही हूँ। आप इस मामले पर खामोश नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर यह सदन खामोश रहा तो देश की आधी आबादी को यह संदेश जाएगा कि हमारे सम्मान की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र के इस मंदिर और उसके अध्यक्ष ने कुछ नहीं किया।…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अब आप बैठिए।…(व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : महोदय, इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए।…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, आपने इस विषय पर अपने आइडियाज को शेयर करने की अनुमति दी है।…(व्यवधान) हमारे सभी मानद सदस्यों ने इस विषय को उठाया है।…(व्यवधान) कल जो घटना घटी, उसका भाव ऐसा था कि उससे हमारे सदस्य भी हर्ट हुए। उस समय हमारे मंत्रिपरिषद के जो सदस्य सदन में बैठे थे, उन्होंने भी इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की। हमारे रवि शंकर प्रसाद जी, अनुराग सिंह ठाकुर, हमारे किशन रेड्डी जी ने आपत्ति दर्ज की और निशिकांत दुबे जी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत रूल 10 पढ़कर सुनाया कि जो चेयर पर बैठने वाला होता है, वह स्पीकर के समान होता है। जो आदर हम स्पीकर को देते हैं, वही आदर हमें उसे देना चाहिए,

चाहे चेयर पर पुरूष सदस्य बैठा हो या कोई महिला सदस्या बैठी हो। मानद सदस्य रमा देवी जी बहुत सीनियर हैं। रमा देवी जी ने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं टोका, जिसकी वजह से उनको ऐसा एक कुटिल भाव वाला शेर यहाँ पढ़ने की जरूरत थी। वह जो शेर था, वह अभद्र भी था और उसमें भाव भी कुटिल थे। आज मैंने कई साहित्यकारों से इस संबंध में चर्चा की। वे कहते हैं कि द्विअर्थी शेर पढ़ने की इनकी आदत रही है। ये सदन के बाहर भी महिलाओं का ऐसे अपमान करते आए हैं। यहाँ सदन में इस तरह का शेर पढ़ने की उन्हें आवश्यकता नहीं थी। अब सबका विषय आपके सामने आ गया है। आप सर्वोच्च हैं और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस विषय पर आप सभी दलों की बैठक बुला लें और उन्हें ऐसी सजा मिले, जिससे कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी महिला या महिला सांसद का अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सके। धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैं फिर दोबारा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान) हमने बड़े स्पष्ट रूप से यह कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सदन के अंदर, सदन के बाहर, सारे हिन्दुस्तान में, सारे जहां में कहीं भी अगर किसी भी महिला के ऊपर इस तरह का अपमान हो, कोई असम्मान हो, तो कांग्रेस पार्टी किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करती है।

देखिए, आप सबको जानकारी है कि सदन के अंदर जब सोनिया गाँधी जी बैठी रहती थीं, तो उन्हें भी 'इटली की कठपुतली, बहू इटेलियन' आदि-आदि बातें कही जाती थीं।...(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान) मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान) कम से कम मुझे बोलने दीजिए।...(व्यवधान) आप गलतफहमी मत कीजिए।...(व्यवधान)

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: मैं आपको बताऊँ कि मेरे बारे में क्या-क्या कहा जाता था? ...(व्यवधान) आप ...* मत कीजिए।...(व्यवधान) मैं आपको बताऊँ कि हमारे बारे में क्या बोलते हैं?...(व्यवधान) आप...* मत कीजिए।...(व्यवधान)

* Not recorded.

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह गलतफहमी हो रही है।…(व्यवधान) यह गलतफहमी हो रही है।…(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल जो दुखद घटना घटी।…(व्यवधान) वह घटना सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है, बल्कि अनपार्लेनेबल भी है।…(व्यवधान) यह जो अनपार्लेनेबल कार्य कल हुआ है।…(व्यवधान) एक निर्वाचित सदस्य को, …(व्यवधान) मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि निर्णय लेने के लिए यह हाउस सर्वोच्च है।…(व्यवधान) आपने बार-बार उनको अनुरोध भी किया।…(व्यवधान) आपने मॉफी माँगने के लिए नहीं कहा था।…(व्यवधान) फिर भी उन्होंने जिस तरह व्यवहार प्रदर्शन किया, यह बिल्कुल शर्मनाक है, अनपार्लेनेबल है।…(व्यवधान)

यह एक ऐसा मसला है, जिस मसले को लेकर हमें यहां रंजिश और आक्रोश का प्रदर्शन नहीं करना है, बल्कि हमें सूझ-बूझ से निर्णय लेना होगा और यह निर्णय आपकी अध्यक्षता में ही लेना होगा।…(व्यवधान) This House empowers you to take a decision.…(*Interruptions*)

स्पीकर सर, जो कल हुआ, वह केवल लज्जानक ही नहीं था, बल्कि एक अनपार्लेनेबल एक्शन था और इस अनपार्लेनेबल एक्शन पर कोई निर्णय हम इस हाउस में अपने आक्रोश का प्रदर्शन करके नहीं ले पाएंगे।…(व्यवधान)

सर, आप इस हाउस के अध्यक्ष हैं। यह हाउस आपको एम्पावर करता है। हाउस सूझ-बूझ से एक निर्णय लेगा क्योंकि कल आपने बार-बार अनुरोध किया कि आपने जिस तरह का शब्द व्यवहार किया है, उसके लिए खेद प्रकट करें। आपने इसे विदड्रॉ करने के लिए या इसके लिए माफी मांगने के लिए नहीं कहा। आप बार-बार रिपीट करते रहे, पर फिर भी वह नहीं हुआ। हमारे सामने ये सारी चीजें घटीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर इस तरह का व्यवहार हाउस में होता है तो हाउस के रूल्स के मुताबिक, आपके डायरेक्शंस के मुताबिक निर्णय लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अभी इसी वक्त कुछ निर्णय लिया जाए। जो सीनियर मेम्बर्स हैं, जो

लीडर्स हैं, आप सबसे बात कर लीजिए और इसके लिए एक ऐसा एग्जेम्प्लरी एक्शन होना चाहिए कि बाद में कोई इस तरह का साहस भी न कर पाए कि वह इस तरह का लांछन लगा सके।…(व्यवधान)

सर, मैं आपसे निवेदन करता हूं। Yesterday was not only a momentous day but was also one of the darkest days. That is the reason why we should also remember that we should not take some decision on the spur of the moment. We have to go into the Directions of the previous Speakers, and go into the rules and regulations of this House. This House should demonstrate that this House can act judiciously. I leave it to you as to what action needs to be taken. But it is unpardonable. That is our Party's view. We have full respect for the Member who was sitting in the Chair. She has not done anything irregular when she was conducting the House. This is what I have to say on behalf of our Party.…(*Interruptions*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): मोहतरम स्पीकर सर, यहां पर जो हमारी खवातीन मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने जज़बात और एहसासात से हमको वाकिफ कराया, मैं इसका ऐहतराम करता हूं, इसकी इज्ज़त करता हूं। यकीनन, इस ऐवान की बुलन्दी के लिए, इस ऐवान की पाक़ीजगी के लिए, इस ऐवान के उस उसूलों पर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि इस ऐवान को उस ऐवान की कवानीन के तहत चलाया जाना चाहिए, जिसमें हर रूक्न की इज्ज़त का ऐहतराम होना चाहिए।

स्पीकर साहिब, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप यकीनन फैसला लीजिए। पूरी रूइदात आपके सामने है। यहां पर तमाम हमारी काबिल खवातीन, अराकीन ने अपने एहसासात से वाकिफ कराया। मैं भी उनके साथ हूं। मगर, मैं आपके जरिये से हुकूमत से एक बात कहना चाहूंगा कि

आपकी रूलिंग पार्टी में एम. जे. अकबर के ताल्लुक से 'मी-टू' पर ग्रुप-ऑफ-मिनिस्टर्स बनाया गया। कहां गई उसकी रिपोर्ट?...(व्यवधान)

جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم اسپیکر صاحب، یہاں پر جو ہماری خاتون ممبر آف پارلیمنٹ نے اپنے جذبات اور احساسات سے ہم کو واقف کرایا ہے، میں اسکا احترام کرتا ہوں، اسکی عزت کرتا ہوں۔ یقیناً اس خاتون کی بلندی کے لئے، اس خاتون کی پاکیزگی کے لئے اس خاتون کے اصولوں پر چلنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس ایوان کو اسی ایوان کے قوانین کے تحت چلایا جانا چاہئے، جس میں ہر رکن کی عزت کا احترام ہونا چاہئے۔

اسپیکر صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ یقیناً فیصلہ لیجئے۔ پوری روداد آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر ہماری قابل خواتین اراکین نے اپنے احساسات سے واقف کرایا۔ میں بھی انکے ساتھ ہوں۔ مگر میں آپ کے ذریعہ سے حکومت سے یہ کہنا چاہونگا کہ آپکی رولنگ پارٹی میں ایم جے اکبر کے تعلق سے می ٹو پر گروپ آف منسٹرس بنایا گیا تھا، کہاں گئی اسکی رپورٹ۔۔ (مداخلت)۔۔۔

(ختم شد)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): सर, जो बात, जो शब्द, जो लाइन यहां कही गई, उसको शर्म के मारे किसी सदस्य ने दोहराया नहीं और सबने कहा कि बहुत शर्मनाक तरीके से बात कही गई। लेकिन, आपको बता दूं कि कल पूरे दिन, पूरी रात टी.वी. पर वे सारी लाइन्स दिखाई गईं। हमने उसे रिपीट नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा है कि वह शब्द क्या है, क्योंकि मीडिया में उस पूरी लाइन, पूरे मोमेन्ट को दिखाया गया है

उसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। भर्तृहरि महताब जी ने जो बोला है कि एग्ज़ेम्प्लरी एक्शन लेना चाहिए, ताकि आइंदा कोई इस तरीके का सोचें भी नहीं, बोलना तो दूर की बात है, कोई ऐसा सोचने का भी साहस नहीं करेगा। …(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने पूरे सदन की बात पूरा समय देकर सुनी। महिला सांसदों का जो आक्रोश देखा गया, सभी सांसद चाहे वे महिला हों या पुरुष हों, इस सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए सब एकजुट हैं। लेकिन, इस विषय पर किसी को राजनीति करने का अवसर नहीं दिया जाए। आपको एक ऐसी मिसाल पेश करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिनका इतिहास ऐसा है कि सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी आकर उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया है, ऐसा चेहरा वापिस देखने को न मिले, जो सीरियल अफेन्डर्स हैं। भर्तृहरि महताब जी एक बहुत वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने पूरे विषय को बड़े विस्तार में गंभीरता से रखा है। आपके ऊपर निर्णय करने की जिम्मेदारी दी है। आपने सभी पक्षों को सुना है। आप एक ऐसा निर्णय लीजिए कि केवल 17वीं लोक सभा नहीं, बल्कि 100वीं लोक सभा भी होगी, तो आने वाले वर्षों तक याद रखा जाएगा कि इस सदन के सभी सदस्यों ने आपको एक ऐसी मिसाल खड़ी करने के लिए जिम्मेदारी दी थी। इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।

अधीर रंजन जी किसी एक महिला के नाम पर दूसरे का नाम ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यह हमारे बीच के सांसद की प्रतिष्ठा की बात भी है। जिस तरह से इसको राजनीतिक खेमों में बाँटने का प्रयास किया जा रहा है, वह न किया जाए। पहले इन्होंने जो शब्द कहा था कि हम सब

को मिलकर सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए और सांसदों की गरिमा बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए, कल्याण दा ने भी कहा कि हमें किस तरह से सदन में बात रखनी चाहिए। हमने तो रामायण के माध्यम से पढ़ा ही है। यहां पर तथा पूरे देश भर में जिस तरह से महिलाओं का मान-सम्मान किया जाता है। इस सदन को आज दिखाना पड़ेगा कि हम अपने सदस्यों को, महिला सांसदों को भी और देश की हर महिला के प्रति उसी तरह से सम्मान करते हैं। इस पर कड़े से कड़ी निर्णय लिया जाए, ताकि आने वाले वर्षों के लिए हम एक ऐसी मिसाल पेश कर सकें। …(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, it is very encouraging to see all the Members standing up to speak in one voice about yesterday's incident in the House which is an utterly condemnable conduct. I am not repeating those words. Hon. Minister, Shri Babul Supriyo is right when he says that none of us has chosen to repeat those words. Yet the entire country watched it as the Session is going on and later, in the night, it was all being repeated.

I am extremely grateful to every hon. Member who stood up in support of this absolutely emotional moment where all of us are offended, not just because, a woman has been spoken so badly, but, a woman, who was occupying the Chair.

Every time, we repeat to ourselves here saying we should better conduct ourselves in such a way as the nation is watching us; we should conduct ourselves in such a way that we respect the Chair especially when a woman is seated In the Chair. It is not an easy thing for a woman to reach that position.

But she has reached it and she is a respectable Member of Parliament in the House for several years. This was visibly seen by everybody.

I wish to underline the fact that at this time, again, to politicise an issue relating to women is outrageous. Let us all stand together and speak in one voice which, I thought, was happening here. Why is that hesitation? Why is that dilemma? …(*Interruptions*) Why is that doubt? …(*Interruptions*) Let me finish.…(*Interruptions*) I have heard everybody. …(*Interruptions*) I have not named anybody.…(*Interruptions*) I should be allowed to talk.…(*Interruptions*) I should be allowed to talk.…(*Interruptions*) I have not taken anybody's name.…(*Interruptions*) Why should anybody feel guilty?…(*Interruptions*)

Sir, am I not allowed to speak uninterrupted?…(*Interruptions*)

I have heard everybody, and I have not taken anybody's name. …(*Interruptions*) If, unfortunately, even as I say a line and there is a sense of guilt that makes people stand up, then I am sorry. …(*Interruptions*) Is that the case? …(*Interruptions*) Then please sit down. …(*Interruptions*) Hear me out. …(*Interruptions*)

Speaker, Sir, I have sought your permission to stand up and put my words across. …(*Interruptions*) So, let me be allowed to say what I want to say. …(*Interruptions*) I have not named anybody here for people to object and get up to interrupt my speech here. …(*Interruptions*) I would never have done interruptions, but please let us all have the strength of conviction to hear out what the other Member has got to say. …(*Interruptions*)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Minister, please do not create a negative atmosphere in the House. …(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Thank you, but do not judge me. …(*Interruptions*) Sir, I object to that comment. …(*Interruptions*)

When a Member of Parliament could name a woman; when a Member of Parliament can stand up and question on somebody; and when a Member of Parliament can stand up and judge people, then there is no democracy in this House if that is the way in which it is. …(*Interruptions*)

Therefore, I would now say, and I had started by saying that I thank every Member who has supported this cause. I would like to repeat that I stood up to say that irrespective of the block to which we belong, all of us have stood up to support a woman. …(*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): We will do it. …(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : At this time, I wish that all of us do stand up again to make sure that we do not have fine lines drawn here or conditions attached to our support or add riders to what we are saying. It is an abominable act. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Madam, you are a respected Minister. …(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Sir, let me please complete. …(*Interruptions*) I think that all of us have the strength to hear one another out. …(*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : You are a respected Minister. …(*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Yeah, but here I am standing as a Member of this House -- not here, but the Rajya Sabha. …(*Interruptions*) Therefore, I think …(*Interruptions*) This is not done. …(*Interruptions*)

Sir, I appeal to you, Speaker, Sir, like the way it was suggested. I think that it is important to state that you are empowered adequately as the House gives you enough powers and more. We all honour you and respect you. In this particular case, every Member of the House has felt strongly. We look towards you for an exemplary action in this matter. Please do your consultation with as many Leaders as was suggested by hon. Member, Shri Bhartruhari Mahtab. Please do consult everybody, but an exemplary action is what we are looking forward from you in this House, especially, in this House this year when we have more than enough number of women who can stand up and speak here. Please ensure that you take exemplary action, so that never ever women will be politicised or women will be treated badly or abused. Thank you.

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है। …(व्यवधान) आपने इस सदन के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही अल्पकाल में बहुत ही प्रामाणिक और प्रभावी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आज इस देश का लोकतंत्र सदन की ओर देखता है, लोक सभा की ओर देखता है। आज यह बहुत ही सन्तोष का विषय है कि पूरे सदन में एक सर्वानुमति है कि जो घटना हुई, वह बहुत पीड़ादायक है । हम सभी उसके चश्मदीद गवाह हैं । मैं इस सदन में आदरणीय रमा जी का अभिनन्दन करना चाहूंगा कि कल कितनी गरिमा से उन्होंने इस पीड़ा को झेला है, मैं इसके लिए उनका अभिनन्दन करना चाहूंगा।

मैं आपसे अपील करूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया आप चुन लें, हम लोग आप पर विश्वास करते हैं। पूरे देश में एक सन्देश जाना चाहिए कि यह सदन इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं करता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। …(व्यवधान)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, the entire House has expressed its opinion. …(*Interruptions*) You are the custodian of this House. We have full confidence in you.

As rightly quoted by many hon, Members, you are running the House in an exemplary manner. Many Members have expressed their views. I would only urge every Member of this House to maintain the decorum. हमारी जो संस्कृति है उसको हमें मेनटेन करना है। इसके कारण सभी पार्टियों के नेताओं ने अपना-अपना अभिप्राय व्यक्त किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, We have to condemn this incident; there should not be any ifs and buts. I am not saying this to this side or the other side of the House. We have also condemned this incident. As suggested by Shri Bhartruhari Mahtab *ji,* I urge you, since you are the custodian of this House, to take most exemplary action. I appeal to the House to leave it to the hon. Speaker. We all have confidence in you, Sir, that you would take the best exemplary action and end this matter.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह कानून बनाने की जगह है, कानून के मुताबिक ऐथिक्स का उल्लंघन हुआ है, …(व्यवधान) उनको सदन के कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस का उल्लंघन हुआ है। …(व्यवधान)

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Sir, I would like to state here that women are being worshipped in India but what happened yesterday in this House made me feel that women are being worshipped only in the temples as idols. …(*Interruptions*) Since it is a woman issue, I totally condemn this incident. Since we are in the learning process, I hope that this incident would not be repeated in the future.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): स्पीकर सर, यह संयोग बढ़िया है कि ओम बिरला जी कुर्सी पर विराजमान हैं, …(व्यवधान) भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार ओम शुरुआत का नाम है। Rule 316(b) states, "Examine every complaint relating to unethical conduct of a Member of Lok Sabha referred to it by the Speaker, and make such recommendation as it may deem fit." चूंकि अभी कमेटी ऑफ ऐथिक्स नहीं बनी है इसीलिए सारा का सारा अधिकार पार्लियामेंट ने आपको दिया हुआ है। रूल 316 (बी) के तहत आजम खान साहब के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और आप उसके लिए ऑथराइजड हैं। …(व्यवधान) आपको कार्रवाई करके ओम की शुरुआत करनी चाहिए। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपनी पार्टी की तरफ से बहुत ही स्पष्ट रूप से बात रखी है। सदन के अंदर, सदन के बाहर या सारी दुनिया में, अगर कहीं भी किसी महिला पर अत्याचार होता है, असम्मान होता है या असम्माननीय बर्ताव होता है तो हम उसके खिलाफ हैं। सदन के अंदर चेयर पर बैठी माननीय रमा देवी जी ही नहीं, बल्कि जितनी बहनें हैं, माताएं हैं, हमें सबको सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। …(व्यवधान) इसलिए मैंने शुरुआती तौर पर कहा था कि स्पीकर साहब, आप सबके अधिकारी हैं, आपके पास सारे औजार हैं। प्रिविलेज या इथिक्स कमेटी, जो भी हैं, यह सदन का रखरखाव और सदन को ठीक तरह से चलाने के इंतजाम के लिए है। आप जो सही समझें वही कीजिए। जरूरत पड़े तो आप हम सबसे अलग से बात भी कर सकते हैं। हम किसी भी हालत में हाउस की गरिमा को धूलंकित नहीं होने

देंगे, किसी हालत में हाऊस की गरिमा को छोटा नहीं होने देंगे ।…(व्यवधान) हम महिला की इज़ाज़त को कभी छोटा नहीं होने देंगे, यह स्पष्ट है। …(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि यह सब बातों से ऊपर होना चाहिए। यह पार्टी, वह पार्टी नहीं बल्कि जितनी महिलाएं हैं, आम सदस्य हैं, सबके साथ सही ढंग से बर्ताव होना चाहिए।…(व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, it is actually a matter of breach of privilege and the power is vested with you to take action. Ethics is applicable on the matters outside, it is a privilege matter because it happened in the House. Now, the entire power is vested with you to take whatever steps you like. When the Privileges Committee is constituted, you assign the matter to the Privileges Committee. The Privileges Committee has different powers. Right now, the power is vested with you; here, it was so insulting and sentiments are hurt. Therefore, whatever immediate steps are required to be taken, please take it so that the magnanimity, dignity and majesty of the House is not reduced by even one portion. You are upholding the dignity and majesty of the House and it is a question of the women, their dignity and their prestige. Whatever steps you wish to take, please take.

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम): माननीय अध्यक्ष जी, कल जिस तरह से हाउस में बात हुई थी, उसे हमारी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से कंडेम किया जा रहा है। इस पर तुरंत एक्शन भी होना चाहिए। जनरली घर में बेटी को घर की लक्ष्मी माना जाता है, घर की लक्ष्मी को बेटी बोलते हैं। जिस तरह से हम घर में बेटी, बहन और मां को इज्जत देते हैं, उसी तरह से सब जगह होना चाहिए। कल हाउस में जो हुआ है, आप इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। आपके पास पूरे रूल्स, रैगुलेशन्स, कन्सर्न्स और पावर्स हैं, आपको उसी रूल्स, कन्सर्न्स और पावर के तहत एक्शन लेना चाहिए।

आज ही आपने प्लांटेशन के लिए सबको बुलाया था। हमारे नाम से भी प्लांट लगा।…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: माननीय अध्यक्ष जी, संघमित्रा मौर्या जी ने जो प्रस्ताव रखा है, महताब जी ने जो सुझाव दिया, सभी माननीय सदस्यों यहां तक कि कांग्रेस के मित्रों ने भी सुझाव दिए, कल्याण बनर्जी जी ने भी प्रस्ताव दिया, हम आपको उस पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करते हैं। …(व्यवधान) आप अधिकृत हैं, आप निर्णय लें और ऐसी सजा मिले कि भविष्य में कोई किसी महिला सांसद का अपमान नहीं कर सके। यही विषय है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाएं।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सबने व्यवस्था दे दी है। मैंने सबके विचार सुन लिए हैं। मैं इस विषय में सभी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग बुलाकर शीघ्र निर्णय करूंगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही दो बजे तक भोजनावकाश के लिए स्थगित की जाती है।

12.59 hrs

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

14.03 hrs

The Lok Sabha re-assembled at
Three Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF COMPANIES (AMENDMENT) SECOND ORDINANCE AND COMPANIES (AMENDMENT) BILL, 2019

माननीय सभापति : ऑनरेबल मेम्बर्स, आइटम नं. 22 और 23 पर एक साथ चर्चा की जाएगी। श्री अधीर रंजन चौधरी।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move:

> "That this House disapproves of the Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 (No. 6 of 2019) promulgated by the President on 21 February, 2019."

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पर चर्चा की जाए।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sorry, would you say that in English please! I did not hear it.

HON. CHAIRPERSON: This is really very interesting!

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sorry, suddenly you are speaking in Hindi, I did not expect. I do understand Hindi.

HON. CHAIRPERSON: Thank you.

You can move the Bill for consideration and also make opening remarks.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Alright, Sir.

I beg to move:

"That the Bill further to amend the Companies Act, 2013, be taken into consideration."

Thank you very much, Sir, for permitting me to give the salient features of the Bill on the basis of which I would like to take the inputs from the hon. Members. As I have said at the time of introduction itself, Sir, this Bill actually took force in 2013 itself.

In August 2013, when this Bill was first time passed under the Companies Act, as it was called Companies Act, very significant changes relating to disclosures to stakeholders, accountability of directors, auditors, key managerial personnel, investors' protection, and corporate governance, were all part of the Bill.

Now, post-2013, after consultations with a lot of stakeholders, very many different views came on the Bill. I remember also being a part of the stakeholders' consultations at that time in 2014, as soon as the Government was formed, being a junior Minister in the Finance Ministry, under the eminent Minister, Shri Arun Jaitley.

At that time, after all the consultations in 2015, 22 amendments were carried out in May, 2015 in the Companies Act. Still, there were several voices saying the Act is not all that very perfect and could we again take up a lot more amendments? So, this Act itself is getting evolved further and further and subsequently, 93 further amendments were made through the Companies (Amendment) Act in 2017. So, literally, from 2013 to 2019, you see that various changes of evolution have passed and the 2017 amendments were in pursuance of the recommendations made by the Companies Law Committee which was constituted by the Government and was chaired by the Secretary, Ministry of Corporate Affairs. After all that was over, again, because ease of doing business had really caught the imagination of a lot of people, there was a need for changing a bit more of the Companies Act.

Again, in July, 2018, a Committee was constituted under the chairmanship of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs to review the existing framework for dealing with offences under the Companies Act, 2013. The Committee undertook a detailed study of all the penal provisions and other relevant provisions and submitted a report in August 2018. Now, post-August 2018, after consideration by the Cabinet, it was considered absolutely urgent and important to pluck the critical gaps in the existing Companies Act, even though, it was amended subsequently in 2015 and 2017, and also to facilitate ease of doing business and to strengthen the corporate compliance management system.

As the House was not in session, an Ordinance was passed in November 2018 and about 31 provisions were changed during that time. Again, there is a legislative process which was undertaken in December, 2018. There were considerations in the Cabinet and by 4th of January, 2019, the Lok Sabha considered the Bill with the amendments and then passed it. Then the Bill was taken to the Rajya Sabha where it was listed for three continuous days, but unfortunately, because the House was adjourned *sine die*, it could not be taken up. Since it could not be taken up at that time, there was a need for us to rush through an Ordinance because we did not want to have any gap in terms of the inputs for the amendments which have been taken up and it was necessary to keep the continuity. So, a second Ordinance was brought in this year. The first Ordinance was brought in November 2018. Then, the President promulgated the Ordinance on 21st February, 2019.

Now, all these changes are driven more from the ground, driven more by the stakeholders and also driven more from the point of view of those who are probably gaming the system and are not really allowing the jurisprudence to take full play or even the in-house mechanisms which can give you solution to take play. So, the point of view of ease of doing business underlines this fact. There was a necessity to make sure two things because of pendency of cases in NCLT as well as very many ambiguous areas, grey areas leading to different interpretation. Everything which went through the Ordinance had to be given legislative support through the Bill. The amendments which were notified after the Ordinance was issued had to become a part of the Act itself.

That is that reason why the Bill is now being brought. But even as it is brought with all those very same amendments which were introduced through the Ordinance and which were notified, we are also bringing in additional amendments and that is what I want to underline. Thirty-one amendments were taken through the Ordinance and those 31 are now getting legislative support because we are adding those to this amendment Bill. Besides, 12 new amendments are being brought in and altogether 43 amendments will go through if we pass this Bill today.

The 31 amendments which were brought to the Companies Act 2013 were notified after the Ordinance was issued. Now those 31 amendments are part of this Bill; together with it, 12 new are also being added. All of them together are aimed at two main things: where compoundable offences resulted from smaller or minor offences which were not all that serious or critical, we want to make them non-compoundable and, where there was a need to make the entire framework simplified, we are bringing those details only.

I will give a picture of what existed before the Ordinance: 134 provisions existed of which 81 were compoundable offences; 35 were non-compoundable and in-house levy of penalties; those for which provisions existed for ROC level officers to deal with were 18; and all put together, 134. Post the Ordinance and the replacement Bill, there will only be 65 compoundable offences. Therefore, it is going to be not rigorous on those who are doing smaller omissions or commissions. Non-compoundable offences will be 35; in-

house levy which will subject to penalties will only be 18 and 16 put together. I would not get into the details of the specific amendment points at this stage, but as the Members have been given a copy of it, if there is anything which emerges through the discussions, I will certainly take it point by point and reply during my reply stage. This being one of the very important Bills for ease of doing business, I would like to hear the views of all the Members.

HON. CHAIRPERSON: Motions moved:

> "That this House disapproves of the Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 (No. 6 of 2019) promulgated by the President on 21 February, 2019".

> "That the Bill further to amend the Companies Act, 2013, be taken into consideration."

HON. CHAIRPERSON : All Members are requested to confine to the time because we have the Private Members' Business also. The first speaker is Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Chairperson, Sir, let us not try to pass it in a hurry. This is a very important Bill. We can take it up on Monday. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let us start the discussion.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Whilst I take hon. Member Shri Pinaki Misra's input, I clearly explained even at the stage of introduction as to why it is urgent for us to consider this Bill. While I respect the view that more time given will be better for us, I would like to inform that this Ordinance will end on 31st of this month. We have passed the Ordinance three times over, and even yesterday I mentioned in response to Prof. Sougata Ray that the best practice which the House now propagates is get everything through the Bill, and not through the Ordinance. We don't want the Ordinance. Three times we sat with the Ordinance. Since it is an Ordinance which will expire at the end of this month, I seek the indulgence of all the Members for a conversation on it.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Hon. Chairperson, Sir, I rise to oppose the way the Ordinance has been invoked because there was no emergency situation which had warranted the promulgation of an Ordinance. I take strong exception to the invocation of Ordinance. It appears that the Government is going to be Ordinance-addicted.

In the 16th Lok Sabha, only 47 Bills have been scrutinised by the Standing Committees. In the 17th Lok Sabha, there has not been even a single instance where a Bill has been sent to a Standing Committee but again till the 7th August, the House Session has been extended without taking the entire Opposition into confidence. It appears as if the Government is in a hurry to pass legislation after legislation. We can easily say that the Government is heading towards, 'One nation, one Session'.

We are deprived of exercising our rights and discharging our responsibilities. We have been deprived from having the opportunity of questioning the Government by way of Question Hour. I think, this is simply antithetical to the democratic norms of our country.

You are absolutely right that this Bill has been undergoing scores of amendments, amendments, and amendments. I do not want spell out the details because you have also expressed your helplessness, that you are being constrained for time. So, I would simply restrict myself to two or three important issues.

First of all, the key amendment I have observed is the re-categorisation of certain offences which are in the category of compounding offences to an in-house adjudication framework, wherein defaults would be subject to the penalty levied by an adjudicating officer; instituting a transparent and technology-driven in-house adjudication mechanism on an online platform and publication of the orders on the website; de-clogging the National Company Law Tribunal by introducing certain amendments and enhancing the role of the regional director; tackling the larger issue of “shell companies”, enhancing accountability with respect to filing documents related to charges, non-maintenance of registered office, etc.

The Corporate Affairs Secretary had been entrusted with examination of suggestions that had been put forward before you. I think, there is no cogent argument at my disposal to oppose the legislative document but again I am opposing the way the Ordinance has been promulgated.

First of all, I want to know this from the hon. Minister: Do you have any unambiguous definition of what is called “shell company”? Please do not put out an amorphous depiction; rather, we would like to have an unambiguous definition of what is called “shell company” because they have been wreaking havoc in our country for the last few years.

It is a well-established fact that the existence of black money creates imbalances in the economy, finances terror and money laundering, etc., puts the honest at a disadvantage, deprives the State of the much-needed revenues, and ultimately adversely affects the poor of the country. One of the

ways of siphoning off money and accumulation of black money is through "shell companies" which is a menace for the Indian economic system.

The Special Investigation Team on Black Money, enactment of the Black Money (Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, 2015, the Income Declaration Scheme, 2016, the Benami Transactions (Prohibition) Amendment Act, 2016, and the demonetisation scheme – you have applied all kinds of weaponry to get black money restricted but I think still black money is being siphoned off through "shell companies" and you need to be extra careful about it.

In its war against black money and fake notes in the economy, the Government brought in demonetisation of high denomination currency but still we are in the dark when it comes to how much sum has been unearthed by way of demonetisation. It has not been reflected in your Budget also.

Simultaneously, the Ministry of Corporate Affairs notified sections 248 to 252 of the Companies Act. Section 248 of the Act provides that a dormant company, that has not obtained dormant status under section 455 of the Act, can be struck off from the records of the ROC by filing application in prescribed manner. The Act provided defunct companies with an opportunity to voluntarily apply for striking off their names from the records of the ROC. I do not know how many companies have applied for striking off their names. The hon. Minister would be in a better position to tell this.

The Ministry of Corporate Affairs also exercised its powers under sections 164 and 167 of the Act to disqualify Directors of defaulting companies that had failed to file annual returns for the past three years. Section 164 of the Companies Act, 2013, corresponds to section 271 of the Companies Act, 1956 that did not take private companies in its ambit, while section 164 is inclusive of both private and public companies. Though this step, taken by the Ministry of Corporate Affairs, was much in conflict due to its retrospective effect, I would request the hon. Minister to clarify this point.

Insofar as shell company is concerned, I would say that the Government's own accounts sometimes show that lakhs of shell companies have been taken off. We do not know how many actually have been existing till now. The task force has suggested some possible parameters to define if a company has been set up to launder money or exploit regulatory arbitrage. There is no legal framework by which we can say that this is a shell company. Generally, shell companies exist only on paper and are often used by fraudsters for carrying out their illegal activities. Against this backdrop, the Government should work hard on putting in place a proper definition for shell companies.

Sir, I would also like to draw the attention of the hon. Minister to another issue of Corporate Social Responsibility. I will be very brief in my deliberation. The concept of Corporate Social Responsibility for firms and businesses has undergone a radical change since its early days and has evolved from a mere slogan to the present-day situation where it is considered no longer a fashion

but as the part and parcel of a company's functioning to be socially responsible. I would like to know whether the corporate entities are discharging their responsibilities as prescribed by law.

Fear that the companies would find their way to avoid shelling out money for CSR activities has appeared to be well founded. A survey by an accountancy firm KPMG found that 52 of the country's largest 100 companies failed to spend the required two per cent last year. A smaller proportion has gone further allegedly cheating the system. I am saying this because I come from a backward district, which has been included in the list of Aspirational Districts of the country. If CSR fund is distributed in a rational manner, at least one aspirational district should get some financial assistance which could help the district to augment its financial position.

In the case of procedures, such as, where a company wishes to convert from a private entity to public or *vice versa*, section 14, sub-section 1, and where a company wishes to follow a different financial year, section 2, sub-section 41, the amendment proposes that they should directly approach the Central Government rather than the *quasi-judicial* bodies such as the NCLT. While de-clogging the NCLT is a priority, this approach is reminiscent of the Licence Raj culture which used to exist in the country. It fits into the Government's pattern of centralisation of power, and significantly increases the chances of misuse and corruption.

Instead the Government's energies can be focussed on expanding the NCLT and investing in increasing its efficiency which will eventually lead to de-clogging the system.

Madam, yes, you are striving hard to promote your rankings for 'Ease of Doing Business'. However, by distorting the facts and by going through uncharted routes, which is not practiced by other countries, you should not try to promote your rankings. It is because the provision for declaration of commencement of business originally existed in the Act, which was later omitted. The Government has now re-introduced it for the sake of improving its rankings in the 'Ease of Doing Business' Index. While the Ease of Doing Business rankings may have improved, they cannot be viewed as an economic report card. The investment rate was approximately 38 per cent of the GDP in 2011; however, it came down to around 27 per cent in 2018. The leap in rankings is a myth because the fiscal deficit is growing; banks are grappling with the twin balance-sheet problem; and major regulatory and audit lapses remain. Despite regulations, the number of inactive registered companies remain high.

With these words, I conclude.

श्री पी. पी. चौधरी(पाली) : माननीय सभापति जी, मैं इस बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति जी, वर्ष 2013 में जो कंपनी लॉ एक्ट आया, वह कंपनी लॉ एक्ट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बार दो इश्यूज़ को एड्रेस किया गया था। एक इश्यू था - डिस्क्लोज़र और दूसरा - अकाउंटेबिलेटी। ये दोनों एस्पैक्ट्स बहुत लंबे समय से मिसिंग थे। Disclosure to whom? To stakeholders. उनको पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या हो रहा है, इसके लिए सारे प्रावधान किए गए थे।

दूसरी बात थी, जो एक लंबे समय से महसूस की जा रही थी, कि अकाउंटेबिलेटी का आभाव है। हम कई बार देखते हैं कि कंपनी में गड़बड़ होती है, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलेटी फिक्सड नहीं होती है। इनवैस्टर प्रोटेक्शन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए इसमें चाहे डायरैक्टर्स हों, चाहे ऑडिटर्स हों, चाहे की-मैनेजेरियल पर्सन्स हों, इन सबमें जब अकाउंटेबिलेटी आएगी और डिस्क्लोज़र का मामला होगा, तब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का यह सिस्टम सही बैठेगा।

जब वर्ष 2013 का एक्ट बना, जब इसमें प्रैक्टिकल यूटिलिटी आई, दो वर्षों के भीतर यह महसूस किया गया कि इस एक्ट में काफी नई चीज़ें आई हैं, इनफॉर्मिटीज़ हैं, और इसमें प्रावधान होना चाहिए, उसकी वर्किंग बड़ी डिफिकल्ट हुई। मोदी गवर्नमेंट के आते ही यह महसूस किया गया और जब यह देखा गया कि वेरियस स्टेकहोल्डर्स को इसकी एप्लीकेशन में कठिनाई आ रही है तो वर्ष 2015 में पहली बार इसमें अमेंडमेंट बिल लाया गया। इसके बाद वह बिल पास हुआ और उसके कुछ दिनों के बाद यह महसूस किया गया कि इसमें करीब 93 अमेंडमेंट्स, नंबर 93-97 हो सकता है, वर्ष 2013 के इतने अमेंडमेंट्स फिर वर्ष 2017 में करने पड़े।

मैं मानता हूं कि जब भी कोई नया एक्ट आता है, उसकी वर्किंग, जिस समय उसे लेकर आते हैं, हो सकता है कि उतनी विज़्युलाइज़ न हुई हो, लेकिन 2013 के एक्ट में 2015 और 2017 में ड्रास्टिक अमेंडमेंट्स करने पड़े, तब जाकर वर्किंग हो सकी। वर्ष 2017 के बाद में फिर यह महसूस हुआ कि कुछ और अमेंडमेंट्स करने की ज़रुरत पड़ेगी।

इसके लिए कंपनी लॉ कमेटी सेक्रेट्री की चेयरमैनशिप में कॉरपोरेट अफेयर्स में बैठी और उनको यह मैन्डेट दिया गया कि इस पूरे विषय को रिव्यू किया जाए। जो इसके एग्ज़िस्टिंग फ्रेमवर्क हैं, उस एग्ज़िस्टिंग फ्रेमवर्क में दो इश्यूज़ को देखा जाए,क्योंकि कई बार यह महसूस किया गया है अगर हम चाहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो, अगर उसका डेटरनेंट इफेक्ट ज़्यादा होगा, जहां ज़रुरत नहीं है, उन ऑफेंसेज़ का, जहां छोटी-छोटी बात हैं, जहां बिलकुल माइनर इश्यूज़ हैं, जहां फाइन से काम चल सकता है, वहां पनिशमेंट क्यों दी जाए?

2013 के एक्ट में इस तरह का प्रावधान था। कमेटी को मेंडेट था कि वर्ष 2013 के एक्ट में जो ऑफेंसेज़ हैं, उन सबको री-विजिट किया जाए, उनको देखा जाए, उनको कैटेगराइज्ड किया जाए और उनके रिलेटेड मैटर को भी देखा जाए। कमेटी ने री-कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफेन्सेज पर अपनी रिपोर्ट और रिकमेंडेशन दी। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस तरह के कितने केसेज थे जो कम्पाउंडेबल और नॉन कम्पाउंडेबल की कैटेगरी में थे। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि जो कम्पाउंडेबल केसेज थे, उनके लिए सिविल लायबेलिटीज जो हैं, वे इम्पोज करने के ऐसे-ऐसे ऑफेंसेज थे, जो प्रोसीजरल लैप्स के थे, टैक्नीकल लैप्स के थे। अब सवाल यह है कि प्रोसीजरल लैप्स और टैक्नीकल लैप्स के लिए अगर आप पनिशमेंट प्रोवाइड कर देंगे तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे अचीव करेंगे।

सभापति महोदय, दूसरी चीज जो छोटे-छोटे ऑफेंसेज हैं, वे एनसीएलटी में जाते थे। एनसीएलटी कोर्ट में हजारों केसेज, जहां पर 11 लाख 75 हजार कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, अब छोटे-छोटे केसेज लेकर एनसीएलटी में जाएंगे तो वहां पर बहुत बोझ हो जाएगा और उन केसेज को डिस्पोज ऑफ करने में बहुत टाइम लगेगा। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आप यह बिल लेकर आए हैं और इसमें इन हाउस एडजुडिकेशन प्रोवाइड किया है। जो केसेज डिपार्टमेंट लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर सेटल हो सकते हैं, जो छोटे-छोटे फाइन से संबंधित केसेज हैं, उनके लिए सालों तक इंतजार न करना पड़े, उसके लिए जो इनहाउस मैकेनिज्म इस बिल के द्वारा जेनरेट किया गया है, वह बहुत ही एप्रिशिएट करने लायक है। यही कारण है कि मोदी सरकार के

कार्यकाल के दौरान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की जो रैंकिंग बढ़ी है, उसका कारण यही है कि लगातार चाहे आईबीसी हों, चाहे कंपनी लॉ अमेंडमेंट में हों, बाहर के लोगों को पूरा का पूरा विश्वास पैदा हुआ है जो यहां आकर अपना पैसा लगाते हैं। कंपनी लॉ कमेटी की रिपोर्ट जब एग्जामिन हुई तो उसमें सारे के सारे ऑफेंसेज को न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया गया, बल्कि जो सीरियस ऑफेंसेज थे, उनको नहीं छेड़ा गया। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में कोई फ्रॉड करें और फ्रॉड के बाद उस पर फाइन इम्पोज कर दें। उनको इन्टैक्ट रखा गया है। जो सीरियस ऑफेंसेज हैं, उन पर the existing rigours of law will continue और जो लैप्स और टैक्निकल और प्रोसीजरल ऑफेंसेज हैं, वे इन हाउस में शिफ्ट किए गए हैं, बाकी जो सीरियस ऑफेंसेज हैं, जो स्टैचुअरी बॉडी में हैं, वे वहां जाएंगे। कम्पाउंडेबल ऑफेंसेज, जो सिविल रॉंग हैं, उनको फाइन के द्वारा सेटल करने का प्रावधान किया गया है। इससे दो सबसे बड़े फायदे हुए हैं। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरा कॉरपोरेट कम्प्लायंस। इससे कम्प्लायंस बहुत ईजी हो गई है और फास्ट हो गई है। जो केस इन हाउस मैकेनिज्म में 2 दिनों में तय हो सकता है, वह दो साल तक एनसीएलटी या कोर्ट ऑफ लॉ में या फिर स्पेशल कोर्ट में डिसाइड नहीं हो पाता। इसलिए यह एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। इससे कम से कम जो स्पेशल कोर्ट हैं, वे लिटिगेशन से डी-क्लॉग होंगे, उन पर लिटिगेशन का भार कम होगा। केसेज जल्दी डिसाइड होंगे और नम्बर ऑफ केसेज वहां कम जाएंगे। इसका पर्पज है 'To facilitate speedy disposal of cases'. इससे ड्यूअल पर्पज सॉल्व होंगे। एक तो डिपार्टमेंट में वे केसेज जल्दी डिस्पोज ऑफ होंगे और एनसीएलटी में भार कम होने से और स्पेशल कोर्ट में उनका लोड कम होने से एनसीएलटी में भी केसेज का डिस्पोजल और सीरियस फ्रॉड केसेज पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उन पर कॉन्सन्ट्रेट और फोकस ज्यादा होगा। उन केसेज का मेरिट वाइज डिसीजन होना ही ठीक रहेगा। जैसे सैक्शन 447 के केसेज हैं, कॉरपोरेट फ्रॉड के केसेज हैं, उनमें कोई बदलाव इस बिल में नहीं किया गया है।

माननीय सभापति जी, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि कम्पाउन्डेबल ऑफेंसेज को सिविल नेचर का करके फाइन, पैनेल्टी और इन हाउस मैकेनिज्म किया गया, इसका कितना फर्क पड़ा। आप देखेंगे कि एनसीएलटी और स्पेशल कोर्ट्स पर जो 60 प्रतिशत लोड था, वह इस तरह के केसज की वजह से था। इससे लगभग 40 हजार केसेज कम होंगे। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि गवर्नमेंट ने सही निर्णय लिया हो, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से क्लैरीफिकेशन चाहूंगा कि बिल लाने से पहले के जो पेंडिंग केसेज हैं, उन केसेज को भी अगर इन हाउस मैकेनिज्म में ट्रांसफर कर लें तो एनसीएलटी पर अननेसरी लोड कम हो जाएगा और केसेज जल्दी डिसाइड होंगे।

महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब एनसीएलटी की बात आती है, क्योंकि आईबीसी में टाइम लिमिट दिया हुआ है, उसमें अगर ये केसेस भी होते तो वे डील नहीं हो पाते क्योंकि एनपीए के केसेस भी हैं। अब ये केसेस गवर्नमेंट को ट्रांसफर होने से आम जन और कम्पनीज़ को, जिनका वहां लिटिगेशन है, फायदा होगा । क्योंकि छोटे-छोटे केसेस हैं, जैसे change of financial year, non-filing of financial statement, change of public company to private company को आरओसी इफेक्टिवली डील कर सकता है। गवर्नमेंट का ऑबजेक्टिव इस बिल से साफ लगता है, बहुत क्लीयर है to plug the regulatory gap. जो वर्ष 2013 के एक्ट में रह गए हैं and to give fair justice. इससे यह भी फायदा होगा। कोर्पोरेट गवर्नेन्स एंड कम्प्लायंस स्टेंडर्ड इससे ठीक हो जाएंगे। एगज़म्पलरी पनिशमेंट सीरियस ओफेंसेस के लिए रखा गया है।

सर, जहां तक एनफोर्समेंट ऑफ कम्पलायंस मेनेजमेंट की बात है, अभी अधीर रंजन जी ने सेल कम्पनी की भी बात की है। सैक्शन 10ए नया इनसर्ट हुआ है, क्योंकि पहले अधीर रंजन जी की कांग्रेस की सरकार के टाइम, यूपीए के टाइम में लम्बे समय तक शैल कम्पनी, जिसके बारे में ये कहते हैं, शैल कम्पनी का नाम तब शुरू हुआ। यह जो पौधा है, उनके टाइम से लगा और लम्बे समय तक यह चलता रहा। वर्ष 2014 में पहली बार प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन शैल कम्पनियों का सफाया होना शुरू हुआ। लगभग 3 लाख 50 हजार कम्पनीज़ को स्ट्रक ऑफ किया

गया, क्योंकि आप लोगों ने इनको रूथलेसली, बिना सोचे समझे रजिस्टर किया था । उन कम्पनीज़ का कोई एड्रेस या अता-पता नहीं था । उन कम्पनीज़ के शेयर होल्डर्स की पेमेंट जमा नहीं थी । ये कम्पनियां क्या करती थीं? इन कम्पनियों का काम मनी लान्ड्रिंग का था, ड्रग व Terror फंडिग का, इल्लिगल एक्टिविटीज़ का काम था । इसकी पूरी सफाई का काम पहली बार, इस देश के आजाद होने के बाद से आज तक अगर किसी ने डिसीजन लिया तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने लिया । इससे बहुत विश्वास पैदा हुआ, क्योंकि प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि कार्पोरेट स्ट्रक्चर्स ट्रांसपरेंसी के साथ काम करें, वे इसका मिसयूज़ न करें । जिस परपज़ के लिए यह बना है, उस परपज़ से ही वे चलें । सेक्शन 10 A में जो आया है, मैं बताना चाहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन के पहले और बाद में कुछ कम्पनियां ऐसी थीं जिन्होंने हजारों करोड़ रुपये, 2300 करोड़ रुपये से लेकर 3700 करोड़ रुपये तक इन कम्पनियों में जमा करवाए और निकलवाए हैं । जहां तक शैल कम्पनियों की बात है, हम नहीं कह रहे हैं कि सभी 3 लाख 50 हजार कम्पनियां शैल कम्पनीज़ हैं । ये कम्पनीज़ नॉन-कम्पलायंस कम्पनियां हैं, सैक्शन 248 की कम्पलायंस नहीं करने वाली हैं । लेकिन इनमें बोगस कम्पनियां भी हैं, जिनका कोई बिजनेस नहीं होता है और हम शैल कम्पनी या होलो कम्पनी कहते हैं । ऐसी कम्पनियों ने काम किया और इनको स्ट्रक ऑफ करके, इनके बैंक अकाउंट सीज़ किए गए । इनकी प्रोपर्टी की जहां तक बात है । I do not know whether the Government has taken the decision or not but I would like to request the Government to take the decision with respect to the disposal of property and all proceeds from shell companies should be deposited in the Consolidated Fund of India. सर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें सैक्शन 10ए इंट्रोड्यूस किया गया है …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Please try to wind up now.

SHRI P. P. CHAUDHARY : Sir, I am the first speaker from my party. I will conclude. It is a very important Bill. It relates to the ease of doing business. I will not take much time because two other Members from my party are also there to speak.

HON. CHAIRPERSON: The Government wants to pass the Bill today and that is why I am saying.

SHRI P. P. CHAUDHARY : Sir, I will refer to only two to three clauses of the Bill. The first is about insertion of Section 10(A). This talks about the intent and objective of the Government. The spirit behind this is that as soon as one opens a company one has to declare that the subscriber has paid their shareholding. At the same the registered office is also required to be shown.

Thus, the registered office can be inspected by Registrar of Companies and can be checked whether that registered office is existing or not but in the coming years, geo-tagging can also done to find out whether the registered office is there or not.

There are many other Sections in the Bill. There are about 11,75,000 companies. I would request the hon. Minister to regulate these companies and see whether their affairs are conducted in accordance with the law or not, whether they are filing their returns on time or not, and whether there is any fraudulent activity or not. Here, induction of artificial intelligence is very essential in these days. It is the need of the hour.

Under the provisions of Section 248, we can only find out, by MCA-21, whether companies have filed their Annual Reports for two consecutive years. If they have failed to do so, then they can be struck off but we can also get some information from them. Apart from the Ordinance, two or three more Sections have been added in this Bill with respect to NAFRA and CSR as they are very essential.

यह फाइनेंशियल ऑडिट के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले उसमें इनकी जो वर्किंग थी, वह पूरी का पूरी सेन्ट्रलाइज्ड थी। लेकिन मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसकी फंक्शनिंग को डिसेन्ट्रलाइज्ड किया है, डिवीजन और उसकी एग्जिक्यूटिव बाडीज़ के द्वारा उसकी फंक्शनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं।…(व्यवधान) और डायरेक्टरशिप के लिए। आप देखिए कि पहले कितनी कंपनियों के डायरेक्टर बन जाते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब सीलिंग फिक्स कर दी गई है। उसके तहत जो सीलिंग है, उसके सैक्शन 164 और 165 में सीलिंग फिक्स कर दी गई है, अगर उस सीलिंग से एक्सीड करते हैं, तो वह डिस्क्वॉलिफाइड हो जाता है। यह जो प्रोविज़न लाया गया है, यह बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है। यह सब कुछ जो एनसीएलटी का है…(व्यवधान) महोदय, मेरा बस एक अंतिम बिंदु इकोनॉमिक रिफार्म के बारे में है।

महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस सेन्चुरी का बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफार्म है, वह इन्सॉल्वेन्सी एंड बैंक्रप्सी कोड है, जिसे प्रधान मंत्री मोदी जी लाए हैं। आप देखिए कि पहले एक समय था, हमारा पूरा फाइनेंशियल ईको सिस्टम था। जो क्रेडिटर्स होते थें, वे डेटर्स के पीछे भागते थें, लेकिन आज उलटा हुआ है। आज जो डेटर्स हैं, वे पैसा जमा करना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर उनके पांच लाख रुपये भी ड्यू हो गये या कोई एनसीएलटी में गया, तो मेरी जो इंड्स्ट्री या यूनिट है, वह रिजोल्यूशन में आ सकती है। इस तरह का एट्मॉस्फियर होने से, डेटर एंड इफ्केट होने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि आज चाहे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो, बैंकों के करीब तीन लाख करोड़ रुपये आए हैं। जब यूपीए का समय था, देश आज़ाद

होने से वर्ष 2006 तक बैंकों ने 18 लाख करोड़ रुपये इंडस्ट्रीज को उस समय दिए थे। लेकिन वर्ष 2006 से 2013 के बीच में इन्होंने 58 लाख करोड़ रुपये तक बांटा है। इन लोगों ने पाप किया था, लेकिन सफाई करने और उसे भुगतने का काम मोदी जी कर रहे हैं। एनसीएलटी की वजह से जो सिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एनपीए है, उनके पैसों की रिकवरी हो रही है और जिन गरीब आदमियों और आम जनों का पैसा बैंकों में लगा था, वह बैंकों को वापस मिल रहा है। इसलिए, मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to comment upon the Bill. Definitely, I will not force you to ring the bell.

When the Bill is being moved for consideration, I remember the World Bank Report which has rated 109 countries in carrying out business. According to the assessment that has been done by the World Bank, India has been ranked at 77. Some of the factors which culminated the World Bank Report are starting business, enforcing contracts, paying taxes, resolving insolvency and other factors. What is the rank of India in all these factors? I am referring to the World Bank Report of the last financial year. In starting of business, the rank of India is 137; in enforcing contracts, it is 163; in paying taxes, it is 121 and in resolving insolvency, it is 108.

Sir, I hope the Minister has come up with this Bill with a good intention. The amendments and the Sections of the Bill are intended to satisfy the requirements and reach the exalted position of the World Bank rating in future.

I think, all these parameters, which have been enunciated in the World Bank Report, must be kept in the mind of the Government. Through these amendments, let us jointly fulfil the World Bank factors and achieve them.

I carefully perused the Bill. I can understand the intention of the Government. I hope positively that the intention has to be achieved in a perspective manner. I think, two things are contemplated in this Bill. I may be correct or not; if not, Madam may please correct me. First, ease of doing business by the companies; and secondly, to curb the shell companies.

These are the prime elements you want to address besides all other issues. So, the intention of the Government is good. I am not having apprehensions but some small reservations as to how we are going to achieve it. The hon. Minister is very fond of Tamil couplets and Tamil literature. The end which has been cited in the Bill is okay. Yes, we have to achieve it but what about the means? The Tamil literature always says that the end is not important. The most important thing is how to reach the means. I think this couplet is known to the hon. Minister:

"Eendraal Pasikaanpaan Aayinunj Cheyyarka
Saandror Pazhikkum Vinai"

I am worrying about how we are going to reach the means.

Sir, if I recall my memory, when the Bill was introduced in the Parliament in 2013, I think, that was referred to the Finance Committee which recommended the Corporate Social Responsibility Fund. I will come to this point later on.

Thereafter, a Committee was set up under the Chairmanship of the Secretary of the Department. That Committee gave more than 25 or 50 recommendations. I do not know if it is correct. I think, this Bill has culminated out of those recommendations. The motto of the Bill is, maybe, to curb the shell companies, and also to de-clog the NCLT.

As far as the shell companies are concerned, your intention is very clear. There are, no doubt, very good provisions. But still, I am having a small doubt.

Sir, I will read the insertion of new Section 10A, and the amendment of Section 12 in the Bill. Section 10A (*1*) says:

> "(a) a declaration is filed by a director within a period of one hundred and eighty days of the date of incorporation of the company in such form and verified in such manner as may be prescribed, with the Registrar that every subscriber to the memorandum has paid the value of the shares agreed to be taken by him on the date of making of such declaration"

This is regarding the self-declaration.

Coming to Section 12, the principle Act, you are adding one more sub-section: "(9) If the Registrar has reasonable cause to believe that the company is not carrying on any business or operations…"

The term "reasonable cause" is a little bit tricky term. The intention of the Minister may be good. I am not doubting the intention of the Government. But when you are drafting the law, you are saying – "If the Registrar has reasonable cause to believe that the company is not carrying on any business or operations". Why are you giving all the powers to an individual? There is already an excessive delegation of power in the Bill. I will come to this point later if the time permits. But my only question is this. When you are giving absolute and total power to the Registrar, a single man who is sitting across the

country somewhere like Chennai, Mumbai or Hyderabad, how is he going to exercise his power? This is very important. That is why I suggest, at least, in future, instead of Registrar, there must be some body which has to have a collective decision. The decision must be just and fair.

Now, I will come to the other point regarding de-clogging of NCLT. I feel, there is an excessive delegation of power. More role of the Government may lead to arbitrary decision. I welcome the measures taken to simplify the Penal Sections. As you introduced the in-house procedure mechanisms, I also welcome that. But still, there are some apprehensions that remedial measures should be taken.

Sir, finally penalty is viewed as a means to deter the Companies violating the law. But the five-fold increase cannot be justified. Please look into it.

As regards CSR fund, if the fund is not spent, you want to create a special account to fulfil your dream. But why are you creating more and more accounts? Instead of opening more and more accounts, I would like to suggest that all the unspent money can be shifted to the Prime Minister’s Relief Fund where there is a demand. This may be considered. With these words, I conclude.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Mr. Chairman, Sir, I rise to speak on the Companies (Amendment) Bill, 2019. I am happy to speak on this Bill because I was here in the House and spoke when young Sachin Pilot introduced the comprehensive Company Law. That was very significant in the matter of investor protection and corporate governance. It also introduced the concept of Corporate Social Responsibility and included it in the law. But the unfortunate part is that after the present Government came to power in 2014, they made repeated amendments to the law. There were 22 amendments in 2015, then there was a large number of amendments in 2017 and again the present Bill has come with 36 Clauses, including a lot of amendments. It seems that the companies are not satisfied with any law that you bring. So, they bring pressure on the Government to change the law. The Government formed a Committee headed by Shri Injeti Srinivas, Corporate Affairs Secretary and that Committee submitted a Report. The present Bill is an outcome of the Report of that Committee headed by Shri Injeti Srinivas. But it defies logic as to what is the urgency about these changes in the Company Law that two Ordinances had to be brought. I have not found any urgency in this Bill that immediately something is going to happen, suddenly 'ease of doing business' will become better, and so on and so forth. The rule by Ordinance is something which we all oppose.

But as far as the Bill is concerned, I do not find myself at variance with the Bill or its provision or its Clauses. I am opposed to the Government's policy on many matters like selling the family silver, disinvesting CPSUs to get Rs.

1,05,000 crore, divesting Air India to private parties etc. I am against all this. I am against the policy of the Government which has led to NPAs amounting to Rs. 11 lakh crore which will never be recovered. But when the Government comes in for small cosmetic changes, I have no objection to the Bill.

Let me say that ‘corporates’ or ‘company’ has become a bad word in the country, Why? First, we had the case of Satyam Computers which inflated the share values and it involved a famous chartered accountancy company to inflate the share values. Then came the ponzi companies. All these companies like Sharadha, Rose Valley etc. were formed. The Government did not look into it. There is an organisation called Serious Fraud Investigation Office (SFIO) under the Ministry of Corporate Affairs. What was the SFIO doing when all these ponzi companies sprang up and started doing business? They did nothing; later we found out in the Finance Committee that they instituted some action very late. Thirdly, at the time of demonetisation the shell companies sprang up in a big way. Monies were transferred and cash became legitimate white money through these shell companies. So far, not enough has been done to do away with this menace of shell companies; only one step has been taken and that step is that the Registrar of Companies can visit an office and if there is no existence of an office, he may close that company. That is the simple power given to the Registrar of Companies.

Sir, if you are aware, we have an office of the Registrar of Companies in Kolkata in Nizam Palace. That is a place where, people know, that money has to be paid to register a company.

The Registrar of Companies' offices are all dens of corruption. Nothing has been done to remove corruption from these places. But as I said, the Bill has certain good points in the sense that it seeks the changes that are expected to lead to greater compliance by corporates, de-clogging of the special courts, de-clogging of the NCLT and effective enforcement. At present, around 60 per cent of the 40,000 odd cases pending in courts pertain to sections dealing with procedural lapses that are proposed to be shifted to in-house adjudication mechanism thereby incentivizing compliance by corporates. As a result of the amendments brought in, in future, the compounding cases load on NCLT will also come down significantly. NCLT is bogged down by insolvency and bankruptcy court cases. There are huge things like selling Essar Steel to ArcelorMittal. All these big things are happening there. So, these small things should be taken out of NCLT. That is why, I support the Bill.

An analysis of data available demonstrates that most of the cases initiated or pending relate to procedural lapses such as non-filing of financial statements and non-filing of annual returns etc. If such violations are re-categorized and allowed to be adjudicated through payment of monetary penalties, the burden on special courts should be drastically reduced. So, that part of the Bill is all right. I think that the Minister's intentions are good and as Mr. Raja pointed out her end is good, but she is adopting the means of repeatedly resorting to Ordinances, by bringing in Ordinances and law for favour of the corporates. The Budget and Economic Survey say that the

Government depends on private sector spending and on the beautiful corporates for our economic development. In this country, the corporates have never played a major role in building up infrastructure. It was left to the Government to do the same. So, today also, the corporates are neither beautiful nor good. So, the Minister should at least keep them under control.

With these words, I conclude.

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Hon. Chairman Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Companies (Amendment) Bill, 2019 on behalf of YSR Congress Party.

The recommendations made by the Committee were examined by the Government and it was noted that the changes in the Companies Act, 2013 suggested by the said Committee would fill critical gaps in the corporate governance and compliance framework as enshrined in the said Act while simultaneously extending greater ease of doing business to law abiding corporates. Accordingly, it was proposed to amend certain provisions of the Companies Act, 2013.

The amendment seeks to tighten corporate social responsibility compliance and reduce the load of cases on National Company Law Tribunal. The proposed legislation is to facilitate to address difficulties faced by stakeholders and ease of doing business in order to promote growth and employment.

The reality of India's corporate sector is private companies constituting roughly 90 per cent of the total number of incorporated companies. The provision of Section 29 is now being extended to all companies, public and private. The Government may now, therefore, mandate dematerialization for shares of private companies too and all shareholders of all private companies shall have to come within the system of getting their holdings dematerialized.

The concept of undesirable persons managing companies was there in sections 388B and 388E of the companies Act, 1956.

15.00 hrs

These Sections were dropped by the J.J. Irani Committee. Similar provisions are perhaps making a comeback by insertion of Sections 241 to 243 of the Act. This insertion seems to be a reaction to the recent spate of corporate scandals, particularly in the financial sector.

In the interest of transparency and fairness, guiding principles for determination of penalties have been introduced, which should help the companies to a large extent. It is hoped to have a sea change in the provisions of the Act after the enactment of the law, which, in turn, shall bring about a change in the way of corporate world's works. The amended Act may also hopefully raise the gear of governance, and not only bring Indian Company Law in tune with global standards but also ensure ease of doing business without any hurdles.

Besides this, certain routine functions from the National Company Law Tribunal (NCLT) would be transferred to the Central Government. These include dealing with applications of change of the financial year and conversion from public to private companies.

Apart from that, under the amended law, non-maintenance of registered office and non-reporting of commencement of business would be the grounds for striking off the name of a company form a register.

Among others, breach of ceiling on directorship would be a ground for disqualification of a Director.

There would also be stringent provisions with reduced timelines for creation and modification of charges under the Companies Law.

Sir, the amendments are aimed at filling critical gaps in the Corporate Governance and Compliance Framework as well as simultaneously extend greater ease of doing business to law-abiding corporates.

With these few words, I conclude. Thank you.

SHRI PINAKI MISRA (PURI): Hon. Chairman, Sir, the Companies Act, 2013, which superseded the Companies Act, 1956, was passed in 2013. I was privy to its passing; and let me tell you straightaway with a very heavy heart that it was one of the more embarrassing episodes of my life that I was party to the passage of that Bill in 2013 because in retrospect, it has turned out to be one of most disastrous pieces of legislation that this country has seen in a very long time.

The fact that it was a brand new Bill and the fact that the Parliament, both the Houses, rubberstamped an Act, which had been put up by the bureaucracy without any application of mind and which has had disastrous consequences thereafter -- it was also sent to the Standing Committee where again, unfortunately, not enough attention was paid -- many of these provisions, over a period of time, have proved to be absolutely disastrous.

HON. CHAIRPERSON : It was done after a detailed discussion and scrutiny by the Standing Committee!

SHRI PINAKI MISRA : You are absolutely right. But I do not know how did it pass muster and we managed to not see through the myriad problems that this has had; and as a result of which extensive amendments were brought in 2015, extensive amendments were brought in 2017 and again extensive amendments have come now in 2019.

My very dear friend Mr. Arun Jaitley and I, in fact, shared many laughs during the amendments of 2015 and 2017 when he was the Finance Minister here and he was piloting them as to the incongruity of the drafting, as to many

absurd clauses, which were in it. Therefore, as I said, right at the threshold, I am deeply embarrassed that I was privy to the passing of this Bill in 2013.

My only grievance to this Government, I think, in bringing this Amendment Bill now, is that it does not go far enough. Otherwise, everything that they do to amend this Bill is unexceptionable. There is no question about it. You can find no fault with any amendments.

In fact, the key problems in the Companies Act, 2013 runs into some 10 pages here, which is abbreviated. Therefore, I say, if you let me speak, I would probably speak till the end of the day and I still would not be able to enumerate various problems. Because I have appeared in the NCLT week in and week out, I am on the Board of several companies, each time, we come up with some of these problems, we wonder how Parliament passed this.

Mr. Chairman, Sir, since time is limited, may I only suggest some of the very urgent improvements that this Act requires, which will facilitate ease of doing business? Section 185 and Section 186 have very many restrictive conditions whereby promoters are not able to bring their own funds into their own organisations.

In a time of such liquidity crunch in this country, as we are going through the moment, we should be immediately easing it out. I urge the hon. Minister to look into this immediately. If I cannot bring money into my own company, then what am I doing business for?

Secondly, there is no capping at all on the penal provisions in regard to non-filing of forms in this Act. Many of these are small MSMEs. There are small companies. These oversights are often discovered after years and there are day-to-day penalties. These penalties often end-up in lakhs, which means, the entire net worth of these companies is going to be wiped out. Therefore, there should be caps on all penalties. Make them salutary for the large companies but, at least, for the smaller companies, for God's sake, cap them.

The third thing is that the provision for merger, etc., of course, in this Companies Act has been absolutely disastrous. Therefore, now, the attempt to declog the NCLT is more than a welcome measure by the hon. Finance Minister. As far as the issues of CSR funding are concerned, of course, there is no question that it is a salutary thing. I would also request the hon. Finance Minister – since she is also wearing the hat of the Finance Minister as well as the Corporate Affairs – that the Corporate Tax at 25 per cent on turnover of less than Rs. 400 crore, frankly, perhaps, might need a rethink. You are, really, encouraging companies to not expand by keeping their turnover under Rs. 400 crore or split up their turnover; and therefore, engender some kind of subterfuge. Perhaps, the time has come to give 25 per cent corporate tax across the board. There is always much greater tax compliance when the tax rate falls. There is no doubt about it. You will get more than make up. This is one of the things that I want to bring to your knowledge. It is because doing away with the angel tax, you will find in the long run, will have very good repercussions.

I just want to make a couple of very quick points. Kindly remove the discretionary powers of the Regional Directors and the ROCs to impose penalties for late filing. You kindly stipulate the fines. Let the fines be on paper and then whoever defaults pays up but do not leave it to their discretion because this is, definitely, engendering corruption. I can tell you at the cutting-edge level when I am dealing with it as a member of many Boards of Directors.

The other thing, I would also suggest, is that the Act does not at all differentiate between large and MSME companies. The dynamics in the eco-systems of large and MSME companies are completely different. You are going to kill MSME companies which are the bedrock and the backbone of this country. The majority of employment in this country is not given by the large corporates. I think, Mr. Roy has a serious cavil against them. I am not quite one with him on the seriousness of his cavil against large companies. I certainly feel that MSME is, really, a sector which gives very large employment. They are the ones who are feeling the real pinch of this Companies Act.

So, the hon. Finance Minister must look into many many provisions in the Companies Act which are proving very very burdensome and really pinching the MSMEs which need some kind of succour from you. I do not have the time here in this House. Perhaps, I will address a letter to you along with all the other annexures given to me by many well-meaning people to bring it to your attention. I have no doubt and I can forecast this that within the next foreseeable future or, perhaps, even in the Winter Session, we will have yet

another Amendment Bill to this Companies Act. That is the nature of the Bill that we had passed in 2013.

Thank you very much, Mr. Chairman.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here in support of the Companies (Amendment) Bill. There are just a few clarifications that I would like to ask the hon. Minister. She, in her introduction, extensively talked about India doing better and better in 'ease of doing business'. The whole idea of getting this Ordinance was to make sure that we do better; there is more wealth and job creation in the country; and the economy improves.

15.09 hrs (Shrimati Meenakashi Lekhi *in the Chair*)

I know your arm's length from the Economic Survey but I believe it is still a part of the Finance Ministry and obviously the person, who is the editor, is somebody nominated by you. I have four pointed questions to you by way of clarification. Is there a conclusion in it? It says: "While economic uncertainty stemming from uncontrollable factors remains beyond the control of policy makers, they can control economic policy uncertainty. Reducing economic policy uncertainty is critical because both domestic investment and foreign investments are strongly deterred by increase in domestic policy uncertainty."

There is one small point which says, prospects of export growth remain weak for 2019-20 if *status quo* is maintained. However, reorientation of economic policies is targeted. It is more so because of the China-US trade tensions and how it is going to affect us.

My concern is this. The reason for this whole rush of bringing the several Ordinances is for ease of doing business, as you mentioned. We do not see any drastic improvement in the economy. In the area that I represent, Pune District, there are huge investments in motor vehicles and productions. In the last three quarters, unfortunately, we have not done particularly well. The same *Economic Survey* says that during five quarters, consistently, our economy has not been able to do well. So, our real concerns are on what legislations do we really need to bring in. I fully respect and appreciate your whole intention of cleaning up the system. But I think we need to bring in more things together to make it a robust economy for job and wealth creation for people. I think, that really should be our agenda.

I would seek just four quick clarifications. You have talked about shell companies. The Government takes great pride in saying that over two lakh companies have been shut. We have no clarity on what kind of companies they were. First of all, there was no ruling about shutting them before. So, by what intervention or under what rule, did you do them then and how is it going to change now? Were these companies just like benami companies or shell companies? What kind of companies were they? There is really no clarity. It makes a great statement that we have shut down two lakh companies. What really is the outcome if it? What difference has it made? What kind of black money is generated? You may kindly clarify about that.

The other point is this. You have created the NFRA. I could stand corrected, but this was something that the UPA Government had brought in 2013. As Prof. Sougata Ray mentioned earlier, both CSR and NFRA are babies of the UPA and we take great pride in them. I think, Shri Pinaki Misra does not like it. But, I guest, everybody has a right to have difference of opinion and that is the beauty of our democracy.

I am very proud that we did bring in CSR because I do see good interventions done through CSR. But I have a feeling that there is one small problem in CSR. You are controlling them even further now. I remember, during the Question Hour, the MoS (Finance) had replied about it that we have CSR in companies but it can be used for districts which are distressed or for programmes like that. For example, in the State where I come from, they are used for malnutrition programmes and other programmes. But even the localised people who have given their lands for generations and years also need it. It could be in schools; it could be in healthcare projects. If you tighten the noose so much and if it is only going to be for people in power to be used for their flagship programme I think it is a little bit of injustice done to the local people who have contributed to that company. You may reconsider it or see a way and show more faith in people doing business. I do not think anybody doing business in India is actually just robbing. There are few bad apples. That does not mean the whole basket is bad. So, in CSR, how can we find a way where even locals get some benefits? We are happy if other districts

which need money or programmes did it. I do not think anybody has an objection to that. But I think we need to re-look into that.

The same thing is there about NFRA. Prof. Sougata Ray talked about it. Take, for example, Satyam and IL&FS. For six years, NFRA is lying with the Government. Justice delayed is justice denied. NPAs have gone over Rs. 15 lakh crore. My pointed question is this. By bringing in this Bill now which is so late – it is better late than never – will there be some retrospective action taken on several companies which have already duped this country? There were a lot of allegations on the accountants at that time. What actions are we going to take? I would like to quote the hon. Home Minister. The other day, during the discussion on UAPA Bill, he said, it is not just the organisations; there are even people why destroy. When you brought in the anti-terrorism Bill, that was the thinking of the Government that was made out. When there is the whole organisation – be it a benami company or be it a CSR or be it even a company like Satyam or IL&FS or whoever it is – will there be a pointed action even on directors or will it just be the organisation which will get affected?

My last point is this. Regarding amendment to Section 212, you have talked about staff. In SFIO, you are already struggling to get people. You are giving a job from a Director to a Deputy Director and I have noticed that a lot of policing is happening in all these. We did it even in the UAPA Bill.

By doing this, are they sensitised and aware of how the legislation works? So, if a Director is aware but you give it to a Deputy Director, would there be misuse of harassment? Or have you found a programme? It is

because even in SFIO, you still have not been able to manage sensitisation of implementation. So, I am sure your intention is very noble but I hope the implementation does not become harassment because people doing business in India does not make them bad people. There are a lot of good business houses which do good CSR and good work in this country. So, I just urge the hon. Government that to do 'Ease of Business,' let us not just penalise people for doing business. We must make sure business is generated, jobs are created and wealth is created not only for the top of the pyramid but also for the bottom of the pyramid.

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): माननीय सभापति जी, आपने मुझे कंपनी संशोधन बिल, 2019 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। सरकार कंपनी संशोधन बिल, 2019 लाई है, इसमें सरकार ने अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं इस बिल के समर्थन में बोल रहा हूं। ईज़ ऑफ डुइंग बिजनैस, ट्रांसपेरेंसी और एकाउंटिबिलिटी, ये तीन फीचर्स बिल में प्रस्तुत किए गए हैं।

ईज़ ऑफ डुइंग बिजनैस, जैसा कि आप जानते हैं कि बिल में सरकार ने इंट्रोड्यूज किया है, कम्पाउंडेबल ऑफेंसिज़ की संख्या कम कर दी गई। मुझे लगता है कि जब हम अलग वातावरण की ओर जा रहे हैं, देश में छोटे व्यापारियों और ट्रेडर्स को अच्छे नजरिए से देखा जाने लगा है, सारे लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हुए और भी गुंजाइश है।

आप जानते हैं कि कई भारतीय कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियों की सब्सिडरी बनकर काम करती हैं। काम करते समय उनके रिटर्न ईयर, एकाउंटिंग ईयर को अगर जनवरी से दिसंबर करना है, हमारे यहां एकाउंटिंग ईयर मार्च तक है, इसके लिए पहले उन्हें एनसीएलटी में जाना पड़ता था। इस बिल में प्रावधान है कि अब कंपनियों का यह निर्णय सरकार के पास रहेगा, एनसीएलटी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस के आर्टिकल में किसी कंपनी को चेंज करना है तो उसके अंदर हर बार एनसीएलटी के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, लेकिन अब ईज़ ऑफ डुइंग बिजनेस के लिए अब दरवाजे सरकार के होंगे।

जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, यहां शैल कंपनियों की बात चली। ऐसा महसूस किया गया वर्ष 2004 से 2014 तक की सरकारों में शैल कंपनियों की बहुत भरमार थी। इस भरमार के कारण ट्रांसपेरेंसी पर नकेल कसने के लिए यह सरकार प्रतिबद्धता से न केवल अमेंडमेंट्स लाई बल्कि अमेंडमेंट्स के बाद बिल में प्रावधान भी किया है जिसके कारण देश में शैल कंपनियों की संख्या घटी है। इस बिल के द्वारा एड्रैस या अन्य प्रोवीजन्स के कारण अब शैल कंपनियों पर काम भी हो रहा है।

मैं सरकार का अभिनंदन एकाउंटिबिलिटी के मामले में भी करूंगा । मैं इस सदन में नये सदस्य के रूप में आया हूं, सीएसआर एक्टिविटी का मुद्दा उठा, मैंने पिछले एक महीने में दो बार सीएसआर पर माननीय मंत्री जी को जवाब देते हुए सुना। उन्होंने जवाब में कहा कि सीएसआर की एकाउंटिबिलिटी, जो कंपनियों के ऊपर डाली गई है, में सीएसआर में लोगों की मदद करने के लिए और देश में कंट्रीब्यूशन करने के लिए इन कंपनियों का प्रावधान किया गया है। पहले की सरकारों के समय पोलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता था, लेकिन अब जनभागीदारी का कंट्रीब्यूशन है।

सरकार ने कंपनियों पर जिम्मेदारी डाली है कि जिसने जिस क्षेत्र में काम करना है, उसमें अपने आप कंट्रीब्यूशन करना है। मैं इस बिल का प्रावधान पढ़ता हूं -

> " Any amount remained unspent under Section 5 pursuant to any on-going project fulfilling such condition as may be prescribed undertaken by a company in pursuance of its corporate social responsibility policy shall be transferred by the company within the period of 30 days from the end of the financial year in special account."

यह जो प्रोविजन किया गया है, यह कंपनियों को जवाबदेह बनाता है कि यदि आप सीएसआर फंड के पैसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपको यह पैसा 30 दिन के अंदर एकाउंटिंग ईयर के बाद ट्रांसफर करना होगा। मुझे लगता है कि यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहां के सांसदों ने जो प्रश्न उपस्थित किए थे तो माननीय मंत्री जी ने इस पर जवाब देते वक्त कहा था कि हम कंपनी एक्ट में इसका संशोधन लाएंगे। सरकार अपनी मंशा के अनुसार इसमें संशोधन लाई है और यह संशोधन बताता है कि अगर कार्पोरेट कंपनियां अपने-आप खर्च नहीं करेंगी तो उनको ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी होगी।

मैं आर्थिक राजधानी से आता हूं। मैं आपके माध्यम से इस बिल के अंदर, एक छोटे से प्रोविजन के ऊपर कहना चाहता हूं कि जब हम स्टार्टअप या एमएसएमई कंपनियों को प्रोत्साहित करने की बात करते हैं, जब उनके शेयर्स डीमैट करने होते हैं, एक करोड़ रुपये से कम वाली कंपनियों को थोड़ी छूट दी जाए। सरकार इसके लिए प्रयत्न करे, ऐसी मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Companies (Amendment) Bill, the objective of which is to facilitate and promote the ease of doing business and to improve corporate governance.

First, I would like to come to Clause 2 of the Bill, which proposes to amend section 2(41) which deals with change of the financial year. If you look at the 1956 Act, it was open to the company to determine any period as their financial year depending upon the various aspects of the company, such as holding companies incorporated outside India, etc. The 2013 Act took away this leverage given to the companies by introducing the concept of a uniform financial year. Now, the proposed amendment is asking companies to submit applications to the Central Government. I do not know how this is going to help or smoothen the affairs of a company. So, I would like the hon. Minister to explain this, please.

Secondly, I understand a proposal is making rounds in the Ministry to make calendar year as the financial year. I am not in favour of this. Since the change of the financial year means change in book keeping, HR practices, accounting software and taxation system, which involve costs running into crores of rupees for companies, and it would be extremely difficult for them to incur that type of expenditure, given the present circumstances. So, maybe, we can look at this when the economy is doing better. But at the present time, when most of the companies are already stressed out, this may not be the right timing for that, is my suggestion.

The next point I would like to make is that it appears that the Bill is re-instating section 149 of the 1956 Act. Of course, it was applicable only to public companies. Now you are putting restriction on every company having share capital not to commence its business or to get borrowings unless the Directors file declaration within 180 days. If the Directors fail, the Registrar will strike off the name of the company. I feel that this is a bit harsh and the period prescribed also is a bit less. So, I request you to please consider increasing this period to one year rather than 180 days.

The next point I wish to point out is relating to anomalies between SEBI regulations for governing the listed companies on the one hand and the provisions of the Companies Act on the other hand. In the name of governance, provisions of the Companies Act are being undermined. For example, the recent amendments to the Listing Regulation provide that the Chairman and Managing Director in a listed company should not be related to each other. So, I would request the hon. Minister of Corporate Affairs to please look into this. While the SEBI says one thing, the Companies Act says something else.

The next point is, while the Companies Act provides for an ordinary resolution for payment of remuneration to the Managing Director up to five per cent but under the Listing Agreement, payment of remuneration of above 2.5 per cent of profits of the company should be approved through a special resolution, and the promoters, being interested, are not allowed to vote. So, I would request you to please look into this contradiction as well.

With regard to related party transactions, in the normal course and an arm's length pricing basis, no approval is needed under the Companies Act. But under the listing provisions, special resolution needs to be passed if the transaction is a material related party transaction and 10 per cent of the turnover is considered a material related party transaction. So, this is one more contradiction.

Finally, there is no doubt that all the provisions are meant for furthering good corporate governance. But if you look at them in the Indian perspective, where majority of the businesses are family-owned, these provisions may create some hurdles. Even our listed companies, I think about 80 per cent, are family-managed companies. This is not only in India but actually world over this happens to be the case. But in our country, it is even more so.

Some of the provisions, especially when it comes to family having succession plans and generational changes taking place, make it more difficult for that to happen. I think that would not be good for the companies, for the economy and for the country. I also urge you to please look into the contradictions between the Companies Act and the SEBI-Listing Agreement.

With these few comments, I support the Bill. Thank you very much for this opportunity.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Thank you, Madam, Chairperson, for giving me an opportunity to talk on this very important Bill, which is the Companies (Amendment) Bill, 2019.

It is a matter of great pride that this Government, led by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, has worked effectively towards reducing the policy paralysis and stagnation of economy during the UPA Government which was plagued with uncertainty and the investments were not flowing which led to a sluggish growth and adverse impact on economy.

Our Government has taken several steps to create an environment conducive for business and investment which has resulted in high FDI inflows and a number of foreign companies setting up their units in India. We have also recorded a jump of 23 positions from 100 in 2017 to 77 in 2018 in the Ease of Doing Business Index, 2018. We were at 142nd position in the year 2014 which shows that how effectively this Government has worked for the economic development of our country and improved its ranking.

This amendment Bill has been brought after considering the recommendations of the Committee to Review Offences under the Chairmanship of Shri Srinivas with a mandate to review penal provisions under Companies Act 2013 and recommended restructuring of corporate offences to relieve special courts from adjudicating routine offences and reducing the load on National Company Law Tribunal (NCLT).

Recategorization of 16 out of 81 offences, which are in the category of compoundable offences to an in-house adjudication framework, wherein defaults would be subject to the penalty levied by an adjudicating officer, has been done. These offences include issuance of shares at a discount and failure to file annual return.

The Act states that a company may not commence business unless it files a declaration within 180 days of incorporation, confirming that every subscriber to the Memorandum of the company has paid the value of shares agreed to be taken by him and files a verification of its registered office address with the Registrar of Companies within 30 days of incorporation. If a company fails to comply with these provisions and is found not to be carrying out any business, the name of the company would be removed from the Register.

Under the Act, change in period of financial year for a company associated with a foreign company has to be approved by the NCLT. Similarly, any alteration in the incorporation document of a public company which has the effect of converting it to a private company, has to be approved by the Tribunal. Under the amendment Act, these powers have been transferred to the Central Government. I think this will help in checking money laundering as well as taking care of the shell companies. I think there are 2.5 lakh shell companies against which action has been taken by the Central Government.

The law mandates that firms with a networth of at least Rs.500 crore or revenue of Rs.1000 crore or net profit of Rs.5 crore should spend at least 2 per cent of their net profit on Corporate Social Responsibility (CSR). Any failure in this regard should be explained in the annual financial statement.

Madam, I would like to give a few suggestions on CSR. It was a very important and progressive concept for socio economic development brought under Companies Act and the amendment Bill has also sought to further amend Section 135 to deal with unspent funds. Corporate Social Responsibility is a good method to allow us, the Members of Parliament, to carry out different infrastructure activities. …(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, if the House agrees, we can defer the time of Private Members' Business till the passing of the Companies (Amendment) Bill.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: इस बिल को पास होने तक समय बढ़ा दिया जाए, उसके बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिल ले लिया जाए।

माननीय सभापति: क्या सभी सदस्य सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): मैडम, प्रत्येक शुक्रवार को इसी तरह की समस्या पैदा होती है। मेरा सरकार और चेयर, दोनों से यह आग्रह है कि उस दिन यदि बिल पास कराना हो तो लंच ऑवर नहीं लिया जाए, क्योंकि यह मेंबर्स का हक है और बार-बार ऐसा न हो।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैडम, डॉ. निशिकांत दुबे जी का सुझाव ठीक है, आगे इस पर विचार किया जा सकता है।

माननीय सभापति : निशिकांत दुबे जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आपकी बात सुन ली है और आपकी बात रिकॉर्ड पर आ गई है।

Dr. Shinde, your time is over. Please conclude now.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I think, the changes are expected to lead to a greater compliance by corporates, de-clogging of the special courts, de-clogging of the NCLT and effective enforcement. At present, around 60 per cent of the 40,000 odd cases pending in courts pertain to sections dealing with procedural lapses that are proposed to be shifted to in-house adjudication mechanism, thereby incentivising compliance by corporates.

As a result of the amendments brought in, in future, the compounding cases load on NCLT will also come down significantly. The existing cases will be withdrawn from special courts by bringing out an amnesty scheme as there are inherent benefits in prescribing civil liabilities for procedural lapses instead of undertaking a criminal trial.

15.31 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

Now, I would like to come to the issue of diversion of funds by companies under CSR. CSR was a very important and progressive concept for socio-economic development brought under Companies Act and the Amendment Bill has also sought to further amend Section 135 to deal with unspent funds. Corporate social responsibility is a good method to allow development of many infrastructure related works, but it is found that few

corporates start their own NGOs and divert the funds meant for CSR to those NGOs to carry out the works specified under Schedule VII. I would urge the hon. Minister that following reforms should be brought under CSR. The economic threshold for companies to implement CSR should be lowered to bring more companies under its ambit. A penal provision should be introduced for companies who divert their CSR funds to their own NGOs to violate their obligations for tax avoidance purposes.

The spending under CSR does not get tax exemptions. Thus, corporates prefer to take up limited activities, such as Prime Minister Relief Fund under Schedule VII which attracts tax exemption. Hence, there is a need to bring changes to tax laws to incentivise companies for promoting and spending their CSR funds judiciously.

This Bill will ensure more accountability and better enforcement to strengthen the corporate governance norms and compliance management in corporate sector.

With these suggestions, I support the Bill and request the hon. Minister to take the CSR issue seriously. Thank you.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कंपनीज अमेंडमेंट बिल, 2019 में डीमैटेरियलाइजेशन का जो क्लॉज-7 है, पहले सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को इस क्लॉज में लिया जाता था, लेकिन अब क्लॉज-29 में सभी कंपनीज, चाहे वे प्राइवेट कंपनीज हों या पब्लिक कंपनीज हों, दोनों को ही इसके अंतर्गत ले लिया गया है। भले ही दूरगामी दृष्टि से यह एक अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन मेरा मानना है कि अभी बहुत ही छोटे टाइम-स्पैन में इन कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज इसमें लिस्ट की जा रही हैं, के ऊपर भारी समस्या आएगी। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि इस क्लॉज को फॉलो करने के लिए जो भारी-भरकम समस्या प्राइवेट कंपनीज पर आएगी, उसमें कोई रियायत दी जाए।

मैंडेटरी और स्ट्राँगर प्रॉविजन्स फॉर सीएसआर की हम सराहना करते हैं। गरीबों तक पैसा जरूर जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि वैसे इस देश में बहुत ज्यादा धन है, लेकिन बहुत कम लोग चैरिटी करते हैं। सीएसआर के बारे में क्लॉज-21 में जो प्रावधान किया गया है, मेरे हिसाब से यह एक हद तक उचित है। लेकिन क्लॉज-33 में अनफिट एंड इम्प्रॉपर पर्सन्स नॉट टू मैनेज दि कंपनीज के प्रॉविजन को देखा जाए तो सरकार ने इसमें कुछ सख्त रुख अपनाया है। इसमें सरकार ने एनसीएलटी के सामने यह बात मूव की है कि किसी मैनेजर को, कुछ ग्राउण्ड्स के ऊपर, जिनको बहुत ही वेगली वर्ड किया हुआ है, अनफिट डिक्लेयर किया जा सकता है। अगर सरकार किसी मैनेजर को अनफिट डिक्लेयर कर देती है तो वह पांच साल तक किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकता है।

मान्यवर, यह एक हद तक बहुत बड़ी नाइंसाफी लगती है, क्योंकि जो इस बिल को इम्प्लिमेंट करेंगे, उनको यह एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाएगा। इसके माध्यम से किसी को टारगेट करके उसको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा और वह व्यक्ति पांच साल तक किसी दूसरे बिजनेस का आगे क्रियान्वयन नहीं कर सकेगा। इस पर भी संज्ञान लेने की जरूरत है और सरकार

को इस पॉइंट पर जरूर सोचने की जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं यह इंडिविजूअल्स के लिए बहुत बड़ी समस्या साबित हो सकती है।

मैं इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Mr. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Bill.

I rise to speak on the Companies (Amendment) Bill, 2019. Firstly I would like to say that when we talk of the CSR I am reminded of Shri Sachin Pilot who introduced this. We are really proud of the CSR concept. Coming from an aspirational district, I can understand that the CSR amount being spent is really useful for the periphery development. This is something which we are really proud of.

Of course, there had been drawbacks in the Bill and a lot of amendments have been brought in. But the main reason why we have the amendment is to improve the ease of doing business. If we go by the World Bank Report, now we are 77, improved from 100. But if we go a bit deeper there are two aspects in this. In the case of protecting minority interests, we were ranked four, but now we are ranked seven. We are degrading their interests. As regards paying taxes, we were ranked 119, but now we are ranked 121. Due to demonetisation, incorrect GST and various tax flaws, people are affected and MSMEs are virtually destroyed in the country.

I asked a pointed question, which was answered by the hon. Minister regarding the KBK region in Odisha. Out of 5,000 and odd MSMEs, 2,000 had been closed may be due to demonetisation. So, when we say that this is to improve the ease of doing business, I would like to say that this is more in pen and paper, but when it comes to the people who actually run the MSMEs and small companies, there is no ease of doing business. We are virtually creating

hurdles by having multiple taxes. When we talk of GST, a normal Mumbai-based firm makes 13 tax payments in a year, spends 78 hours on this and coughs about 52 per cent of its profit. This is no simple GST and this is becoming more and more complicated.

We are talking about Foreign Institutional Investors coming to India. In July itself, I think, they have coughed up about one billion dollar. So, they are moving out instead of coming here.

Coming to 30-Share Sensex, which has risen to 1.75 per cent in May, now is corrected by four per cent. So, there is something wrong with the way we are moving the amendment, the Bills and the Ordinances, which is not certainly reflected in the market. …(*Interruptions*)

Let me come to the Bill. Some recommendations have been made here. There is a provision for in-house adjudication for minor offences. It used to be through a civil process, but now it is through an in-house adjudication. This can be taken for a ride by some people. They will treat it as cost of doing business and will take it for granted. They will say, 'Ok, let me pay this much money and do it.' So, the fear factor will not be there.

The reliability of technology-driven in-house adjudication mechanism is also questionable. We remember that when the GST was introduced, how may technological hiccups we have witnessed. The websites were crashing almost everyday. The same problem is there even now, but we are talking of technology-driven solutions.

Despite the regulation, the number of inactive registered companies continues to remain high. There is nothing that is happening to control this factor.

All the Bills are moving the power to the Central Government. What are we trying to do? We want to move everything from the State and from different Tribunals to the Central Government. We want to move everything to the Central Government. This is something which we need to check.

India's corporate sector consists 90 per cent of private companies. The provision under section 29 has now been extended to all the companies, private and public. This is nothing but demonetisation phase II and this will affect all the private companies.

So, with this I would say though I support the Bill, let us reconsider it by sending it to the Standing Committee. Thank you.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you, Hon. Speaker, Sir. I also thank all the Members who participated in the discussion on the Companies (Amendment) Bill, 2019.

Sir, to make sure that we do not lose sight of the larger picture, I will start with the observation made by senior Member, Prof. Saugata Roy. He said that in 2013, a very comprehensive Bill was passed which made him and others proud and it was the Companies Act, 2013 which we are constantly amending.

I would like to benefit from the observations made by Shri Pinaki Misra. In 2013, the Companies Act was duly passed in this House. I do not want to undermine the effort of this House in passing the Act. it is well agreed by both outside and inside the House and I take refuge in the words of Shri Pinaki Mishra that it is '2013 Companies Act'. I am not sure how it got passed. It was passed, but it threw itself to repeated demands for amendment. Now, this government is bringing in the amendments and earlier also it was done for two times between 2014 and 2019.

We are not driven by the Treasury Benches. Amendments are not the fancy of the Government. In fact, it was more driven by the demands of the stakeholders of the companies, auditors, cost accountants, registrars etc. All of them were having equal problem to execute and comply with the Act. As a result, when the Government is constantly being told that the Act does not live

up to the legislative intent, there is a need for us to respond and come up with the amendments.

Therefore, it is not right to comment that the Act which was passed in 2013 was comprehensive enough and ask us as to why we want to bring the amendments. I am sorry that I will have to underline this point that amendments are not just being brought in *suo motu*. They are being brought in because there is a demand to address the people's inconvenience. Of course, the ease of doing business factor is there. It is very dear to this Government and we want to make sure that we attend to ease of doing business.

We are attending to it, not on the norms which we have got for ourselves. Ease of doing business is for those companies which are facing the ground difficulties and they are not the big companies alone. In fact, small and medium companies are the ones for whom several measures have been taken by this Government.

Therefore, this set of amendments is having both the amendments which had been passed through the Ordinance and also the additional amendments. They are all for ease of doing business for small, medium and large companies and also any other companies which are being troubled because of the Companies Act, 2013.

Surely, the credit goes to the Government of 2013 which thought of having the Companies Act. But after considering all the things like Committees etc., it has been found that the Act is wanting. Therefore, we are going ahead with the amendments.

Several speakers have spoken on different aspects of it. I do respect the concerns expressed by Dr. Nishikant Dubey that we should not cut the time of the Private Members' business. So, instead of going into the larger picture, which I definitely wanted to give in great detail, I will contend my reply so that I do not encroach upon the time allotted for the private Members.

I will just respond to the questions which many of the Members have raised. It is not that I am reducing my job but I will be specific to save some time.

Shri Adhir Ranjan Chowdhury raised a lot of questions. Firstly, he started by saying: "I dislike the approach of going through the Ordinance". It was also repeated by Prof. Saugata Roy. Yes, I agree with them.

We do not want Ordinance. We certainly do not want to live with Ordinances only, and this attempt to get it into a Bill and with a sense of urgency, please appreciate, is only because the Ordinance's life is getting over by the end of this month, and unless I get this through now through the legislation, we are just going to have to live with Ordinances for which you will hate me. I do not want the system of continuing with Ordinances. Please consider passing this Bill because we want to legislate on it. This is the first response.

The shell company is something on which many Members have spoken. What actually is the definition of a shell company? Which one becomes a shell company? Shrimati Supriya, you also referred to it. It is not a fig of anybody's imagination, which talks about shell companies. Yes, the expression 'shell

company' is not used in the law or in the rules. But what are shell companies actually; which are they; and why do we take pride in saying that we have actually brought down quite a number of shell companies?

Nearly, four lakh inactive companies have been de-registered by us. What does this mean? It means that four lakh companies that were totally inactive not just for one or two years, but several years, and I would say probably even for more than five years they have remained inactive. Now, the provision that we are bringing in through the amendment by saying that 'declaration before the commencement of business' itself is an attempt to restore something, which was there before the 2013 law, but in 2015 for some odd reason it was removed. We are restoring it, and together with non-maintenance of registers and non-maintenance of a registered office, all these put together may loosely be defined as shell companies. If you did not have a proper registered office or if you did not declare the business with which you wanted to commence your business, then you become a shell company. Nearly, four lakh such companies in the last few years have really been identified and de-registered. This is on the shell company issue.

Now, we insist and through the amendment we are saying that non-maintenance of a registered office shall be made one of the stated grounds for striking off any company. So, physical registration of a registered company's address has now become absolutely necessary so that you do not run the risk of being defined as a shell company.

CSR again is something on which many Members were concerned. I will take a few extra minutes on talking about the CSR. There was this question asked as to why CSR funds cannot be used locally. Shrimati Supriya asked me this question. There is nothing under the rule, which stops the use of CSR fund for local requirements. In fact, the Government has nothing to do with it because it is now all very clearly stated that it is the company's board, which takes a decision on it. Actually, the way in which the funds have to be spent has been defined. There are 11 or 12 such clauses under which they can use it. Those are the ways in which the companies can spend their CSR money.

Broadly, which are the companies, which can come under this question of CSR. They are the ones which have at least Rs. 5 crore of profits or they are the ones who have Rs. 1,000 crore of turnover or those which have Rs. 500 crore net worth. Let me take this opportunity to say that India is probably the first country to make CSR a mandatory requirement by putting it into the Company Law itself. So, this is something that we need to recognize. The 2013 legislation itself talked about it. So, Yes, credit goes to you for having imagined that CSR will have to be put into it, but the way in which it got defined had to be finetuned over and over again and that is what we have done.

Now, what we are trying to suggest, through the amendments, is that if you have already started for a plan and prior to execution you have started spending some preparatory expenditure on the CSR, very well. It is great!

But if the companies have not really started commencing the expenditure itself, never mind, they will be given a window. The first year in which the companies probably start making a decision and just started spending the money initially, they will be given that one year plus three years in which they will have to steadily start spending the money for which they have already said that they have decided to spend the money on some account – CSR or some particular project – in which they want to spend the money. So, within three years, after the year in which the decision is taken, they have to give us a picture of where the money has been spent, i.e. 2 per cent of their total profit.

In case it does not happen, they will have to move their money into an escrow account. For the projects which are on-going, they get this time as a grace. But if they have not spent at all, if they have not really had a cause to talk about decisions on CSR, if they have not even identified the projects, if they have not even initiated the prior planning expenditure, within six months, the money should be put into a common account which can be spent, I think it was hon. Member, Raja ji, who suggested that it be spent through the Prime Minister's Relief Fund. Let that happen. We have in fact thought of it. Thank you for the suggestion. We have actually thought of it. If the companies have not even thought of starting to spend the money, let it go to anything for that matter but it will go to a common account. If the company has started something, identified something, we have given a one-plus-three-year window through which they can do it.

SHRI PINAKI MISRA : I would suggest that it should go to the Armed Forces Relief Fund.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): It should go to the Consolidated Fund of India.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No, it can go to the Consolidated Fund of India or some scheme. But there is a scheme of things under which the companies take a decision. So, it has now got to be put into the account so that the company will apportion that amount for a common cause and it cannot sit and wait for continuously taking a decision leaving us with an impression that the Companies Act, particularly, the CSR related aspects are interpreted as, "You have to comply or else you can just give an explanation". It is a regime – they comply or explain; do not comply, also explain. That is the not the regime that the CSR policy in the Companies Act, 2013 has.

The intent of the Companies Act, 2013 with regard to CSR was not 'do or don't but give an explanation and get out of it'. No! Just explanation does not do. They have to show it in their activity. If they have not spent it, they put it into an account from where it can be spent or if they have started spending, they show us within one plus three years that they have really been through with the process of decision making and they have started the spending. So, we have come to, at least, specifying details of it rather than leaving the company to say, "Well, it is only explanation, I can give it at any time".

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सब लोग संतुष्ट हैं।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Dhanyawad ji. I will go over to the point Shri Adhir Ranjan Chowdhury asked, "What is the reason for including private companies under Section 164 of the Act"?

It was a considered decision that non-compliance of the provisions of non-filing of financial statement, annual returns, non-payment of deposits and debentures etc. should result into some kind of disqualification for becoming directors in any kind of company including private companies for relevant five years. This was done so that we bring in good corporate practices and nothing more than that.

Shri Raja mentioned about the fear that there could be a discretionary element because once the Registrar or an individual is allowed to take a call without, let us say, a matrix of predetermined fines, it could lead to corrupt practices. Point well taken. But all actions taken by the Registrar are expected to be and shall be in pursuance of the rules through the MCA 21 system, after due process of law and giving adequate opportunity for the companies themselves and their Directors to respond to the notices. So, the discretionary element is actually gotten over by the fact that they have to do the three-stage process. And because of that, we do not expect that an individual or the Registrar of Companies would indulge in any kind of a personalised discretionary step.

SHRI A. RAJA: The phrase used is, 'If the Registrar has reasonable cause to believe'. So, the belief is attached to the person not to the body.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Absolutely. But after that reasonable belief, that person himself does not respond to the steps that have to be taken. It goes through a process. And the process thereof takes care of what you had suggested that instead of an individual there could be a group, which can be an institutionalised framework. It was your suggestion. But that is taken care of by the fact that it goes through the process.

Shri Pinaki Misra then referred to a point that the amendment on higher additional fees has to be brought about in the Amendment Act of 2017 to bring about greater discipline in filing of Annual Returns and Statements. The Bill already actually provides for a lesser penalty for smaller companies. So, it is not blind to the size of the company. It actually takes care of that one. Also, there are more lenient provisions for small companies and one-person companies. Therefore, the concern that he expressed, which is right, for the MSMEs is definitely kept in mind.

Again, going back to Supriya Ji, she asked as to which were the companies which were struck off. The companies which did not file Annual Returns and Financial Statements for two years or more, or did not apply for dormant status but existed without main activities were the ones to get struck off by the Registrar after following, again, a due process. It was not as if it was done overnight. Under Section 248, rules were made and followed.

Again, on NFRA she had questions. We are very committed to keep that institution strong. This is something on which you rightly wanted to take credit saying that it is a part of the 2013 Act. Yes, very well, but it did remain and go

through some kind of a teething trouble. But we are ensuring that it has the strength to function. Simultaneously, we wanted it to …(*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Would it be retrospective also in the NFRA?

SHRIMATI NIRMAL SITHARAMAN: At the moment we are not thinking in terms of a retrospective thing. But, of course, it will now simultaneously start initiating action against the auditors and other professionals, if there is misconduct. That is because we realise that many of the troubles of companies can be avoided if only timely action is taken by the concerned professionals who advise. If they fail to and if there is concrete evidence to prove that they have been failing in their duty, there will be action, whether it is individuals or companies.

Jayadev Galla Ji had also questions.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): If a Member is not present, reply need not be given.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: He is here.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं, उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब न दें।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : सर, वे यहां हैं।

Galla Ji, I wonder if my MoS is against my answering your questions!

16.00 hrs

You were questioning on the change of the accounting year for companies. The proposed amendment that we are bringing in is for companies which are present in India and also which are present abroad. In case, the companies present in India want to align the financial accounting year with group companies or holding companies, it is company specific, and therefore, we thought that they should approach the Central Government. It is not an excuse to gather more power to the Centre but it is company specific requirement and it is not blanket change for everybody. The spirit with which you said, maybe, in today's situation it would be too much for them to take that expenditure. Well, it is company specific and it is up to them to decide. If they want it, they can take it and if they do not want it, we are not forcing them. There is nothing which is being contemplated about bringing one financial year for anybody.

I will finally come to the last two hon. Members, Sir. Shri Manoj Kotak Ji said, "Can there be some relaxation to companies having less than one crore capital? Can they be exempted from dematerialisation requirement?" The proposed amendment which is here on board is only an enabling provision to empower the Central Government to prescribe classes of unlisted companies. The suggestion made by the hon. MP, therefore, shall be kept in view. But even the enabling provision that has been made now will take years for it to even find its cascading effect on companies at the ground level.

Lastly, I would like to reply to the question raised by Shri Ritesh Pandey Ji. Is he here or shall I save time not replying him? I think, he is not here. His question was about the fit and proper position of the companies' definition.

Sir, therefore, I would like to underline that the proposed amendments are largely for ease of doing business. Most of the proposed amendments are those which have already come into force through the Ordinance because notifications were issued. The proposed amendments, other than those which have come through the notification, are the ones which are largely being brought in for bringing in a better governance framework and also to look at the welfare of small and medium enterprises, about which quite a few Members mentioned. It will be reducing the burden on them, compounding offences being reduced to non-compounding offences, so that those who have done small omissions or commissions of compliance will be treated with kid gloves. So, in the larger picture, we are looking at a Companies Act which will be far more friendlier for companies to keep in mind and comply rather than worry about the implementation of it.

I would seek all Members' cooperation in having this Companies (Amendment) Bill, 2019 passed so that we get out of the Ordinance kind of a situation into a legislative situation. If the words of Dr. Pinaki Mishra have got to be taken, more inputs to come, letters from you are welcome, as you suggested. And if there is a need in order to bring in better ease of doing

business, we are willing to bring in any other amendment which will fundamentally change the spirit with which we can work.

Thank you very much for giving me the opportunity.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I observe that our hon. Finance Minister is pursuing a carrot and stick policy. Persons who follow and abide by rules will be rewarded and those who do not will be put into difficulty. And they have to bind their pockets. The Government in this amendment will also be able to move against management persons on the grounds of not conducting and managing the business of a company on sound business principles. That is point number one.

The second point is this. If a person is declared not fit and proper by the Tribunal, he would not be able to hold the office of a Director and other managerial posts.

अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इसमें ग्रीवान्स रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को गलत तरीके से निकाला जाए, तो इसमें एक गलत मैसेज भी जाएगा। इसलिए एक ग्रेवान्स रिड्रेसल मैकेन्जिम होना चाहिए। मैं खासकर जिस मुद्दे को उठाना चाहता हूं, वह है सीएसआर, उसे मैंने पहले भी उठाया है। सीएसआर एक दूसरे किस्म का टैग है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपने कहा है कि इसका अकाउंट मेन्टेन करने जा रहे हैं। हम गरीब एमपी इस सीएसआर का फंड मांग रहे हैं, आप कहती हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर फंड को दे दूंगी। हम यह जानना चाहते हैं कि हर साल कितने सीएसआर फंड मोबिलाइज होते हैं? आप कितने सीएसआर फंड सालाना मोबिलाइज कर पाते हैं, कितने सीएसआर फंड अनस्पैंड रह जाते हैं? यह देखा जाता है कि सीएसआर फंड, मतलब भूख से बचने के लिए, पावर्टी से बचने के लिए सिर्फ 6 फीसदी इस्तेमाल होता है। सीएसआर फंड की प्रायरिटी तय करें और यह ऐसा न हो, जहाँ उनकी इंडस्ट्री है, वह उसके आस-पास होगा। जहाँ जरूरत है, वहाँ इसको इनवेस्ट करना चाहिए। आप सालाना कितना सीएसआर फंड का इस्तेमाल रोजगार के लिए करते हैं और इसमें कितना अनस्पैंड रह जाता है, यह जानकारी देने से हम खुश होंगे। मैंने पहले भी आपको कहा कि हिन्दुस्तान में 115

ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं। क्यों नहीं यह सीएसआर फंड गरीब जिलों में बाँटा जाए। इसमें मेरा जिला मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट भी है। हम ये दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप संकल्प के बारे में बताइये।

श्री अधीर रंजन चौधरी : हमारा जो स्टेच्युटेरी रिजॉल्यूशन है, मैं इसको विदड्रा करना चाहता हूँ। ये जनहित की बात करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह वापस लिया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अधीर रंजन जी, हम जब भी जनहित की बात करते हैं, कभी-कभी आपको मालूम होताहै कि यह प्रॉब्लम है।

माननीय अध्यक्ष :क्या सभा की यह इच्छा है कि श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को वापस लिया जाए?

<u>सांविधिक संकल्प को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।</u>

माननीय अध्यक्ष :निशिकान्त जी, आप पूछिए।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष जी, केवल दो-तीन चीजें थीं, जो मुझे लगा कि बतानी हैं। यह जो सीएसआर फंड है, यह किसी यूपीए सरकार का इनिशिएटिव नहीं है, यह सीएसआर हमारा इनिशिएटिव है। श्री भर्तृहरि महताब साहब, मैं, श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री यशवंत सिन्हा और श्री गुरुदास दासगुप्ता…(व्यवधान) स्टैंडिंग कमेटी ने चार बार इस बिल को लौटाया। इसी कारण यह सीएसआर बना था। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी बजट में माननीय मंत्री जी ने एक लेगेसी डिस्प्यूट मेकेनिज़्म बनाया है। उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स एक्ट है, सीबीईसी एक्ट है, अभी हम जो बिल पास कर रहे हैं- कम्पनी एक्ट है, जो आरबीआई की डेफिनेशन है, सेबी की डेफिनेशन है, हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड किया है, इन सभी की डेफिनेशन्स अलग-अलग हैं, चीजों के बारे में कि व्यक्ति कौन होगा, डिपोजिटर कौन होगा, कम्पनी कौन सी होगी? मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि क्या इस तरह की लेगेसी डिस्प्यूट, क्योंकि पिनाकी मिश्रा साहब बैठे हुए हैं, कोर्ट में हमेशा इसी डेफिनेशन पर ही लड़ाई होती है, क्या सारे एक्ट्स की

एक तरह से कम से कम डेफिनेशन सही करने के लिए फाइनेंसमिनिस्ट्री कोई कमेटी बनाएगी? यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है।

माननीय अध्यक्ष : पी.पी. चौधरी जी, आप क्लेरिफिकेशन पूछा करो।

SHRI P. P. CHAUDHARY : Hon. Speaker, Sir, my only question is with respect to CSR fund. I want to know whether the Government intends to go for the audit of CSR fund.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बहुत सारी कम्पनीज में प्रैक्टिस देखी गई है कि वह सीएसआर फंड को अपने ही किसी परिवार की फाउंडेशन में ट्रांसफर कर देती है और खर्च नहीं करती है तो उसकी भी ऑडिटिंग होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के सीएसआर की माननीय मंत्री जी को बहुत चिन्ता है। इसलिए माननीय मंत्री जी ने आपको सर्कुलर भी भेजा है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: हाँ जी।

माननीय अध्यक्ष :ठीक है।

प्रश्न यह है:

"कि कम्पनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष :अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 से 44

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 44 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 44 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब गैर-सरकारी विधेयक के प्रस्ताव शुरू होने वाले हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि जो जीरो ऑवर में लिस्टेड नाम हैं, केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को 6 बजे के बाद बोलने का मौका दिया जाएगा। अनलिस्टेड जीरो ऑवर आज नहीं होगा।

श्री हिबी इडन।

आप अपने दोनों प्रस्ताव एक साथ बोल दीजिएगा।

16.11 hrs

(Shri N.K. Premachandran *in the Chair*)

PRIVATE MEMBERS' BILLS - Introduced

(i) Good Samaritan Bill, 2019*

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to mandate emergency medical treatment by hospitals and medical practitioners to victims of accidents without raising any objection that the cases are medico-legal and without demanding any advance payment as a condition for providing of emergency medical treatment and to provide legal protection to good Samaritan and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to mandate emergency medical treatment by hospitals and medical practitioners to victims of accidents without raising any objection that the cases are medico-legal and without demanding any advance payment as a condition for providing of emergency medical treatment and to

* Published in the Gazette of India, Extraoridnary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

provide legal protection to good Samaritan and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI HIBI EDEN : I introduce the Bill.

16.11 ½ hrs

(ii) Companies (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 135, etc.)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Companies Act, 2013. "

The motion was adopted.

SHRI HIBI EDEN : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridnary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.12 hrs

(iii) Protection of Medical and Health Service Professionals from Assault, Criminal Force and Intimidation Bill 2019*

SHRI GAUTAM GAMBHIR (EAST DELHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for protection of Medical and health service professionals against assault, use of criminal force and intimidation and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for protection of Medical and health service professionals against assault, use of criminal force and intimidation and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI GAUTAM GAMBHIR : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridnary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.12 ½ hrs

(iv) Milk and Milk Products (Remunerative Support Price) Bill, 2019*

श्री देवजी पटेल (जालौर):मैं प्रस्ताव करता हूं कि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का न्यूनतम लाभकारी समर्थन मूल्य निर्धारित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for fixation of minimum remunerative support price of milk and milk products and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री देवजी पटेल :महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridnary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.13 hrs

(v) Fodder Warehouse Board Bill, 2019*

श्री देवजी पटेल (जालौर):मैं प्रस्ताव करता हूं कि अकाल, सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित स्थानों में पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध कराने के लिए चारा भाण्डागार बोर्ड की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for establishment of a Fodder Warehouse Board for making available fodder and water to animals in places affected by natural calamities like famine, drought or flood and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री देवजी पटेल :महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridnary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.13 ½ hrs

(vi) Indigenous Cow Protection Board Bill, 2019*

श्री देवजी पटेल (जालौर):मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वदेशी गौ और उसकी संतति के संरक्षण के प्रयोजनार्थ एक बोर्ड तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of a Board for the protection of indigenous cow and its progeny and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री देवजी पटेल : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, Dated 26.7.2019.

16.14 hrs

(vii) Mandatory Buyback and Recycling of Packaging Material Bill, 2019*

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू):महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) कंपनियों द्वारा प्रयुक्त प्लास्टिक रैपिंग या पैकिंग सामग्रियों का प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से पुनःचक्रण और व्यक्तियों तथा कंपनियों में जिम्मेदारी, जवाबदेही तथा जागरूकता उत्पन्न करने को सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित किए जाने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for constitution of a Committee to ensure that plastic wrapping or packing materials used by Fast Moving Consumer Goods (FMCG) companies are recycled with a view to reduce pollution and bring in a sense of the responsibility, accountability and awareness in the individuals and companies and for matters connected therewith or incidental thereto."

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

The motion was adopted.

श्री विष्णु दयाल राम :महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Shri Sudhakar Tukaram Shrangre – Not Present.

Shri Ravneet Singh – Not Present.

16.14 ½ hrs

(viii) Special Financial Assistance to the State of Rajasthan Bill, 2019*

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुचित जनजातियों और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजनार्थ और इसके संसाधनों के विकास, विदोहन और समुचित उपयोग के लिए राजस्थान राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for special financial assistance to the State of Rajasthan for the purpose of promoting the welfare of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Section of society and for the development, exploitation and proper utilisation of its resources."

The motion was adopted.

डॉ. मनोज राजोरिया : महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.15 hrs

(ix) Extension of Central Government Health Scheme to Every District Headquarter Bill, 2019*

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय तक विस्तारण करने तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for extension of Central Government Health Scheme facilities to every district headquarter in the country and linking the Central Government Health Scheme card to Aadhaar number and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

डॉ. मनोज राजोरिया : महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray – Not Present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

<u>16.15 ½ hrs</u>

(x) Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2019

(Substitution of new section for section 3)*

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): I beg to movefor leave to introduce a Bill further to amend thePrevention of Insults to National Honour Act,1971.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971."

The motion was adopted.

SHRI PARVESH SAHIB SINGH VERMA (WEST DELHI): I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, Dated 26.07.2019.

16.16 hrs

(xi) Constitution (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of the Preamble, etc.)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraoridnary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.16 ½ hrs

(xii) Use of Mobile Electronic Devices by Pedestrians on Road (Regulation) Bill, 2019*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate the useof mobile electronic devices by pedestrians onroad and for matters connected therewith orincidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to regulate the use of mobile electronic devices by pedestrians on road and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I introduce the Bill.

____

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.17 hrs

(xiii) Euthanasia (Regulation) Bill, 2019*

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):I beg to move for leave to introduce a Bill to regulate termination of life of persons who are in a permanent vegetative state or terminally ill and facing unbearable suffering and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to regulate termination of life of persons who are in a permanent vegetative state or terminally ill and facing unbearable suffering and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.17 ½ hrs

(xiv) Insecticides (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 4, etc.)

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि कीटनाशी अधिनियम, 1968 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Insecticides Act, 1968."

The motion was adopted.

डॉ. मनोज राजोरिया : महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.18 hrs

(xv) Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 11, etc.)

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act,1960."

The motion was adopted.

डॉ. मनोज राजोरिया : महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.18 ½ hrs

(xvi) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill, 2019*

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted tointroduce a Bill further to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015."

The motion was adopted.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा :महोदय,मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.19 hrs

(xvii) Compulsory Teaching of Legal Education in Educational Institutions Bill, 2019*

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि शैक्षिक संस्थाओं में विधि शिक्षा के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of legal education in educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री सुधीर गुप्ता : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.19 ½ hrs

(xviii) Prohibition of Defecation in Open Places Bill, 2019*

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि खुले स्थानों को स्वच्छ एवं रोग मुक्त रखने हेतु खुले स्थानों पर शौच और मूत्र विसर्जन का प्रतिषेध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for prohibition of defecation and urinating in open places in order to keep open places clean and disease free."

The motion was adopted.

श्री नारणभाई काछड़िया : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, Dated 26.07.2019.

16.20 hrs

(xix)Bureau of Accountability Bill, 2019*

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उपाय सुझाने, प्रशासन को कुशल बनाने के लिए जवाबदारी ब्यूरो की स्थापना करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Billto provide for the establishment of a Bureau of Accountability to suggest measures for rooting out corruption, making the administration efficient and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री नारणभाई काछड़िया : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.20 ½ hrs

(xx) Compulsory Teaching of Disaster Management Education in Educational Institutions Bill, 2019*

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं किसभी शैक्षिक संस्थाओं में आपदा प्रबंधन शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण प्रदान करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Billto provide for compulsory teaching of disaster management education in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री नारणभाई काछड़िया :महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.21 hrs

(xxi) Compulsory Teaching of Psychology in Educational Institutions Bill, 2019*

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं किसभी शैक्षिक संस्थाओं में मनोविज्ञान के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of psychology in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री नारणभाई काछड़िया : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.21 ½ hrs

(xxii) Special Financial Assistance to the State of Bihar Bill, 2019*

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तथा इसके संसाधनों के विकास, विदोहन और समुचित उपयोग के लिए बिहार राज्य को विशेष वित्तीय सहायता का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Billto provide for special financial assistance to the State of Bihar for the purpose of promoting the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Sections of people and for the development, exploitation and proper utilization of its resources."

The motion was adopted.

डॉ. आलोक कुमार सुमन : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section2, dated 26.07.2019.

16.22 hrs

(xxiii) Representation of People (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 30)

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951. "

The motion was adopted.

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section2, dated 26.07.2019.

<u>16.22 ½ hrs</u>

(xxiv) Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2019*

(Amendment of Section 2)

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009."

The motion was adopted.

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section-2, dated 26.07.2019.

16.23 hrs

(xxv) Nationalisation of Inter-State Rivers Bill, 2019*

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for nationalization of inter-State rivers for the purpose of equitable distribution of river water amongst the States and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for nationalization of inter-State rivers for the purpose of equitable distribution of river water amongst the States and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI K. NAVASKANI : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

<u>16.23 ½ hrs</u>

(xxvi) National Agriculture and Farmers Commission Bill, 2019*

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Agriculture and Farmers Commission for welfare of farmers and comprehensive development of agriculture and for matters connected therewith.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a National Agriculture and Farmers Commission for welfare of farmers and comprehensive development of agriculture and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

SHRI K. NAVASKANI : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section2, dated 26.07.2019.

16.24 hrs

(xxvii) Death Penalty (Abolition) Bill, 2019*

SHRIMATI KANIMOZHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to abolish death penalty in the country.

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to abolish death penalty in the country."

The motion was adopted.

SHRIMATI KANIMOZHI : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.24 ½ hrs

(xxviii) Criminal Law (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of section 228A, etc.)

SHRIMATI KANIMOZHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860 and the Code of Criminal Procedure, 1973."

The motion was adopted.

SHRIMATI KANIMOZHI : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section2, dated 26.07.2019.

16.25 hrs

(xxix) Central Himalayan States Development Council Bill, 2019*

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुंमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद नामक एक परिषद की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the setting up of a Council to be called the Central Himalayan States Development Council to formulate development plans and schemes and also monitor their implementation for the balanced and all-round development of the hilly States comprising the Central Himalayan region and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्री तीरथ सिंह रावत :मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section2, dated 26.07.2019.

16.25 ½ hrs

(xxx) Compulsory Teaching of Yoga in Educational Institutions Bill, 2019*

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी शैक्षिक संस्थाओं में योग के अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for compulsory teaching of Yoga in all educational institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री तीरथ सिंह रावत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.26 hrs

(xxxi) Special Infrastructure Development in Economically Backward Regions Bill, 2019*

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश के विशेषकर बिहार राज्य के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके रिंग रोड, बाईपास का निर्माण, सिंगल रेल ट्रैक लाइन को डबल करके, रेलवे ट्रैक पर सीधी आकृति में ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज निर्माण करके, क्षेत्रीय हवाई पट्टियों के निर्माण, पोतघाटों का निर्माण, उनकी गाद निकालकर उनका सौन्दर्यकरण करके अवसंरचना विकास के लिए अवसंरचना विकास बोर्ड का गठन करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the constitution of an Infrastructure Development Board for the infrastructure development of the economically backward regions of the country particularly in the State of Bihar by way of widening of National Highways, construction of ring road, bypass, doubling of a single rail track line, construction of over bridge under bridge in straight structure on railway tracks, construction of regional air

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

strips, construction of jetties, desilting and beautification thereof and for matters connected therewith or incidental thereto.”

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

16.26 ½ hrs

(xxxii) Prevention of Bribery in Private Sector Bill, 2019*

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं प्रस्ताव करती हूं कि रिश्वत को दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने और निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण करने के लिए प्रभावी पद्धतियों का संप्रवर्तन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to establish bribery as a criminal offence and to promote effective practices to prevent bribery in private sector and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.27 hrs

(xxxiii) Provision of Uninterrupted Power Supply to Industries in Backward Areas Bill, 2019*

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं प्रस्ताव करती हूं कि देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को ऐसे क्षेत्रों में समग्र औद्योगिक विकास सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति किए जाने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for uninterrupted power supply to the industrial units operating in the industrially backward areas of the country in the Central Government to ensure the overall industrial backward development of such areas and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extaordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.27 ½ hrs

(xxxiv) Fake News (Prohibition) Bill, 2019*

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं प्रस्ताव करती हूं कि मिथ्या समाचारों के सृजन तथा उनके प्रसार का प्रतिषेध करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to prohibit the creation and distribution of fake news in media and for matters connected therewith."

The motion was adopted.

श्रीमती रमा देवी : महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.28 hrs

(xxxv)Ban on Single-Use Plastic Bill, 2019*

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for a complete ban on single-use plastic materials and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for a complete ban on single-use plastic materials and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section2, dated 26.07.2019.

16.28 ½ hrs

(xxxvi) Prevention of Violence Against Doctors, Medical Professionals and Medical Institutions Bill, 2019*

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the prevention of violence against doctors, medical professionals and medical institutions and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of violence against doctors, medical professionals and medical institutions and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.29 hrs

(xxxvii) Constitution (Amendment) Bill, 2019

(Insertion of new article 47A)*

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.29 ½ hrs

(xxxviii) Free and Compulsory Pre-Marital Genetic Testing Bill, 2019*

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free and compulsory pre-marital genetic testing for couples planning to get married or start a family in order to identify common genetic blood disorder like sickle cell, anaemia and thalassemia and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for free and compulsory pre-marital genetic testing for couples planning to get married or start a family in order to identify common genetic blood disorder like sickle cell, anaemia and thalassemia and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.30 hrs

(xxxix) Integrated Child Development Services (Regularisation) Bill, 2019*

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के नियमितीकरण और सार्वभौमीकरण तथा उससे संयुक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for regularization and universalisation of Integrated Child Development Services in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री विष्णु दयाल राम :महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.31 hrs

(xl) Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2019*
(Insertion of new section 207A)

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Motor Vehicle Act, 1988."

The motion was adopted.

श्री विनोद कुमार सोनकर :महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.32 hrs

(xli) Constitution (Amendment) Bill, 2019*
(Amendment of the Seventh Schedule)

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री विनोद कुमार सोनकर :महोदय,मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.33 hrs

(xlii) Fishermen (Welfare) Bill, 2019*

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of fishermen in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for the welfare of fishermen in the country and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI H. VASANTHAKUMAR : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.34 hrs

(xliii) Free and Compulsory Primary, Secondary, Higher and Technical Education Bill, 2019*

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANNIYAKUMARI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for free and compulsory primary, secondary, higher and technical education to every child in order to eradicate illiteracy and overall development and for deterrent punishment to those who prevent their children from going to school and pursuing their studies in any manner and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for free and compulsory primary, secondary, higher and technical education to every child in order to eradicate illiteracy and overall development and for deterrent punishment to those who prevent their children from going to school and pursuing their studies in any manner and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI H. VASANTHAKUMAR : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette if India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

<u>16.35 hrs</u>

(xliv) Personal Data and Information Privacy Code Bill*

SHRI D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to establish an effective regime to protect, promote and fulfil the fundamental right to privacy of all natural persons and protect personal data concerning them, to set out conditions upon which surveillance of natural persons and interception of communications may be carried out, to constitute a Privacy Commission and for matters connected therewith and incidental thereto.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to establish an effective regime to protect, promote and fulfil the fundamental right to privacy of all natural persons and protect personal data concerning them, to set out conditions upon which surveillance of natural persons and interception of communications may be carried out, to constitute a Privacy Commission and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

SHRI D. RAVIKUMAR : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette if India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

16.36 hrs

(xlv) Compulsory Voting Bill, 2019*

HON. CHAIRPERSON: Now, Bills for consideration and passing.

Item No. 78 – Further discussion of the following motion:

"That the Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith, be taken into consideration."

It has already been moved by Shri Janardan Singh Sigriwal on 12 July, 2019. Now, Shri Jagdambika Pal to continue the discussion.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सभापति जी, मैं जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा प्रस्तुत प्राइवेट मैम्बर बिल, जो देश के सभी मतदाताओं को अनिवार्य रूप से कम्पलसरी वोटिंग के प्रोवीजन से संबंधित है, के समर्थन में बोल रहा हूं। देश में कई वर्षों से आम मतदाताओं की बात पर लगातार एकेडेमिक डिबेट चल रही है कि कम्पलसरी वोटिंग हो। इस बात के लिए पूरे देश में लगातार इसकी चर्चा होती रही है। यह सदन भी इस बात का गवाह है कि 17वीं लोक सभा के पहले सत्र में ही इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू हुई। 16वीं और 15वीं लोक सभा में भी इस पर चर्चा हुई।

16.37 hrs (Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

इस विषय पर समय-समय पर माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा हो चुकी है। आज कम्पलसरी वोटिंग की बात क्यों हो रही है? कम्पलसरी वोटिंग की बात इसलिए हो रही है कि in a democracy, the Government can only be 'of the people, by the people, for the people'. इस देश की डेमोक्रेसी में प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनाव होता है, सरकार चुनी जाती है जो जनता के लिए होती है, जनता के द्वारा होती है और जनता के हितों की रक्षा के लिए होती है।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 2, dated 26.07.2019.

ऐसा तभी होगा जब कम्पलसरी वोटिंग से सभी लोगों का पोलिटिकल पार्टिसिपेशन हो, सबकी हिस्सेदारी हो । पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के चुनाव में, जैसे मसल पावर, मनी पावर, कास्ट पोलिटिक्स या रीजन की पोलिटिक्स आदि के बारे में चर्चा होती है, शायद इसका भी समाधान यही है कि अधिक से अधिक या शतप्रतिशत मतदान हो।

इस बार लोक सभा में अगर अधिक मतदान हुआ है और इसी का नतीजा है कि 2019 के चुनाव में इस बार का टर्नआउट 67.11 परसेंट है, लेकिन इसके बावजूद 29 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाला, जो अन्य देशों की आबादी से भी अधिक है। अब भी 108 देश ऐसे हैं जिनकी वोटिंग परसेंटेज हमसे ज्यादा है। आखिर हम इस दिशा में क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? दुनिया के 22 राष्ट्र कम्पलसरी वोटिंग की तरफ जा चुके हैं और 11 महत्वपूर्ण देश जैसे बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, सिंगापुर ने सफलतापूर्वक कम्पलसरी वोटिंग का कानून बनाया है।

बेल्जियम में सबसे पुराना कम्प्लसरी वोटिंग का सिस्टम है, जिसका प्रोविजन वर्ष 1893 से चला आ रहा है। मैं समझता हूं कि आज यहां भी आवश्यकता हो गयी है। हम सबको, इस सदन को और सरकार को इसके लिए विचार करना चाहिए। जब प्रधान मंत्री जी पूरे देश में चुनाव के लिए निकले होंगे तो जहां एक तरफ नए भारत के निर्माण की बात कही होगी, एक बार वोटिंग की बात कही होगी या अपने दल की बात कही होगी तो चुनाव आयोग ने भी लगतार पूरे देश में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया होगा कि अधिक से अधिक मतदान हो, शत-प्रतिशत मतदान हो । शायद पहली बार किसी देश के पोलिटिकल लीडर या श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरे देश के मतदाताओं से अपनी हर सभाओं में अपील की थी कि अधिक से अधिक मतदान करें। इसके पीछे कारण क्या है? मैं समझता हूं इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होगा। अगर गांधी जी के उस कोट को याद करें- “Rights cannot exist without duty”. आज रोज देश की जनता इस बात की मांग करती है कि हमारे अधिकारों की रक्षा हो । उस अधिकार के लिए जब तक हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तब तक यह कल्पना कैसे साकार होगी। भारत की लोक सभा गेट नं. 1 पर, आप तो तीस वर्षों से आ रहे हैं, उस पर अरबी में लिखा है-

"इन्नलाही ला युगय्यरो मा बिकीमिन् ।

हत्ता युगय्यरो व बिन नफसे हुम ॥"

इसका अर्थ है कि "Almighty God will not change the condition of any people until they bring about a change themselves". आज हमारी लोक सभा के गेट नं.1 पर जो कार्विंग है, वह यहां आने वाले हम सभी सांसदों और पूरे देश के लिए एक संदेश है । आज खुशी की बात है कि हमारी पार्टी के लिए 17 राज्यों में 51 प्रतिशत से अधिक मतदान हुए हैं। यह हेल्दी डेमोक्रेसी और पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंगथन करता है। इस संदर्भ में एक बात रूसों की भी कही जा सकती है-"Men can be forced to be free". जब कोई किसी चौराहे के रेड लाइट पर गाड़ी रोकता है, तो यह नहीं कह सकता कि हमारी फ्रीडम इन्फ्रिंज हो रही या हमें रेड लाइट कह के रोक दिया गया। अगर मतदान के लिए कम्प्लसरी किया जाए तो इससे फ्रीडम इन्फ्रिंज नहीं होगा कि मैं वोट डालूं कि न डालूं। आज तो चुनाव में नोटा का प्रावधान है। आप वोटिंग करने जरूर जाएं । अगर आप किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो उसमें नोटा का भी प्रावधान है। जॉन एफ.कैनेडी ने भी कहा था-"Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country". इसका मतलब है कि देश आपके लिए क्या कर रहा है, आपका जो दायित्व और कर्तव्य है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? ड्यूटी के बारे में ए.पी.जे.अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था- "Where there is righteousness in the heart, there is duty in the character; where there is duty in the character, there is harmony in the whole; where there is harmony in the whole, there is order in the nation; and where there is order in the nation, there is peace in the world". अगर हम अपने दायित्व का निर्वहन या अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो निश्चित तौर से समाज शांति, सुख, समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। जब मैं कम्प्लसरी वोटिंग के समर्थन में कहता हूं तो चाहे गांधी जी, ए.पी.जे.अब्दुल कलाम साहब, रूसो, जॉन एफ. कैनेडी हों या अरबी में लोक सभा

गेट पर लिखा हो, मुझे लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं का भी सपना था कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रसी में जो गवर्नमेंट बने वह किसी एक वर्ग, सेक्शन या किसी रीजन का प्रतिनिधित्व न करे।

वह देश के हर नागरिक द्वारा चुनी हुई सरकार हो, तो सरकार की तरफ से वह काम तभी हो सकता है, जब सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। भारत के संविधान में अनुच्छेद 326 गारन्टी प्रदान करता है कि “Right to vote to every citizen above the age of 18” जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, अगर उन्हें भारत का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि उनको वोटिंग का अधिकार है तो ठीक है। उस समय के संविधान निर्माताओं ने इसे अनिवार्य इसलिए नही किया होगा, क्योंकि हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज रही होंगी। अनुच्छेद 326 का सेंस यह है कि देश में जो भी व्यक्ति18 वर्ष का हो जाए, उसे भारत का नागरिक होने का अधिकार हो, उसे नौकरी का अधिकार हो, वोटिंग का अधिकार हो, यह अपेक्षा हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। चाहे नवयुवक हो या नवयुवती हो उन सभी लोगों को चुनाव प्रक्रिया में मतदान करने का अधिकार होगा और सभी लोगों का शत-प्रतिशत मतदान होगा। आप रिप्रेजंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 62 में देखें तो उसमें भी यही है कि “state that every person who is in the Electoral Roll of the constituency will be entitled to vote” जो मतदाता सूची में होगा, उसको निश्चित तौर पर वोट देने का अधिकार होगा। चाहे चुनाव आयोग हो, सरकार हो, प्रधान मंत्री जी हो या तमाम समाज की मीडिया हो, इलेक्टोरल चैनल हो सभी लोगों ने एक अभियान चलाया और बड़े पैमाने पर पूरे देश में इस बात के लिए प्रयास किया कि मतदान के लिए एक अभियान चलाया जाए, जिससे सभी लोगों का इलैक्ट्रॉल कॉलेज में नाम दर्ज हो सके। यह बात कही जाएगी कि दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में जो अनिवार्य वोटिंग पर संस्तुतियां थी, वह नहीं दीं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आजहम अनिवार्य वोटिंग मांग रहे हैं या लोगों को एक अनिवार्य रूप से मतदान करने के अधिकार की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे यही कारण है। मैं समझता हूं कि चुनाव में आप और हम सभी चुनकर आते हैं। जब सबसे ज्यादा 100 प्रतिशत वोटिंग होने लगेगी तो जो भी पार्टियां कास्ट के आधार पर राजनीति कर रही है। जातियों

के आधार पर किस तरह के नारे दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे नारे दिए जाते है 'तिलक, तराजू और तलवार इनको मारे जूते चार' इस तरह के नारों के आधार पर भी चुनाव लड़े जाते हों, तो क्या यह किसी सभ्य पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात है। इस तरह के नारे समाज में वैमनस्यता पैदा करते है या लोगों के बीच में एक खाई पैदा करते है। मुझे लगता है कि इसका भी निश्चित तौर पर उत्तर यही है कि आज अगर शत-प्रतिशत लोगों को अनिवार्य वोटिंग का अधिकार होगा तो आने वाले दिनों में कास्ट की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी । जब बड़े पैमाने पर शत-प्रतिशत मतदान होगा, तो स्वाभाविक रूप से आप किसी मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। आप एक सेक्शन में कुछ लोगों को मनी पावर से या मसल पावर से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन अनिवार्य वोटिंग के बाद जब देश का हर मतदाता वोट देगा तो निश्चित तौर से आने वाले दिनों में लोकप्रियता के आधार पर देश के हित में जागरूकता आएगी। जो मजबूत आधार बनेगा वह भी अनिवार्य वोटिंग से ही बनेगा। नीति आयोग एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके सी.ई.ओ. श्री अमिताभ कांत है।

उन्होंने भी यह बात कही है कि आज जो वोटिंग पैटर्न होता है, इलेक्शन्स में देखा जाता है, देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ ही, जो लोग गांवों में रहते हैं, पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं, कहा जात है कि उन लोगों मे उतनी अवेयरनेस नहीं है। लेकिन आज भी देश की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा भागीदारी उनकी होती है जो सुदूर गांवों में, खेत-खलिहानों में बैठे हुए लोग हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, वहां खेतों में काम करती हुई महिलाएं हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हमारे वे मतदाता आज देश के मुस्तकबिल को, भाग्य और भविष्य को निर्धारित करने में, पर्व और त्योहार के तरीके से एक हिस्सेदारी करते हैं। …(व्यवधान) आपके निर्देश का पालन करूंगा। …(व्यवधान) मुंबई में 52 प्रतिशत वोटिंग हुई। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री जगदम्बिका पाल जी, आप 20 मिनट बोल चुके हैं। इस बिल के लिए दो घण्टे का समय दिया गया था। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): सर, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा।

विधि और न्याय मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): सभापति जी, क्या मुझे इसका उत्तर आज ही देना पड़ेगा?

माननीय सभापति: अगर सेंस ऑफ द हाउस होगा कि इसके लिए टाइम और बढ़ाया जाए तो कर सकते हैं। मंत्री जी को राजीव प्रताप रूडी जी का भाषण भी सुनना है।

श्री जगदम्बिका पाल : सर, मैं जल्दी ही अपनी बात खत्म कर दूंगा।

इसलिए, मैं समझता हूं कि इसके कारण क्या हैं, कम्पलसरी वोटिंग क्यों हो? आखिर सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहां से शुरू हुई? एथेंस से शुरू हुई, जिसे आज फाउंटेन हेड ऑफ आल डेमोक्रेसीज माना जाता है। मैं बहुत विस्तार से उन बातों को नहीं कहूंगा। एरिस्टॉटल ने भी कहा था:

> "If there is injustice in a society, every citizen will go to politics, except two types"

मुझे लगता है कि हमारी वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण है।Voting was so important in India that we became a democracy with universal adult franchise from day one of becoming republic. आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है। जिस तरह से आज दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है, तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर, चाहे यूनाइटेड नेशन्स हो, चाहे जी-20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, जिस तरह से प्रधान मंत्री जी ने देश के सम्मान को बढ़ाया है, आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत को एक लीड रोल में देखा जा रहा है। आज हम अगर इस दिशा में भी पहल करेंगे, अगर हम कहते हैं कि लोगों को जो बेनिफिट्स देते हैं, आखिर जिन कंट्रीज ने कम्पलसरी वोटिंग की व्यवस्था की है, उनको देखिए कि उन्होंने किस तरीके से किया है। आज वोटिंग के दिन लोग समझते हैं कि छुट्टी मिल गई है, घर में बैठे हैं और घर में बैठकर टी.वी. देख रहे हैं। यह सोचते हैं कि हॉलिडे हो गया है तो इन्जॉय करें। यह क्या है? अगर इस देश में अब भी यह मानसिकता है तो उन पर कम से कम यह फाइन ही लगाने की बात की जाए। ऐसा बहुत सी कंट्रीज में है। हम कैसे यह एन्श्योर कर सकते हैं कि पूरी वोटिंग हो। आखिर डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन

मेजॉरिटी होती है। आज हमें जिस तरीके से 303 सीटें मिली हैं, हमें इस बात का कांफिडेंस है कि हमें देश के आधे से अधिक राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक वोट्स मिले हैं। आज सामने ये जो बेंचेज खाली हैं, तमाम राज्यों में उनका खाता भी नहीं खुला है। हम लोग आज इसकी इसलिए वकालत कर रहे हैं कि सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति इलीट क्लास का हो, मिडिल क्लास का हो या अपर मिडिल क्लास का हो। मुझे लगता है कि कम्पलसरी वोटिंग से सिर्फ सरकार का चुनाव नहीं होगा। आप वर्ष 2005 की एक रिपोर्ट देखें, इंटरअमेरिकन डेवलपमेंट बैंक का एक पेपर आया था, which shows that there was a correlation between compulsory voting, when enforced strictly and improved income distribution.

यह आर्थिक समानता की ओर ले जाएगा। आज देश में हमारी सरकार है। देश में ऐसी सरकारथी, जो कहती थी कि देश की परिसंपत्तियों पर अल्पसंख्यकों का ही स्वामित्व है, उन्हीं की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज हमारे देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। वह कहती है कि देश की जो परिसंपत्तियां हैं, उन पर अगर सबसे पहला अधिकार गांवों में रहने वाले गरीबों, किसानों, महिलाओं और बहनों का है। आज हमारी सरकार की यह प्राथमिकता है, यह नीयत है। यह सरकार का कम्पलशन है। देश वर्ष 1947 में आजाद हुआ और वर्ष 1952 से चुनाव शुरू हुआ और वर्ष 1952 से सरकारें बनती रहीं, लेकिन करोड़ों लोग ऐसे थे, जिन्होंने बैंक के दरवाजे नहीं देखे थे। उनके हाथों में बैंक की पासबुक नहीं थी। आदरणीय मोदी जी ने 'जन-धन योजना' की बात की है। हर व्यक्ति का बैंकों में खाता खुले। पहले पांच सौ रुपये से कम में खाता नहीं खुल सकता था, जीरो बैलेंस पर कभी खाता नहीं खुल सकता था। आजादी के बाद देश में मोदी जी की पहली सरकार आई तो मोदी जी ने कहा कि हम देश में सभी लोगों का खाता खोलेंगे, चाहे हमें वह जीरो बैलेंस पर ही खोलना पड़े। जिनके पास एक भी पैसा नहीं होगा, तब भी उनके पास बैंक की पासबुक होगी। इस बात का एहसास तब हुआ, जब मोदी जी सरकार में आए। चाहे वह छत्तीसगढ़, ओडिशा या कालाहांडी हो, उन गांवों में रहने वाले ऐसे लोग भी हैं, जो पांच सौ रुपये से अपना बैंक की खाता नहीं खोल सकते हैं। आज उससे फाइनैंशियल इंक्लूजन हुआ है। बैंकों में केवल उनका

खाता नहीं खुला है, बल्कि उनका वित्तीय समावेषण हुआ है। उनके पास भी एक अधिकार के रूप में बैंक की पासबुक है । अभी निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हमारी एक योजना आई है, जिसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को पांच हजार रुपये ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। जीरो बैलेंस पर खाता खुला हो और उस 'जन-धन' खाते के माध्यम से गांव की गरीब महिला आवश्यकतानुसार पांच हजार रुपये ओवर ड्राफ्ट की सुविधा ले सकेगी। वित्त राज्य मंत्री जी ने जवाब देते हुए कहा है कि एक लाख करोड़ रुपये जन-धन के खाते में आए हैं।

16.58 hrs (Shri Rajendra Agarwal *in the chair*)

जब हम आर्थिक समानता की बात करते हैं तो हम निश्चित तौर से उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमें कम्पलसरी वोटिंग के लिए और वोटर्स के फैसिलिटेशन के लिए अवेयरनेस का काम करना चाहिए । इसके लिए चुनाव आयोग है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस है कि किस तरह से अवेयरनेस बढ़ाया जाए। मतदाता उदासीन रहते हैं, हमें उनको प्रोत्साहित करना है। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात में पहली बार दिसम्बर, 2009 में कम्पलसरी वोटिंग का एक विधेयक पारित हुआ था, लेकिन गवर्नर साहब ने उस पर एसेंट नहीं दिया। ऐसा करने वाला गुजरात पहला राज्य था। उसके बाद देश में एक भूचाल-सा आ गया था। पूरे देश में कम्पलसरी वोटिंग पर चर्चा शुरू हो गई। उसमें Gujarat played a very vital roleऔर एक लीड लिया। वहां पर लोकल बॉडीज के लिए विधान सभा में विधेयक पारित हुआ, उसे भी हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, लेकिन यह कम्पलसरी वोटिंग के लिए पहल थी।

चुनाव आयोग ने 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है।...(व्यवधान) मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, रूडी जी आप बोल कर जाइए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और जनार्दन सीग्रीवाल जी का समर्थन करता हूं।

17.00 hrs

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति जी, 'अनिवार्य मतदान' विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। जगदम्बिका जी ने सही कहा है कि सिक्स्थ सैंचुरी बीसी में एथेंस में पहली बार लगभग 2500 वर्ष पहले वोटिंग की व्यवस्था कायम की गई थी। भारत में वैशाली, जो संयोग से हमारे प्रदेश में है और माननीय रवि शंकर जी बैठे हैं, इनका प्रदेश है और जो पहले लोकतंत्र की हम चर्चा करते हैं, वह हमारे क्षेत्र से लगा है। वैशाली, हाजीपुर, छपरा इसके साथ जुड़ा है। हमें गर्व है कि वहां भी 2400 वर्ष पहले यह व्यवस्था शुरू हुई। इन सभी विषयों पर इतिहास के पन्नों में देखा गया है कि सबसे पहले दुनिया में कहीं इलेक्टोरल कालेज की स्थापना हुई, तो सबसे पहले अमरीका में वर्ष 1788 में हुई। उस समय 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन वहां के पहले राष्ट्रपति बने। उस समय राज्यों का वोट्स होता था और वह भी प्रक्रिया थी कि एक राज्य का अपना वोट होगा और यदि बहुमत की 40 सीटें हैं, तो जिसे 21 सीटें मिलेंगी, उसे 40 का वोट मिलता है और वह प्रक्रिया आज भी है। उस समय तक महिलाओं को यूएस में भी वोट देने का अधिकार नहीं था। वह उस समय भी बहुत डेवलप्ड स्टेट था। एथेंस में भी देखा गया था कि जिसके पास जमीन या सम्पत्ति होगी, उसे ही वोट देने का अधिकार था, लेकिन समय के साथ इसमें बड़ा परिवर्तन हुआ। वर्ष 1920 तक वह स्थिति बनी रही थी। भारत के इतिहास में भी देखें, 2500 वर्ष पहले पाला डायनेस्टी थी, चोला एम्पायर था, उस समय भी चुनाव की प्रक्रिया थी, हालांकि वे सभी राजा थे। चुनाव की व्यवस्था बहुत छोटी हुआ करती थी। सबसे पहले अनिवार्य मतदान का विधेयक वर्ष 1893 में बेल्जियम में आया था। विकसित देश होते हुए भी वहां सिर्फ मर्दों के लिए मतदान का अधिकार था। यदि इतिहास को देखें, तो लोकतंत्र की शुरुआत मर्दों से ही की गई, यह सोचने के पीछे पता नहीं क्या कारण है। वर्ष 1948 के बाद बेल्जियम में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। उस समय कई तरह की पैनल्टीज लगाई जाती थीं। यदि चार बार से आपने मतदान नहीं किया तो आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में व्यवधान होगा या कई तरह की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आस्ट्रेलिया में भी वर्ष 1924 तक कम्प्लसरी वोटिंग हुई, लेकिन उससे

पहले क्वीन्सलैंड, विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स आदि कई देशों ने कम्प्लसरी वोटिंग का रास्ता निकाला। उस समय भी था कि महिलाएं वोट नहीं दे सकती थीं, लेकिन धीरे-धीरे पूरे आस्ट्रेलिया में कम्प्लसरी वोटिंग की व्यवस्था की गई। वेनेजुएला में वर्ष 1953 तक कम्प्लसरी वोटिंग थी, उसके बाद उन्होंने डायल्युशन शुरू किया। नीदरलैंड्स में वर्ष 1967 तक कम्प्लसरी वोटिंग थी, उसका भी डायल्युशन शुरू किया। एक रिसर्च यह मानती है कि यदि अनिवार्य मतदान होगा, तो देश का विकास बहुत ज्यादा होगा, लेकिन एक दूसरी रिसर्च कहती है और खास कर इसका रेफरेंस अर्जेनटीना, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, इक्वाडोर, पेरू, नार्थ कोरिया का है, यहां ऐसा महसूस किया कि कम्प्लसरी वोटिंग का प्रावधान होने के बाद भी विकास की दर में वृद्धि नहीं होती। यह स्थापित करना कि कम्प्लसरी वोटिंग से विकास दर बढ़ेगी, यह बहुत सारे अध्ययनों में तर्कसंगत नहीं पाया गया है। इंटर अमेरिकन बैंक, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य कर रहे थे, उसने तर्क रखा था कि विकास के लिए कम्प्लसरी वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन जब आस्ट्रेलिया की रिसर्च हुई और उसने तय किया कि ये दोनों तर्कसंगत नहीं हैं, यह चर्चा बहुत दिनों तक चली। भारत में वोटिंग का सिलसिला, जैसे मार्ले मिन्टो रिफार्म्स वर्ष 1909 का है और उसी समय यह पहली बार देश में तय हुआ कि देश में मतदान की व्यवस्था हो, उस समय अंग्रेजों ने यह तय किया। उनकी व्यवस्था उनके शासन को चलाने के लिए थी और पहली बार भारत में भारतीयों की भागीदारी की व्यवस्था उसी समय से शुरू हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वर्ष 1919-20 में आया। यह प्रक्रिया तब शुरू हुई और आज हम सदन में जिस स्थान पर खड़े हैं, पिछले 100 वर्षों में पार्लियामेंट का निर्माण शुरू हुआ।

वर्ष 1926 में देश के पहले इलेक्टोरल कॉलेज का भाषण इसी जगह किसी ने बैठकर दिया होगा। यह एक विषय है। हम इस सदन में बैठते हैं। वर्ष 1919 में, आज से 100 साल पहले …(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : यह दिल्ली असेंबली में हुआ था। …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : Somewhere in Delhi it had happened, दिल्ली में कहीं इसकी डिबेट शुरू हई। यह सचमुच अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था है। In 1926 it started coming. यह बड़ा इन्ट्रेस्टिंग विषय है। In 1926, this Parliament got opened and then debate started in this Parliament. Thank you, hon. Minister of Law and Justice. I was also right and you have corrected it further. Mr. Mahtab was also there to correct me. Possibly, this is the history. But there is a history. आप जिस स्थान पर बैठे हैं, 100 साल पहले भी आपने ऐसे ही किसी व्यक्ति के बारे में सुना होगा। जिस समय देश आज़ाद नहीं था और वह व्यक्ति वहां बैठा था।

यह इस सदन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार से टेबल ऑफिस होगा और इस सदन में सुरंग भी होगी। शायद माननीय सांसदों को यह नहीं पता है कि तब अंग्रेज़ों ने सदन में सुरंग भी बनाई थी, ताकि उन पर कभी आक्रमण हो जाए तो वे सुरंग से निकल सकें। …(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर) : यह सुरंग कहां बनी है? …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह बात नहीं बता सकता हूं, लेकिन कई किताबों में लिखा हुआ है कि इस सदन में और अगले सदन में एक सुरंग भी है। अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि यह लोकतंत्र की एक बड़ी व्यवस्था है, जहां देश के प्रधान मंत्री बैठते हैं और देश के बहुत सारे लोग बैठकर बात करते हैं।

महोदय, उस समय 440 सदस्य चुनकर आए थे, जो कि प्रोवेंशियल असेंब्लीज़ के लोग थे। कभी भी हमारा संविधान बनाने वालों ने और महात्मा गांधी ने उस समय नॉन-कोऑपरेशन मूवमेंट में कहा था कि हम यह चुनाव नहीं स्वीकार करते हैं। इसके बाद यह विषय बढ़ता चला गया । चुनाव आते-जाते रहे, आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में चुनाव करते हैं। इस बार 67 प्रतिशत वोट हुआ है। 88 करोड़ वोट मतदाता हैं, 61 करोड़ मतदान करते हैं।

जैसा कि माननीय सांसद का प्रस्ताव है कि जो वोट न डाले उसको पीनलाइज़ कीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि मैं 26-27 साल की उम्र में विधायक बन गया था। मैं तब से, पिछले 30 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, बीच में हारता भी हूं और जीतता भी हूं। महोदय, अब लगभग रिटायरमेंट का समय है। 60 साल के आसपास आते-आते व्यक्ति रिटायर हो जाता है। सरकारी सेवा में तो व्यक्ति रिटायर कर ही जाता है, हम लोग तो सरवाइव कर रहे हैं।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : आप 75 वालों को डरा रहे हैं? …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : महोदय, मैं डरा नहीं रहा हूं, यह सच्चाई है। …(व्यवधान) एक सीमा के बाद तो रिटायर करना ही चाहिए। …(व्यवधान) यह समय तो आता ही है। …(व्यवधान) मैं वर्ष 1996 से इसी सदन में आकर बैठता हूं। …(व्यवधान) मुझे यहां बैठने का मौका मिला, वहां बैठने का मौका मिला, विश्वास है कि मुझे आगे भी मौका मिलता रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से चुनाव जीतकर आता हूं, लोकतंत्र में कम्पलसरी वोटिंग का जो भी विषय हो, लेकिन लोकतंत्र में इस बार का चुनाव देखने लायक था। वह संदर्भ मैं बाद में लेकर आऊंगा कि कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस विषय को कोई क्लोज़ नहीं कर सकता है। इस पर मन्तव्य चलता रहेगा।

महोदय, यहां बहुत से लोग नहीं हैं। हमने चुनावों का काउंटरमांड सुना है। भर्तृहरि जी, चुनाव काउंटरमांड तब होते हैं, जब बाढ़ या भूकंप आ जाए, लेकिन देश के इतिहास में एक ही संसदीय क्षेत्र ऐसा है, जहां चुनाव काउंटरमांड हुए बिना वहां के 1200 के 1200 पोलिंग बूथों पर पूर्ण मतदान हुआ। बिहार में बीपीएससी के पेपर में यह प्रश्न आता है कि बताइए बिहार का कौन सा ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां काउंटरमांड हुए बिना पूरे 1200 पोलिंग बूथों पर पूर्ण मतदान हुआ। यह इतिहास रचने का मेरा सौभाग्य है, जो कि अच्छा सौभाग्य नहीं है। यह इसलिए नहीं रचा गया क्योंकि इस लोकतंत्र में उस समय मेरा चुनाव एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हो रहा था जो दुनिया के सबसे बड़े, क्षमा कीजिए दुनिया नहीं, इसे थोड़ा नीचे ले आता हूं, बिहार के और देश के जाने-माने व्यक्ति थे, मैं पिछले 15-20 सालों से उनसे लड़ता रहा हूं। दुर्भाग्य से आज वे नहीं हैं …(व्यवधान)

श्री रवि शंकर प्रसाद : वे जेल में हैं। …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : मेरा यह कहना उचित नहीं होगा कि वे जेल में हैं। …(व्यवधान) वे चुनाव की प्रक्रिया से बाधित हैं। वर्ष 2004 में जब चुनाव हुआ, तो 1200 बूथों में वर्च्युअली कम्पलसरी पोलिंग हो गई थी। सर, 1200 में से 1100 बूथों पर 99.9 परसेंट पोलिंग हुई थी। यह था भारत का लोकतंत्र, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हम भी इसके भागीदार और पापी हैं, जितना वे भी थे। चुनाव आयोग ने कहा कि हमने ऐसा चुनाव देखा ही नहीं …(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : सिग्रीवाल जी वही चुनाव चाहते हैं। …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : ऐसा चुनाव देखा ही नहीं, जिसमें 1200 में 1100 बूथों पर 99 परसेंट पोलिंग हुई हो, ऐसा देश में नहीं हुआ। …(व्यवधान) इसलिए चुनाव आयोग ने तय किया कि आप चार महीने में चुनाव कराइए। …(व्यवधान)

उस समय मैं सरकार में मंत्री था। हमारे खिलाफ जीतने वाले व्यक्ति दो स्थानों, मधेपुरा और छपरा से जीते। बाद में उन्होंने मधेपुरा छोड़ दिया और छपरा से चुनाव जीत गए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। आज उनकी पार्टी का एक भी सदस्य इस सदन में नहीं है। उस समय मैं संघर्ष करता रहा। पश्चिम बंगाल में जो आज हम देख रहे हैं, वह दृश्य हमने बिहार में आज से लगभग 15-20 साल पहले वर्ष 2004 के चुनाव में देख लिया था और बड़ी लड़ाई लड़कर आज हम दोबारा वहां पर हैं और चुनाव जीते हैं। 100 फीसदी वोट कराना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब यह तय हो जाएगा कि 100 फीसदी मतदान होगा तो भारत में शायद अभी हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। वर्ष 1952 में जब चुनाव हुए तो उस समय के मतदाता 17 करोड़ के आसपास थे और उस समय प्रत्येक वोट पर 60 पैसे खर्च होते थे। मैं यह नहीं कह रहा कि आज हमारी सरकार के पास पैसे नहीं हैं। वर्ष 1984 में जब आबादी 40 करोड़ हुई, तब 2 रुपये खर्च होते थे, वर्ष 1996 में 10 रुपये खर्च होते थे, वर्ष 2009 में वह बढ़कर 15 रुपये हो गए और इस बार वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में यह बढ़कर 60 रुपये तक पहुंच गया है।

सभापति महोदय, किसी भी व्यवस्था में आज लगभग 4 हजार करोड़ रुपये एक चुनाव में खर्च होते हैं। प्लस, माइनस का हिसाब जोड़ा जा सकता है। कम्पल्सरी वोटिंग कराने में पैसे के खर्च की बात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या यह व्यवस्था हम कायम कर सकते हैं? वर्ष 1947 में हमें आजादी मिली। इसी में डिबेट हुआ और हम लोगों ने संविधान बनाया। इसी चेयर पर डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी बैठे थे, जो बिहार से हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम छपरा से हैं, सीग्रीवाल साहब भी वहीं से हैं और इनका ही बिल है। हमें गर्व है कि स्वर्गीय डा. राजेन्द्र प्रसाद जी हमारी धरती से हैं। श्री जय प्रकाश नारायण जी सारण की धरती से हैं। नटवरलाल जी नहीं भाई, गलत बात कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है।

श्री रवि शंकर प्रसाद: सर, वह जमीन बहुत उर्वरक रही है। राजेन्द्र बाबू, जय प्रकाश जी, रूडी जी, सीग्रीवाल जी। यह परम्परा बड़ी जोरदार है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : फिर से बोलिए, ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): यह बड़ा सौभाग्य है हुजूर कि आप राजेन्द्र बाबू के नाम पर वहां बैठे हुए हैं। यहां दो-दो राजेन्द्र जी हो गए हैं।

माननीय सभापति : धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं दोबारा विषय पर आता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब : एक करेक्शन है। राजेन्द्र बाबू जहां प्रेसाइड करते थे, वह सेंट्रल हॉल था।

माननीय सभापति: संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते वहां चेयर करते थे। मेरा विचार है कि हमारे सामने यहां सीनियर पटेल जी बैठै हैं, वे यहां बैठते थे।

श्री राजीव प्रताप रूडी : कांस्टीट्यूएंट असेंबली का डिबेट सेंट्रल हॉल में हुआ और पार्लियामेंट वर्ष 1950 में यहां हुआ।

माननीय सभापति: राइट।

श्री राजीव प्रताप रूडी : हम लगभग नजदीक ही हैं।

माननीय सभापति: वेरी करेक्ट।

श्री राजीव प्रताप रूडी : वहां पर लिखा भी हुआ है। भवन एक ही है। स्थान पर सही बता रहे हैं। हमें गर्व है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद जी यहां बैठे थे और उन्होंने भी सेंट्रल हॉल में सदन को चलाया था, लेकिन यहां नहीं।

माननीय सभापति: पहले स्पीकर मावलंकर साहब थे।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं वापस विषय पर आता हूं। संविधान निर्माताओं के मध्य यह तय हुआ कि हमें किस प्रकार की सरकार लेनी है। क्या हमें वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेनी है या प्रेसिडेंशियल फॉर्म लेनी है? इसी विषय पर आने के लिए ही मैं यहां पर बैठा हूं, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, मैं इस बात की चर्चा पिछले 20-25 वर्षों से कर रहा हूं। यह भी तय है कि केशवानन्द भारती केस में हम बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस लोकतंत्र में वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने ब्रिटिशर्स का मॉडल अडॉप्ट किया है और उसे अडॉप्ट करने के बाद हमने इसे बनाया है और यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन यही बेसिक स्ट्रक्चर न होने के बाद जो भी कमियां हों, सरकार की मंशा के हिसाब से या सरकार की दृष्टि के हिसाब से, हम लोगों ने संविधान को अभी तक 108 बार संशोधित किया है। यह सैक्रोसैंक्ट है, हमको विश्वास है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं, लेकिन इस देश को आवश्यकता पड़ी, क्योंकि संविधान के प्रति हमारी आस्था है। मैं अगर इस कुर्सी पर हूं, तो वह संविधान की ही ताकत है, आप उस कुर्सी पर हैं, रवि शंकर जी अपने पद पर हैं, तो वह भी संविधान की ताकत से हैं। सरकारी कार्यालय में जाकर मैं सांसद होने के बावजूद उसकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, वह मेरी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। मैं किसी थानेदार का रोल नहीं कर सकता हूं। यह संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके कारण हम लोग वहां पर हैं। लेकिन संविधान में भी हमने स्वीकार किया। हमने कास्ट के नाम पर आरक्षण दिया, हमने माइनॉरिटीज को भी रिकगनाइज किया, हमने रिलीजन को, ज्योग्रफिकल रीजन को रिकगनाइज किया। आज भी इस देश में बहुत सारे भाग हैं जहां पर जन्म लेने पर आपको उस भौगोलिक क्षेत्र में जन्म लेने का लाभ मिलता है। यह आरक्षण भी हम लोगों ने दिया। …(व्यवधान)

लाहौल स्पीति, कांगड़ा ऐसे ही बहुत से स्थान हैं, जहां आप जन्म लेंगे तो आपको आरक्षण का अधिकार है। हम लोगों ने संविधान में इसके लिए प्रावधान किए हैं। लोकतंत्र में लोग जीतकर आते हैं। आज मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है। हम लोग मेहनत करके इस पार्लियामेंट में बैठते हैं। महोदय, आपका भी इस समय मन कर रहा होगा कि हम तुरंत क्षेत्र में जाएं। राज्य सभा में जो हैं, वे नहीं। अब तो रविशंकर जी भी लोक सभा में हैं, आपको बधाई। राज्य सभा की व्यवस्था अलग है, लेकिन लोक सभा के जितने लोग हैं, उनको होता है कि छुट्टी हो तो क्षेत्र में चलते हैं। इस भारत देश की Parliamentary form of Government में यह तय हो गया है कि अगर हम आपको वोट देंगे, जो गांव का व्यक्ति है, हमारे देहात का व्यक्ति है, उसके पास हम जाते हैं और कहते हैं कि भईया हमें जिता दो, हम तुम्हारा बड़ा कल्याण करेंगे। वह हमें देखता है और फिर दो लोगों के बीच में से तय करता है। इस बार तो स्थिति ही अलग थी। सभी ने तय किया कि हमें देश में नरेन्द्र मोदी जी को ही रखना है। तय करने के बाद जब यह होता है तो वह कहता है, तुम को मैंने वोट दिया, नित्यानंद जी को वोट दिया, फलां को वोट दिया, आप बीजेपी के हैं आपको भी हमने वोट दिया है। उसके बाद आप बड़े आदमी बन जाते हैं। आपके पास सिक्योरिटी आ जाती है। आप सरकार में चले जाते हैं। आपका फोटो आता है, पहले पार्लियामेंट में आता है, फिर आप राष्ट्रपति भवन में शपथ लेते हैं। आपके बगल में राष्ट्रपति जी होते हैं, प्रधान मंत्री जी होते हैं, स्पीकर महोदय होते हैं और वह कहता है कि हमने इसको जिताया है और यह अब बड़ा आदमी हो गया है। तुमने हम से वोट मांगा था और अब तुम बड़े आदमी हो गए हो तो मेरा हिस्सा कहां है, मेरे बेटे की नौकरी कब लगवाओगे, कब परीक्षा में मेरे बेटे को पास करवाओगे? उसके बेटे का सेन्ट्रल स्कूल में एडमिशन हो गया है, मेरे बेटे का सेन्ट्रल स्कूल में कब एडमिशन करवाओगे? उसके बाद वह जनप्रतिनिधि, जो वोट मांगने गया था। इस व्यवस्था में आप चुने हुए प्रतिनिधि को सत्ता से जोड़ देंगे, अथॉरिटी दे देंगे, क्योंकि कल मैं मंत्री था, आज नहीं हूं। वह समझता है कि यही सरकारी तंत्र में सबसे आगे बैठा है, यही मंत्री बनता है या मंत्री से हटता है या दूसरे लोग बनते हैं तो इसके अधिकार का हिस्सा मेरे पास कहां है। लोकतंत्र में आपने यह व्यवस्था कायम कर दी है और आज

मत डालने वाला हर आदमी आपसे अपना हिस्सा मांग रहा है। आप किसी सांसद से पूछ लीजिए कि वह मांग रहा है या नहीं। वह कह रहा है कि तुम तो बड़े आदमी हो गए। तुम को मैंने वोट दिया था, अब बताओ कि मेरा हिस्सा इसमें कहां है? यह संकट बनता जा रहा है और इसीलिए लोकतंत्र में यह बहुत जरूरी है। मैं चुनाव जीतकर आता हूं और मेरी इच्छा है कि मैं सुबह नौ बजे से शाम के छ: बजे तक यहां रहूं। लेकिन यहां जितने सांसदों से बात हुई, वे सब बेचैन हैं कि हमें अपने क्षेत्र में जाना है, जनता के पास जाना है, उससे मिलना है, यह करना है। My primary duty to make legislation is lost in the process. हम दिनभर परेशान हैं। वहां जा रहे हैं, यहां आ रहे हैं। हमारा बेसिक परपज़ लेजिस्लेशन बनाने का है, हमें सत्ता से बाहर कर दीजिए। इसीलिए कई बार देश में यह तय करने की बात आती है। इस बार हमने एकतरफा चुनाव देखा, लेकिन पहले भी हम लोगों ने चुनाव देखे हैं। बिहार में लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी के बीच में चुनाव देखा है। एक तरफ लालू यादव जी और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी। उत्तर प्रदेश में एक तरफ मायावती जी और दूसरी तरफ मुलायम जी, लेकिन अब वे खत्म होते जा रहे हैं, यह दूसरी बात है। ओडिशा में कांग्रेस और बीजेडी के बीच में, अब वह भी खत्म हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कम्यूनिस्ट और कांग्रेस के बीच में, फिर बदलकर कम्यूनिस्ट और टीएमसी के बीच में और अब बदलकर टीएमसी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। बाइपोलर पोलिटिक्स तो भारत में हो ही गयी है। जिस तरह से इस बार के चुनाव हुए हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन देश में एकदम प्रत्यक्ष तौर से राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था का स्वरूप पूरे भारत में उभर कर आ चुका है और यह मेंडेट देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति था। मैं कभी भी छपरा से 15-20 हजार से अधिक मतों से नहीं जीता था। कोई कारण ही नहीं था कि मैं सवा-डेढ़ लाख वोट से जीत जाऊं। वहां से इस तरह से जीतने का किसी का इतिहास ही नहीं है। कहीं न कहीं देश के लोगों ने व्यवस्था से हटकर यह तय करना शुरू कर दिया है कि हमें मोदी जी को जिताना है या राहुल जी को जिताना है। हमें कांग्रेस को जिताना है या बीजेपी को जिताना है। आपने फैसला नहीं किया है, सदन ने फैसला नहीं किया

है, कांस्टीट्यूशन ने फैसला नहीं किया है, लोगों ने मेरिट के आधार पर देश की व्यवस्था में बाइपोलर पोलिटिक्स को स्थापित करने का परिणाम इस देश में दे दिया है।

हमारा कुछ रेलिवेन्स नहीं है, हम तो लेजिस्लेटर के रूप में जीतकर आएंगे और लेजिस्लेटर के रूप में रहेंगे, यही ताकत हम चाहते हैं। यह अधिकार देना चाहिए कि साहब आपको तय करना है, जैसे यूएस में है। सही है या गलत है, मैं यह सिर्फ डिबेट के तौर पर बोल रहा हूं। लेकिन यह तय करना पड़ेगा कि मेरिट, सरकार, लोग और डिलीवरी हमको उससे डीलिंग करनी चाहिए। मैं चुनाव जीतकर आया हूं और मैं सरकार का पार्ट नहीं हूं, तो मुझे लेजिस्लेटर का पार्ट बना दीजिए। लेकिन मैं लेजिस्लेटर भी हूं और इग्जिक्यूटिव भी हूं और मैं लोगों की पीड़ा लेकर मंत्री जी के पास भी जाऊं, इसलिए हम एक ट्रिपल रोल अदा कर रहे हैं। इसलिए, कहीं न कहीं सेग्रीगेशन की बहुत बड़ी जरूरत है, जो हम लोग इस देश में महसूस कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं इस बात पर क्यों आपत्ति जाहिर कर रहा हूं? हम लोकतंत्र में जीतकर आते हैं, तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ किसलिए? जब लोगों का विश्वास था, भारत में यह डर क्यों लगा रहता है कि हम इसको चुनाव जिताकर भेजेंगे और वह भाग जाएगा? यह कौन-सा संविधान है? आप उस संविधान का संरक्षण करने के लिए एक और संवैधानिक संशोधन करते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ कर देते हैं। वह क्यों करते हैं? क्योंकि लगता है कि अगर वह मंत्री नहीं बना, तो वह भाग जाएगा, सरकार नहीं बनी, तो भाग जाएगा। आप फिर व्हिप का प्रोविज़न करते हैं कि आप व्हिप नहीं करेंगे, तो इन सब कानूनी व्यवस्थाओं को इसलिए व्यवस्था में लाया गया है, क्योंकि लोकतंत्र में जो ये सब खतरे थे, उनको रोका जाए। हम स्वतंत्र होकर जीतकर आते हैं। उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए पहले यह क्यों था कि इतने नहीं भाग सकते हैं, फिर हुआ कि दो तिहाई जा सकते हैं, फिर हुआ कि पूरे के पूरे भाग सकते हैं। आखिर सांसदों या विधायकों को इस स्थिति में रखने का औचित्य क्या है? इसकी क्लैरिटी आज नहीं है। महोदय, आज मैं सदन में बोलकर जा रहा हूं। इसकी क्लैरिटी देश में कभी न कभी लेकर और डिसकस करके तय करनी होगी। मेरा संविधान के प्रति कहीं कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन देश के लोगों की मानसिकता बदल रही है। वे

डिलीवरी चाहते हैं, वे शासन चाहते हैं, वे लेजिस्लेशन चाहते हैं। हम लोग जूडिशियरी को अलग मानते हैं और इग्जिक्यूटिव को अलग करना चाहते हैं। यह जो इग्जिक्यूटिव और लेजिस्लेशन का मिश्रण है, यह बड़ा खतरनाक है। इसको कहीं न कहीं अलग करना पड़ेगा। इस पर कभी न कभी विचार करना पड़ेगा। जब यह संभव हो जाएगा, तो संभवतः अनिवार्य मतदान की भी व्यवस्था अगर हम लोग उस चरण में प्रारंभ करें, तो इस पर विचार किया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं छपरा से सांसद हूं और मुझे भी लौटना है। समय की भी सीमा है। आज सीग्रीवाल साहब ने जो विषय रखा है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं आज की तारीख में अनिवार्य मतदान के पक्ष में नहीं हूं। अगर मत होगा, तो मैं इसके खिलाफ मत दूंगा। लेकिन साथ ही साथ हमें इस प्लेटफार्म पर एक बड़े विमर्श को शुरू करना होगा। मैं देश के प्रधान मंत्री जी के प्रति कृतज्ञ हूं, जिन्होंने अपने विवेक से एक बड़े डिलीवरी का मैकेनिज्म शुरू किया है। वह पार्टी के प्रत्याशी के रूप में प्रधान मंत्री बने हैं, लेकिन देश के लोगों ने उन्हें व्यक्ति के रूप में, उनकी योजानओं के बारे में, उनके कमिटमेंट के बारे में, उनके डिटर्मिनेशन के बारे में, उनकी ऑनेस्टी के बारे में, उनके विज़न के बारे में उनको पहचाना है। अगर कहीं न कहीं इस प्रकार से होगा, तो देश में अच्छा शासन आएगा। हम लोग प्रत्येक दिन राजनेताओं के बारे में टिप्पणी सुनते हैं, उससे वंचित होने का लाभ हमें मिल सकेगा। आज सदन में इतनी बड़ी संख्या में सभी सदस्य उपस्थित होकर मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से सारण की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने रिकार्ड ब्रेक करके मुझे दोबारा जिताकर भेजा है। यह शायद तब तक संभव नहीं होता, जब तक देश के प्रधान मंत्री जी का मुझे सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ होता।

सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपका भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि इस विधेयक पर पहले ही दो घंटे की चर्चा हो चुकी है। इसका आबंटित समय लगभग समाप्त हो चुका है। लेकिन अभी इस विधेयक पर 12 और सदस्यों को बोलने की इच्छा है और वह इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिए समय को बढ़ाना पड़ेगा। क्या सभा सहमत है कि इस पर 2 घंटे का समय और बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

माननीय सभापति : इस पर 2 घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर) : आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे इस अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी रूडी साहब ने बहुत ही विस्तार से इस विषय पर चर्चा की है कि मतदान अनिवार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मतदान लोकतंत्र की नींव है और अगर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना है, तो मतदान होना बहुत ज्यादा जरूरी है।

मतदान को हम किसी भी तरीके से ले सकते हैं। देश में मतदान हो, इसके लिए हम हर परीक्षा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अगर मतदान अधिक होगा तो देश में लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। यह देश युवाओं का देश है। इस देश के अंदर 65 प्रतिशत युवा हैं और मैं समझता हूँ कि इस देश में जब 65 प्रतिशत युवा हैं तो मतदान और ज्यादा हो। हमारे लिए मतदान एक महत्वपूर्ण लाइन है। मतदान और ज्यादा बढ़े, इसके लिए हम सब लोग कोशिश करते हैं। हम लोग जब चुनावों में जाते हैं हमें गाँवों में जाकर वोट माँगने पड़ते हैं, जिस तरीके से गाँवों में हम मतदाताओं के बीच में जाते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप भी लोक सभा से आते हैं, इस देश के अंदर जिस तरीके से मतदान हो रहा है, जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया और परम्परा चली है, वह मतदान बहुत अधिक नहीं हुआ। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूँ तो अब की बार 75 प्रतिशत मतदान हुआ है। इस देश के अंदर अगर मोटे तौर पर देखें तो इस देश के अंदर 60 करोड़ लोग हैं। अगर मतदाता 60 करोड़ गिने जाएं, जिसमें 10-15 करोड़ मात्र वोट देकर जो सरकार बना लें, वह सरकार इस देश में किस तरह से चली होगी, कैसे विकास हुआ होगा, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि यह देश एक विशाल देश है। हर स्टेट में अलग-अलग मतदान की प्रक्रिया है। अगर हम पंचायती राज की बात करें, मुझे मेघालय जाने का सौभाग्य मिला, वहाँ पर थ्री टियर व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ सिर्फ कबायली के आधार पर चुनाव होता है और वह वहां का सरपंच बनता है। फर्स्ट टियर है और सीधे एडीसी बैठता है। मतदान की परम्परा और मतदान की प्रक्रिया वहाँ पर नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मतदान होना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के 33 ऐसे देश हैं, जहाँ पर मतदान की प्रक्रिया बहुत पहले से स्टार्ट

हुई थी। मैं समझता हूँ कि बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना, आस्ट्रिया और पेरू ऐसे कई देश हैं, जहाँ पर मतदान कम्पलसरी है। मैं मतदान के कम्पलसरी होने के पक्ष में खड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर मतदान कम्पलसरी होना चाहिए। बेल्जियम के अंदर वर्ष 1893 में जब यह कानून बना था, उन्होंने सोच कर बनाया था, यह देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर इसको हम कानून बनाएँगे तो मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति वोट नहीं देता है, जो व्यक्ति वोट देने नहीं जाएगा, उस दिन के लिए वह अवकाश मनाता है, उस दिन के लिए वह टूर पर जाता है, उस दिन वह अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने के लिए चला जाता है, लेकिन उस दिन उसके लिए वोट देना जरूरी हो, यह इस देश के अंदर कानून होना चाहिए। अगर हम लोग मतदान कम्पलसरी बनाएं, मैं समझता हूँ कि वह किसी भी चुनाव में वोट नहीं देता है तो उसको वोट देने के अधिकार से वंचित करना चाहिए या फिर उसके ऊपर कुछ जुर्माना लगाना चाहिए। हमने ऐसे कई देश देखे हैं, जहाँ पर अगर वोट नहीं देंगे तो वहाँ पर जुर्माना लगता है। जुर्माना छोटा लगा दीजिए, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दें। उसको अगले साल के लिए मतदान कम्पलसरी करने से मना कर दें। हम ऐसे कई तरह के जुर्माना लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वर्ष 2009-10 में गुजरात में तत्कालीन मुख्य मंत्री आदरणीय मोदी जी जब लेकर आए थे, एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। हाई कोर्ट का स्टे हो गया था। मान्वयर, हाई कोर्ट का स्टे नहीं हुआ था। गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसको वापस लौटाया था। उन्होंने माना नहीं था कि कम्पलसरी मतदान होना चाहिए। इसलिए वह कानून नहीं बन पाया था। वह सिर्फ म्यूनिसिपेलिटी के लिए कानून बनाया था, कोई पार्लियामेंट और विधान सभा के लिए थोड़े ही कानून बनाया था। मैं समझता हूँ कि कम्पलसरी मतदान होना बहुत जरूरी है। हम लोग गाँव में रहते हैं। गाँव में जिस तरीके से चुनाव होते हैं और चुनाव की प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, हमें वोट माँगने के लिए गाँवों में जाना पड़ता है। जिस तरीके से रूडी साहब बता रहे थे, मैं वे सारी बातें नहीं दोहराना चाहूँगा, लेकिन ऐसे कई

चुनाव हैं, जिसको हम लोग कम्पलसरी सैकेंड बार भी कर दें, उसका टर्म बढ़ा दें तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा।

मैं राजस्थान प्रदेश से आता हूँ, वहाँ पर हमने 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण रख रखा है। महिलाओं के लिए जब आरक्षण होता है तो वह एक टर्म के लिए होता है जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। अगर एक ग्राम पंचायत में एक महिला एक बार चुनी जाती है तो दूसरी बार उसको मौका नहीं मिलता है। कई ऐसी महिलाएँ हैं, जो अनपढ़ हैं, जिनके लिए हमारी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वसुंधरा जी ने कुछ एजुकेशन कम्पलसरी की थी, लेकिन उसको मना कर दिया। एक टर्म में वह महिला सरपंच बन कर आएगी, अगर दूसरा टर्म उसको नहीं मिलेगा, काम करे या नहीं करे तो उसके बाद में 10, 15, 20 साल के बाद में उसकी लॉटरी निकलेगी, तब जाकर उसकी रिजर्वेशन में सीट आएगी।

एक बार वह सीट एससी के लिए आरक्षित होती है, अगली बार वह सीट महिला (सामान्य) आ जाएगी, अगली बार पुरुष के लिए वह सीट होगी, उसके अगली बार पुरुष (सामान्य) के लिए सीट आ जाएगी, फिर उसके अगली बार वह सीट ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाएगी।

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इसे भी अनिवार्य किया जाए और आरक्षण का जो टर्म है, उसे डबल किया जाए ताकि एक बार मैं एक चुनाव क्षेत्र से जीतकर आऊँगा, तो अगली बार के लिए मुझे चिंता रहेगी कि मुझे अगली बार भी चुनाव लड़ना है, तो मैं काम ठीक से करूँगा। मैं नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहली बार 14वें वित्त आयोग का पैसा सीधे गाँव की ग्राम पंचायत को दिया गया है। आज इतना पैसा गाँव की ग्राम पंचायत में गया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक-एक ग्राम पंचायत के लिए 30-40-50 लाख रुपया गया है। यह 14वें वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा था। यह पैसा ग्राम पंचायतों को सीधे गया है। 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। वर्ष 1952 में जब चुनाव हुआ था, अगर ऐसा तभी से हुआ होता, तो आज गाँवों की दशा और दिशा में फर्क होता। आजादी के 65-70 साल बाद पहली बार नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार ने सीधे ग्राम पंचायतों को पैसा दिया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब सीधा ग्राम पंचायतों के लिए पैसा जाएगा, वह पैसा गाँव के विकास की योजनाओं में खर्च होगा और उसका बहुत बड़ा लाभ हमारे गाँवों को होगा। हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज गाँव में हर व्यक्ति पढ़ा-लिखा, समझदार है। वह चाहता है कि गाँव का विकास हो। हम जिस पवित्र मंदिर में खड़े हैं, रूडी साहब बता रहे थे कि यह वर्ष 1921 में बना था, उस समय यहाँ पर दिल्ली की नगर परिषद बैठा करती थी। पहली बार यहाँ पर नगर परिषद बैठी, फिर दिल्ली की विधान सभा यहाँ पर लगी और वर्ष 1947 के बाद जब वर्ष 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तो पहली बार यहाँ पर सभी लोगों ने बैठकर इस देश के लिए कानून बनाने की योजना बनाई। इस देश में अच्छे कानून बनें, गरीब लोगों के लिए कानून बनें, अगर इसकी शुरुआत हुई है, तो वर्ष 1952 से इसकी शुरुआत हुई है।

महोदय, मैं इस मौके पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारत में गरीब व्यक्ति मतदान करता है और अमेरिका में अमीर व्यक्ति मतदान करता है। अगर हम इस परम्परा को चैलेंज करें कि भारत में अमीर व्यक्ति भी मतदान करे, अगर सभी लोग मतदान सही तरीके से, सही टाइम पर करने लग जाएं, तो मैं समझता हूँ कि सही सरकार बनेगी। मुझे यह कहने में कोई शंका नहीं है। पहली बार इस देश के अंदर इतना बड़ा मतदान हुआ है। नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर चुनाव जीतकर आए हैं। अगर मैं बात करना चाहूँ तो भारतीय जनता पार्टी, जिस पार्टी से मैं आता हूँ, नरेन्द्र भाई मोदी जी के सानिध्य में हम लोग चुनाव जीते हैं, जब हम लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में वोट माँगने के लिए गए थे, तो गाँव का हर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, गरीब महिला हमसे कह रही थी कि मोदी जी के नाम पर हम इस देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी के नाम पर हम यह वोट देंगे। हमने इतनी बड़ी परीक्षा पास की है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस कसौटी पर यह सरकार खरा उतर रही है और विकास की योजनाओं में यह सरकार भागीदारी जता रही है। मैं कह सकता हूँ कि आज अनिवार्य मतदान इस देश के लिए बहुत अनिवार्य है। जो व्यक्ति मतदान न करे, उसके लिए जुर्माना लगना चाहिए, चाहे वह जुर्माना बहुत छोटा ही क्यों न हो, ताकि आने वाले समय में वह मतदान करने के प्रति जागरुक रहे।

महोदय, जब हम लोग एक सामान्य नागरिक के रूप में टैक्स दे रहे हैं, जब सामान्य नागरिक के रूप में हम लोग शिक्षा ले रहे हैं, हम लोग न्याय की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम एक नागरिक कर्तव्य निभाते हुए मतदान करें। मैं समझता हूँ कि चुनी हुई संसद और सरकार की अत्यधिक मतदान की इच्छा के कारण लोकतंत्र मजबूती का एक सहारा है। अगर इस लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो मतदान करना बहुत जरूरी है। अनिवार्य मतदान से लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा। जब हम चुनाव में जाते हैं तो हमारी सारी की सारी ऊर्जा मतदाताओं को लुभाने में लग जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी सारी ऊर्जा को मुद्दों पर लगायें, तो यह लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत होगा।

मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इससे सभी राजनीतिक दलों को आर्थिक बचत भी होगी और कार्यकर्ताओं को हर मतदाता को बूथ पर लाने के लिए, उनको रिझाने के लिए अनाप-शनाप खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा। अनिवार्य मतदान होना चाहिए। अनिवार्य वोटिंग से लोकतंत्र सफल होगा और सबकी भागीदारी से सरकारें बनेंगी। मैं समझता हूँ कि मतदान पर सबसे ज्यादा खर्च हमारे देश में होता है। रूडी साहब बता रहे थे कि मतदान पर 4-5 हजार करोड़ रुपये का खर्चा इस देश को चुनाव में उठाना पड़ता है। इसलिए देश में अनिवार्य मतदान करना चाहिए ताकि यह पैसा हमारे देश के विकास में लग सके। देश का विकास तभी संभव हो पायेगा, जब भारत के गरीब व्यक्ति, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को यह समझ आ जायेगा कि मतदान करना हमारे लिए कितना जरूरी है और तब जाकर यह देश विकास के पथ पर पहुँचेगा।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि यहां पर भी समय की पाबंदी है। मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि हमारे देश में मतदान जरूरी होना चाहिए, मतदान अनिवार्य होना चाहिए। देश मजबूत करने के लिए हम लोगों को मतदान करना चाहिए। मतदान 99 परसेंट हो, चाहे वह पंचायत का, नगरपालिका का, विधान सभा का या लोक सभा का चुनाव हो। अगर इन चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा, तब जाकर यह लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, विकास के मामले में हम लोग आगे निकलेंगे।

नरेन्द्र भाई मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का जो फैसला किया है, यह तभी हो पाएगा जब प्रत्येक व्यक्ति मतदान करेगा और तब जाकर यह देश मजबूत होगा।

सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपको भी अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, धन्यवाद । This is not the first time that we are discussing this topic, 'compulsory voting'. This will be the third time in this House that I am speaking on this subject. Of course, for the second time, Shri Sigriwaliji has moved this Bill in the 17th Lok Sabha. Firstly, in the 16th Lok Sabha, he moved it.

Before that, the then representative from Delhi, Shri Jai Prakash Aggarwal had also moved a Bill relating to compulsory voting. At that time, jokingly, I told him: "You have the Government in Delhi State. Why do not you try this compulsory voting in Delhi State itself?" If it is successful in Delhi State Assembly, it will be an example for rest of the country and of course, the Election Commission and other respective political parties may think over it.

During that period, an attempt was being made in Gujarat also. A unanimous resolution or Bill was passed by the Gujarat Assembly to have municipal elections in a compulsory mode so that every voter of respective municipal corporations or urban bodies will be asked to vote compulsorily.

I will come to that aspect later. In this Bill, other than enforcing the compulsory voting, hon. Member has also mentioned about the special arrangements for senior citizens और उसके साथ पनिशमेंट । अगर कोई वोट न दे तो उसे क्या पनिशमेंट हो सकती है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है – fine of Rs.500, two-days imprisonment, forfeiture of ration card वगैरह-वगैरह बाकी सारी बातें लिखीं हैं । इसके साथ इन्होंने लिखा है - Incentive for voting, जिसके बारे में Shri Rajiv Pratap Rudy has also mentioned that a little bit of incentive is required.

Before coming to the issue of compulsory voting, very interestingly, I would like to say that एक माननीय सदस्य अमर शंकर साबले जी ने राज्य सभा में एक प्रश्न इसी महीने में 11 जुलाई को पूछा था। हमारे लॉ एण्ड जस्टिस मिनिस्टर ने बड़े अदब से उसका रिप्लाई दिया था। The question was, whether the Government has taken any action to implement compulsory voting in the country. The answer was that no such proposal is under the consideration of the Government". यह वर्ष 2019 का है। Earlier In 2010, a similar question was also put forth by Shri Prabhat Jha in Rajya Sabha. The question was, whether the Government has received any suggestion from a few States as regards making voting compulsory. The then Law Minister, Dr. Veerappa Moily replied that no proposal for making voting compulsory has been received from any State Government. इसी तरह का एक प्रश्न गुजरात के बारे में आया और उसमें कहा गया था कि that the matter is pending before the court. हमने आज भी सुना कि किस तरह गवर्नर साहब ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया।

Here, I would just like to mention this. नीति आयोग ने एक प्रस्ताव के हिसाब से बताया था कि इसे किया जाए। The CEO of NITI Aayog had suggested compulsory voting is worth a try. सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। नीति आयोग हमारे देश का सबसे बड़ा थिंक टैंक है और उनकी तरफ से यह प्रस्ताव आया। I think that it is a loud thinking. जिसके हिसाब से उन्होंने फरवरी 2019 में इस बारे में कहा। इस हिसाब से हम देखते हैं कि what was the position in 2014? वर्ष 2014 के जेनरल इलेक्शन में the largest democracy, that is, India at that time had 81,40,00,000 people who were eligible to vote in that election. In 2019, it was around 91 crore. जिसका हिसाब आपने अपने इनिशियल रिमार्क्स में दिया था। Out of this, 66.40 per cent had voted in 2014. I have those figures with me. आपने 19 फिगर दे रखी थी। In the face of it, if you quantify 66.4

per cent, it is a high number. पूरे विश्व में इतने सारे लोग मतदान केन्द्र पर आकर अपना वोट डालें, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। इसके साथ एक लिस्ट भी जुड़ी हुई है। इस लिस्ट में कहा गया है कि किस-किस देश में कितनी पोलिंग हुई है और इसमें सबसे आगे वियतनाम है। अब तक इसके नाम की किसी ने चर्चा नहीं की है। यहां 99.26 परसेंट वोटिंग हुई है।

मेरा एक पर्सनल एक्स्पीरिएन्स है, विश्व में एक एशियन पार्लियामेंट्री असेम्बली है। खुशी की बात है कि In the 16th Lok Sabha, I was asked by the hon. Speaker to represent our Parliament in the Asian Parliamentary Assembly. जब मैं वहां पहुंचा, तो I was totally astonished because I had an impression about the Parliamentary democracy keeping India, Britain and some other Commonwealth countries in my mind. मैंने वहां देखा कि ईरान की मज़लिस है। It has a Parliament. सऊदी अरब की पार्लियामेंट है। तुर्कमेनिस्तान की पार्लियामेंट है। रूस की भी पार्लियामेंट है। जो एकात्मक शासन है, जिसको हम समझ पाते हैं कि इस तरह की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां है। उनका भी एक पार्लियामेंट है। उनके यहां भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। उसमें इराक और पाकिस्तान भी हैं। एशिया की जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं, उनके रेप्रिजेन्टेटिव्स वहां होते हैं। We had a limited agenda from our country's or Parliament's point of view. Our Foreign Affairs officers were also guiding us on how to deal with the issues that were coming up before us.

हम जो लिस्ट देख रहे हैं, जैसे इसमें वियतनाम है। Vietnam also has a Parliament. Rwanda, which was next to Vietnam, had a figure of 98.80 per cent polling. सबसे नीचे के पायदान, यानी 109वें स्थान पर इंडिया आता है। यहां 66.40 वोटिंग हुई है। इसके ठीक ऊपर वर्जिन आईलैंड है, जिसका वोटिंग परसेंट 66.58 है। मैं कोई पुरानी लिस्ट नहीं पढ़ रहा हूं। This is the position, if we go into the percentage of voting. इसमें आता है कि क्वालिटी ऑफ वोटर्स क्या है?

Here we come to know as to what is the quality of voters. इसके बारे में थोड़ी-बहुत चर्चा यहां भी हो चुकी है । In quality of voters, sense of participation in Government making, in law making, हमारे सिटीजनरी कितने इक्विप्ड हैं, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, जब हम कंपल्सरी वोटिंग को एनफोर्स करना चाहते हैं, मैं यही इनसिस्ट कर रहा हूं कि कंपल्सरी वोटिंग सिर्फ वोट पर्सेंटेज बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए । इसके बारे में जब वर्ष 1951 में रिप्रजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट पर चर्चा हुई थी, तब डॉ. बी.आर.अंबेडकर ने स्पष्ट स्वर में कहा था ।

Therefore, I would insist that in democracy, that too in parliamentary democracy, every adult has a legal right to cast his or vote, and elect a representative of his or her choice. Once you make voting compulsory, it will no more remain voluntary. The right of a citizen to make a choice is the right of liberty and that gets suspended once you make it compulsory.

Globally, as many as 29 countries have experimented with compulsory voting. Presently, there are only around 11 countries which enforce these rules. For example, Australia, and Belgium levy fines. While Brazil and Peru restrict access to State benefits and social security if one does not vote. But Chile, Fiji, Netherlands, and Venezuela have abandoned compulsory voting. Even in Australia, one can say it is not enforced so strictly. Why should we think it is important? Compulsory voting improves voters turn out. But is that the end of it? It prevents disenfranchisement of socially disadvantageous through bribe or covert threats. But do we not have a right to abstain from voting on a Bill, or even not to participate in a vote?

Then, why can a citizen not have the same right? मैं यहीं बताना चाहता हूं कि यहां हाउस में राइट टू वोट है या नहीं, अगर हमारे ऊपर व्हिप नहीं है, तो we are free either to cast a vote or not cast a vote. मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, अगर रवि शंकर प्रसाद जी के टेन्योर में if he comes out with a Bill that every Member or every Bill should be voted, not by voice vote. We should press our electronic button, which should be displayed in the monitor. Our electorate will know whether I am present in this House or not; whether I have participated in the vote or not, through the media, and also through direct channel. My participation in the law making should be recorded. If that is not happening in the House itself, how can we enforce a proposed law that all eligible citizens who are entitled to vote should cast their vote? Otherwise, they would be penalised. Otherwise, the benefit which is being provided by the State should be withdrawn and they should be asked to explain.

Once I would rather insist that this Government can come up with some idea on how to ensure the full presence of the Members in this House and they should also cast their vote, and that should be recorded; and it should be displayed so that not only the constituency but also the whole country knows it.

Yesterday, there was voting. We read in the papers today that these are the political parties who have supported the Bill; and these are the parties who have opposed the Bill. These are the parties which have walked out. How many Members were actually there inside the House? How many of them were not there? Let the country come to know.

Let us make that compulsory first inside the House of elected Members who are representatives of the people of this country.

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): What is your opinion on NOTA?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : 'None Of The Above' button in the EVM is also a way of abstaining from giving an opinion.

DR. NISHIKANT DUBEY : Is it not the violation of article 324?

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : I leave it to our learned Law Minister to give an opinion on that. But NOTA has been accepted by all political parties. That is how the Election Commission is enforcing it.

17.50 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

It is not only about giving an opinion on the above candidates, but also alerting the respective political parties that we are not choosing the above candidates which you have put forth before us to choose. That is why it is None Of The Above. Rather, you select someone else, we do not support this person as a candidate.

After the Tenth Schedule became a part of the Indian Constitution, party came into existence. Once party came into existence, then only NOTA became an addition to that which means the party candidate is not supported. But it is also an opinion. Not giving an opinion, as it was said by the famous former Prime Minister, is also an opinion.

DR. NISHIKANT DUBEY : But it was not Parliament.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : It was in this country. It was said by our former Prime Minister. As article 326 guarantees the Right to Vote to every citizen above the age of 18, Section 62 of the Representation of People's Act states that every person who is in the electoral roll of that constituency will be entitled to vote. This is not discriminatory but voluntary. So, in that respect, I would say that compulsory voting in itself is somewhat anti-democratic in the country because the freedom to speak necessarily includes the freedom of not to speak.

There is also a concern over enforcement of this rule on account of sheer number of voters in India. For example, in Australia, an amount of 5000 Australian Dollars is spent on defaulter to levy a simple fine of 50 Australian Dollar for not voting. What would be the situation in India? How much money has to be spent on that? I hope the initiator of this Bill has calculated that amount. Laws are made to be enforced but here is a case as in Australia where this piece of legislation is in the books but is rarely implemented. Should we have such a law in our statute which may not be implemented and if implemented, will be implemented in a very shabby way?

Let us recollect a piece of history. In 1951, as I was saying, during the discussion on the Representation of People's Bill in Parliament, the idea of including compulsory voting was mooted by a Member. I am not naming that Member; I think, Nishikant Babu must be remembering him. However, it was rejected by Dr. B. R. Ambedkar on account of practical difficulty. Over the decades, various committees have discussed electoral reforms and a name

that comes to my mind is of our learned Law Minister, Shri Dinesh Goswami. The Committee headed by Shri Dinesh Goswami in 1990 briefly examined the issue of compulsory voting. This was rejected on the ground that there are practical difficulties involved in its implementation.

Again, in July 2004, the Compulsory Voting Bill was introduced as a Private Member Bill by Shri Bachi Singh Rawat in the Lok Sabha. The Bill did not receive the support of the House and was not passed. As I mentioned, another Private Member Bill was rejected by Shri J. P. Aggarwal in 2009. The then Law Minister argued that active participation in a democratic setup must be voluntary, not forced. But a major thrust, as I was telling, was to increase the percentage of voting which has been happening, at least, during the last three elections.

Voting percentage this time has gone up to 71. Last time, it was 66.4 per cent, and before that in 2009 it was around 61 per cent or something like that. This shows that consciousness among people is rising. Especially, the younger electorate are coming in large numbers to the polling booths. They want to see a change in the country, change for the betterment of their own living standards and to get better opportunities.

The manner in which our political parties in this country involve themselves in electioneering, it does not happen in that large numbers even in the United States. I think the Law Minister can come up with that figure. Percentage of voting in the United States is not above 52. They have never said that they need a compulsory voting system in their country. Why should

we insist on compulsory voting here when the percentage of voting is high and increasing?

As I said, freedom is something which is enshrined in our Constitution. It is a right. It is a right to cast vote and it is a right not to cast vote. I would, therefore, say compulsory voting in India is a bad idea.

An interesting petition was filed in 2015. I do not know whether the mover of this Bill has been very much influenced by that petition which was filed by Mr. Satya Prakash who wanted mandatory voting to be enforced in India. The NDA Government then said that exercising one's franchise is the fundamental right of every citizen but it is not a duty. Last time Nishikant *babu* was mentioning about it. It is a right; it is not a duty. Once you make it a duty, you can make it compulsory. One can argue on both sides. To enforce your right, make it a duty. But once you make it a duty, the right of every citizen will come down. The 25th Law Commission Report said that electoral rights of the voter include the right to vote or refrain from voting.

In 1951-52, the voting took place for three months. In 2019, it took eight weeks. Should it be so long? This is a question I think the Government should answer. We have heard of 'One Nation, One Election'. Can this Bill stand the scrutiny of law? First, compulsory voting has to be a duty, not a right.

With these words I would say that compulsory voting may be a good idea but it is very difficult to enforce it. Once we recognise the right and the freedom that is enshrined in our Constitution, let us not make it compulsory.

Let us create more awareness in the country so that many people come to the polling stations and cast their vote and form a new India.

Thank you.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही सुखकर है कि प्राइवेट मैम्बर्स बिल चल रहा है और आप स्वयं सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैंने कभी प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस में ऐसा नहीं देखा, इसके लिए आपका अभिनंदन है।

आपने मुझे जनार्दन सीग्रीवाल जी द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य मतदान विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब भी इस बिल पर चर्चा करने का अवसर आया, बहुत विद्वता के साथ सम्मानीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। यहां उदाहरण भी दिया गया कि आस्ट्रेलिया और अन्य देश जहां अनिवार्य मतदान एक विषय है, मैं उन देशों का नाम लेना आवश्यक नहीं समझता हूं। भारत जैसा विशाल देश, जहां डाइवर्सिटी भी है, जहां का साइज़ बहुत बड़ा है, जहां अभी भी असाक्षरता है, जहां अभी भी दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में लोग बसते हैं।

<u>18.00 hrs</u>

वहां मुझे नहीं लगता है कि उस अनुभव के आधार पर हिन्दुस्तान जैसे देश के अंदर अनिवार्य मतदान की व्यवस्था सफल हो सकती है। यह ठीक है कि अनिवार्य मतदान बिल के माध्यम से मतदान का प्रतिशत क्रमश: बढ़ता रहे, इस विषय में और भी उपाए किए जाएं, मतदान का प्रतिशत क्यों कम हुआ है, इसकी चिंता भी की जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: छ: बज गए हैं। राजेन्द्र अग्रवाल जी आप अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे।

डॉ. निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मेम्बर बिल के 45 मिनट बर्बाद हो गए हैं। मेरा आग्रह होगा कि आप 15 मिनट प्राइवेट मेम्बर बिल के लिए दे दीजिए। राजेन्द्र अग्रवाल जी के बाद दुष्यंत सिंह जी इनीशिएट कर देंगे और उसके बाद जीरो आवर ले लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: अगर हाउस की सहमति है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माननीय मंत्री जी से सलाह ले लीजिए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): जब बिल पास कर रहे थे तो यह तय हुआ था कि इसको थोड़ा बढ़ाया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष: 10 या 15 मिनट के लिए। आप बताइए, यदि आपकी इजाजत हो तो।

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मित्रों के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उत्तर आज नहीं होना चाहिए। …(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : उत्तर आज है ही नहीं। अभी तो 8 स्पीकर्स बचे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: 15 मिनट प्राइवेट मेम्बर बिल के लिए बढ़ाया जा रहा है। श्री राजेन्द्र जी के बाद श्री दुष्यंत जी बोलेंगे, आज आप बोलेंगे न, आप के लिए समय बढ़ा रहे हैं। केवल 15 मिनट, फिर 15 मिनट जीरो आवर भी है।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन विषयों के ऊपर मैं माननीय सदन का अधिक ध्यान दिलाना चाहूंगा, राजनीतिक नेतृत्व के प्रति और कुछ सीमा तक सदन और सांसदों के प्रति भी आचरण के परिणामस्वरूप अनास्था का वातावरण पैदा हुआ है, उससे मतदान प्रतिशत प्रभावित हुआ है। अभी हमारे आदरणीय रूडी जी अपना भाषण देकर चले गए, उन्होंने एक बात कही कि हम मत मांगने के लिए जाते हैं और मत मिलता है। मत मिलने के पश्चात् आम मतदाता यह देखता है कि हम एक बड़े स्थान पर पहुंच गए हैं, उच्च स्थान पर पहुंच गए हैं, हमारा मंत्रियों से संपर्क है, हम प्रधान मंत्री के साथ बैठते हैं, हम स्पीकर महोदय के साथ बैठते है। उसको लगता है कि हमने जिसको मत दिया, जो मेरे यहां मत मांगने के लिए आया था, वह एक उच्च स्थान पर पहुंच गया और इसमें मुझको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। वह अपनी हिस्सेदारी की डिमांड करता है। वह जब देखता है कि एक व्यक्ति सत्ता पर अधिष्ठित हो गया, उसका सुख बढ़ गया तो उसके अंदर जरूर डिमांड करेगा।

मैं ऐसा समझता हूं कि उस आम मतदाता को हिस्सा इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि जो प्रतिनिधि चुन कर आया है, उसने सादगी और सेवाव्रत का पालन नहीं किया, जिसकी अपेक्षा थी। वह अपना अधिकार मांगता है, सत्ता में भागीदारी मानता है। सत्ता में उसको भागीदारी मिलना संभव नहीं थी इसलिए उसको एक प्रकार का डिस्अपाइंटमेंट हुआ, इसीलिए सत्ता का स्वरूप बना, जनप्रतिनिध का स्वरूप बना। उसको ऐसा लगता है कि जिसको मैंने चुना है वह सेवा भाव से काम नहीं कर रहा है। वह सत्ता उपभोग की दृष्टि से काम कर रहा है। इसके कारण से अनास्था का निर्माण हुआ है।

सदन के अंदर कई बार होता है। आज ही जो घटना घटी, मैं उसके बारे में ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, जब कोई सांसद बोलते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि यह अगस्त हाउस है, माननीय सदन है, सर्वोच्च पंचायत है। इसके बाद भी यहां किस प्रकार की बातें हो जाती हैं। संसद के विषय में मीडिया और कवि सम्मेलनों में ऐसी टिप्पणियां होती हैं, जो बड़ी चिंताजनक होती हैं। यह व्यवहार भी अनास्था पैदा करता है। इस अनास्था ने भी सामान्यजन को मतदान प्रतिशत अधिक न रखने के लिए विवश किया है। हम जब यहां खड़े हैं, मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों और राजनीति में काम करने वाले व्यक्तियों की बड़ी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का प्रभाव पैदा न करे जिससे सामान्य जन को मतदान के प्रति रुचि कम हो। इस दृष्टि से माननीय प्रधान मंत्री जी का विशेष अभिनंदन करना चाहूंगा। जब वे पहली बार संसद में आए थे, तो उन्होंने लोकतंत्र की इस मन्दिर को प्रणाम करके संसद में प्रवेश किया था। हम यह भी देखते हैं कि संसद के अंदर वे सभी सदस्यों से अपील करते हैं कि इस संसद की व्यवस्था को देखिए, समझिए और इसकी गरिमा को बढ़ाइए। हम अनुभव कर रहे हैं कि उसके कारण संसद के अंदर स्तर में सुधार आया है।

हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि जब बच्चा 18 वर्ष का होता है, वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो वह देश का निर्माता बन जाता है, भाग्य विधाता बन जाता है। आज हमारे यहां 16 संस्कार तो प्रचलित नहीं है, चार-पांच संस्कार ही प्रचलन में हैं। लेकिन कई बार उन्होंने कहा है कि जब बालक की 18 वर्ष की आयु पूरी होती है तो एक मताधिकार प्राप्त करने का कार्यक्रम भी

होना चाहिए । यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं इस बात का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम होने से शायद इस बात की जिज्ञासा होगी और एक कर्तव्य का निर्माण होगा कि अब मैं 18 वर्ष का हो गया हूं। मैं देश के लोकतंत्र में भागीदार हो गया हूं। मुझे देश के शासन का निर्णय करने का अधिकार हो गया है। इसलिए मैं अब सक्रिय रहूं। प्रधान मंत्री जी का विषय बहुत महत्वपूर्ण है । हमें इस बात को चैतन्य में लाना चाहिए । हमारे व्यवहार के कारण या राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों से अनास्था का निर्माण होता है, जिसकी हमें चिंता करनी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। मैंने देखा है कि प्रत्येक चुनाव के अन्दर ऐसी बहुत सी शिकायतें आती है कि मतदाता सूची से उनका नाम हट गया है। ऐसी शिकायतें प्रत्येक क्षेत्र से आती हैं। मैं बहुत से चुनावों में देखता आ रहा हूं। मैंने तीन चुनाव लड़े हैं। अनेक चुनाव उससे पहले लड़ाए भी हैं। शिकायतें आती हैं कि कहीं मोहल्ले के मोहल्ले गायब हो गए, कहीं पर मतदाता सूची में परिवर्तन हो गया और अंतिम सूची, जो आई, उसमें उनका नाम नहीं है । ये समस्याएं सामने आती हैं । मेरा ऐसा अनुमान है कि इस समस्या के कारण भी दो या तीन प्रतिशत का मतदान कम हो जाता है । इसकी कुछ व्यवस्था हो भी सकती है जैसे यदि आधार से सभी चीजें जुड़ जाएं तो ये समस्याएं कम हो सकती हैं । रविशंकर जी, जो कानून के मंत्री हैं, वे आधार के विषय को भी देखते हैं। आधार के साथ मतदाता को जोड़कर सूची बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई भी मतदान हो, चाहे लोकल बॉडीज का हो, विधान सभा का हो, संसद का हो, जिला पंचायत का हो या किसी भी प्रकार का मतदान हो, यदि मतदाता सूची एक हो सकती है तो यह जो दोष है कि सूचियों में से कुछ के नाम हट जाते हैं तो इस पर बहुत अधिक नियंत्रण हो जाएगा । अभी स्थिति यह है कि नगर निगम की सूची अलग होती है, जिला पंचायत की सूची अलग होती है, विधानसभा की सूची अलग होती है। यह ठीक है कि हर बार नए मतदाता जुडेंगे, लेकिन सूची की सूची को दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसी व्यवस्था अगर की जा सके तो मतदान को बढ़ाने में इसकी भूमिका हो सकती है । मतदान का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सहभागिता के बिना लोकतंत्र यशस्वी नही हो सकता। हमारे प्रधान मंत्री जी जो अभियान चला रहे

हैं, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, उन्होंने सभी को एक नई बात कही है कि हम लोग वृक्षारोपण के साथ जुड़ें, जल के साथ जुड़ें, तो यह जन सहभागिता के बिना संभव नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिग्रीवाल जी जिस विषय को लाए है, वह जन सहभागिता के माध्यम से लोकतंत्र को यशस्वी करने की ओर इशारा जरूर करता है। मैं उनके बिल का स्वागत भी करता हूं, परन्तु मुझे जरूर लगता है कि अनिवार्य मतदान का विषय भारत में शायद व्यवहारिक नहीं है। हां, उसके माध्यम से अधिक से अधिक लोग मतदान करें, अपनी भूमिका निभाए, यह बहुत आवश्यक है, यह आज हो भी रहा है। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़-बारां): स्पीकर महोदय, धन्यवाद । आज मुझ से पहले आदरणीय सांसद जो मेरठ से हैं, उन्होंने अभी कहा कि पहली बार देखा है कि हमारे माननीय स्पीकर साहब आज खुद प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर इतनी रुचि लेकर सभी युवाओं को और सभी पार्टियों के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

मुझे इतना गौरव का आभास होता है कि आप हमारे हड़ौती क्षेत्र से पधारते हैं, हमारे क्षेत्र से आपके अच्छे ताल्लुकात हैं और वहीं से आपने अपना पूरा राजनीतिक जीवन व्यतीत किया है, इसलिए आपको वहां देखते हुए हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप और उंचाई तक पहुंचें, हमारे क्षेत्र का नाम, हड़ौती और राजस्थान का नाम ऊपर ले जाएं । आज आपने मुझे, आदरणीय सीग्रीवाल जी द्वारा लाए गए कम्पलसरी वोटिंग बिल, 2019, पर बोलने का मौका दिया है। मैं देश के पूर्व प्रधान मंत्री आदरणीय वाजपेयी जी को कोट करना चाहता हूं, उन्होंने अपने वोट ऑफ कांफिडेंस के समय यह बात कही थी :

> "पार्टियां आएंगी, जाएंगी । सरकारें बनेंगी, बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहेगा । यहां देश रहना चाहिए और इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए ।"

वर्ष 1952 से चुनावों की शुरुआत हमारे देश में हुई है। पहली लोक सभा के चुनाव से हम देश में चुनाव देख रहे हैं, लेकिन वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम होता था। आज आदरणीय मोदी साहब को देखते हुए, उनके नेतृत्व को देखते हुए, उनके अच्छे कामों को देखते हुए, उनके द्वारा किए जा रहे प्रगति के कार्यों को देखते हुए, देश का युवा, देश हर नागरिक, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, किसान, माताएं-बहनें, युवा, बुजुर्ग आदि सब लोग लगे हुए हैं। वे जानते हैं कि यह सरकार उनकी है और उनकी सरकार प्रगति की तरफ आगे बढ़े । उनको देखते हुए, इस बार पहली बार वोटिंग परसेंटेज 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत रही, जो पिछले कई सालों में कभी हो नहीं पाया। यह हमने इसलिए देखा है, क्योंकि इलेक्शन का प्रबंधन इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया है। उन्होंने बूथ को छोटी-छोटी जगह बनाने की व्यवस्था की। चाहे अरुणाचल प्रदेश हो या कश्मीर का क्षेत्र हो या दक्षिण भारत का क्षेत्र हो या हमारे बाड़मेर का क्षेत्र हो या दीमापुर का क्षेत्र हो

या कोई भी मुश्किल क्षेत्र हो, पूरे देश में उन्होंने इलेक्शन कमीशन की टोलियां भेजकर काम करने का प्रयास किया। जब हम कश्मीर में चुनाव देखते हैं तो लगभग चार से पांच प्रतिशत पोलिंग हुई है। आज हम देखते हैं कि जो अर्बन क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में मतदाता जब वोट देने जाता है, उसमें जितना जोश होना चाहिए, कभी-कभी वह हमें देखने को नहीं मिलता है। मेरा संसदीय क्षेत्र – बारां-झालावाड़ क्षेत्र हैं, वहां हम पहली बार लगभग 72 प्रतिशत वोटिंग कर पाए हैं। वह इसलिए कर पाए हैं, क्योंकि माननीय इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था और माननीय मोदी साहब को देखते हुए लोगों ने वोट दिया है।

माननीय अध्यक्ष : आप आज तक झालावाड़ सीट से अधिकतम वोटों से जीते हैं, यह भी बताइए।

श्री दुष्यंत सिंह : आदरणीय मोदी साहब को देखते हुए, उनके अच्छे कामों को देखते हुए, हमने यह काम करने का प्रयास किया है। इसको देखते हुए एक खुशहाली का मौका आता है, जब पांच साल बाद हमारे माननीय कार्यकर्तागण गांव-गांव, घर-घर, टोलियां बनाकर जाते हैं, उस समय एक उत्साह का वातावरण होता है, एक फेस्टिव सीजन की तरह होता है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह मौका दिया है कि हर पांच साल में आकर हम सरकार बनाएं।

मुझे यह बात कहने की बहुत जरूरत है कि अगर हम वोट को कम्पलसरी करेंगे तो यह हमारे डेमोक्रेटिक राइट का इनफ्रिन्जमेंट है। हमारा फंडामेंटल राइट और लिबर्टी है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अगली बार कंटीन्यू करेंगे?

श्री दुष्यंत सिंह : सर, हम यह अगली बार कंटीन्यू करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : आप सभी एक-एक मिनट में अपनी बात सदन में रखें।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां से उत्तर प्रदेश राजधानी के लिए हमारे यहां से कोई भी डायरैक्ट ट्रेन नहीं है। हमारा क्षेत्र मध्य प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है। हम लोग लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे हैं। इंदौर से भोपाल होते हुए, खजुराहो होकर महोबा, महोबा से कबरई और बांदा होकर, मौदहा,भरुआ, सुमेरपुर और हमीरपुर से होते हुए कानपुर-लखनऊ ट्रेन की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। उज्जैन में महाकालेश्वर से लेकर अयोध्या तक के लिए ट्रेन की मांग लंबे समय से चल रही है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे ट्रेन की यह डिमांड बहुप्रतीक्षित है। …(व्यवधान) माननीय मंत्री सही कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन इस कोने से उस कोने तक जाए। मेरा विशेष आग्रह है कि हमारे यहां से लोग और बेरोजगार नौजवानों को नौकरी या सरकारी काम के लिए राजधानी जाना पड़ता है। बसों से वहां जाने में बहुत समय लगता है और बहुत पैसा खर्च होता है। अगर यह ट्रेन चलेगी, तो रेलवे को फायदा होगा। मेरा मध्य प्रदेश बॉर्डर का क्षेत्र है। इससे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी जुड़ जाएगी और मेरे संसदीय क्षेत्र को यह ट्रेन भी मिल जाएगी। मैं आपके माध्यम से इस ट्रेन के लिए निवेदन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री महेश साहू – उपस्थित नहीं।

भानुप्रताप जी।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदय, हमारा लोक सभा क्षेत्र जालौन, गरौठा और भोगनीपुर बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। उरई में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित है जो किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ से संबद्ध है। वर्ष 2013 में यह राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ था। उस समय उसमें सारी फैकल्टीज थीं। जब यह चालू किया गया, उसी समय न्यूरोलॉजी विभाग को उरई से हटा कर दूसरी जगह कर दिया गया था। उसके कारण बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी वहां गरीबों का इलाज नहीं हो पाता है। वहां दुर्घटनाएं होती हैं, ब्रेन हेमरेज

की शिकायतें प्राप्त होती हैं, लेकिन लोगों का इलाज नहीं हो पाता है । वहां इलाज नहीं होने के अभाव में व्यक्ति कभी कानपुर, झांसी तो कभी ग्वालियर जाते हैं और एम्स, दिल्ली में भी आकर गरीब व्यक्ति भटकते हैं। हमारे यहां के मेडिकल कॉलेज में एमर्जेंसी सर्जरी सर्विस भी नहीं की जाती है। कभी किसी का पैर टूट जाए या कुछ भी हो जाए तो उनकी सर्जरी नहीं होती है, उन्हें रेफर कर दिया जाता है । वहां हमारा बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वहां सारी सुविधाएं नहीं हैं । मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि हमारे यहां से न्यूरोलॉजी विभाग दूसरी जगह कर दिया गया है, वहां यह विभाग खोला जाए । इसके साथ-साथ एमर्जेंसी में वहां सर्जरी नहीं होती है, वहां इसकी व्यवस्था की जाए, जिससे गरीब लोग वहां इलाज करा सकें और उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री हिबी इडन जी, उपस्थित नहीं।

श्री धर्मेन्द्र कश्यप (आंवला): अध्यक्ष जी, मेरा लोक सभा क्षेत्र आंवला, जो जनपद बरेली और बदायूं में आता है, आपके माध्यम से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र की विधान सभा फरीदपुर में एक रेलवे लाइन है, जो दिल्ली से लखनऊ को जोड़ती है । वहां एक फाटक संख्या 352 (सी) है। फरीदपुर की आबादी लगभग एक लाख है और करीब 50 गांवों के लोग वहां से गुजरते हैं। फाटक बंद होने से दो किलोमीटर लम्बी लाइन लग जाती है और कई बार इस वजह से मरीजों की मृत्यु हो गई है। छात्रों को परेशानी होती है और लोग वहां से निकलते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि फाटक संख्या 352 (सी) जो पिताम्बरपुर रेलवे फाटक है, उसके ऊपर ऊपरगामी पुल स्वीकृत करने की कृपा करें, ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके।

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, online platforms like, Facebook, Twitter, and WhatsApp had started with a noble intention of building communities, reaching out to long lost families and friends. Now-a-days, they are left unchecked and unmonitored. People are leaving these platforms

because of the pile of abuses, insults and violent content which are heaped upon them. Women are the worst sufferers because they have been attacked viciously and no one is spared. Politicians, journalists, celebrities, sportsmen and hon. Members of Parliament as well are being attacked.

People are attacked online sometimes for their religion or sexual belief or their caste. Even though it is so violent, it inspires people to emulate it in their real lives. So seeing what is being shared on WhatsApp helps or inspires people to emulate it even though it is wrong.

So, I would request the Parliament of India to pass a law penalising online media companies if they do not remove hateful or misogynistic or violent content from their platforms within a span of 24 hours. Such a law has been passed by the Governments of France and Germany. It is our Parliament's responsibility and the Government's responsibility to protect every Indian person, especially, youth, women and minority online as well as on the streets of our country.

माननीय अध्यक्ष : श्री दुष्यंत सिंह और डॉ. निशिकांत दुबे को श्री गौरव गोगोई द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): महोदय, मेरे गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र में तूर दाल और रेड ग्राम दाल का ज्यादा उत्पादन किया जाता है। यहां 300 से 400 दाल मिलें भी हैं। दालों के रेट घटने के बाद दाल इंडस्ट्री बंद हो गई है। हमारी प्रार्थना है कि दाल इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए स्पेशल हब एमएसएमई स्कीम में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के तौर पर डिक्लेयर किया जाए। एपीएमसी सेस भी कम करने की जरूरत है। तमिलनाडु में लैदर इंडस्ट्री को भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बनाया जाए। भावांतर भुगतान योजना जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी ने चलाई थी, वह बहुत सफल योजना हुई।

उसी तरह हमारे दाल रेट के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू करने की प्रार्थना आपके द्वारा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को करना चाहते हैं।

HON. SPEAKER: Shri K. Navas Kani – Not present.

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Sir, the Ministry of Civil Aviation in association with the Private Air Station had announced an air service from Hosur to Chennai under UDAN Scheme. But due to certain technical reasons, this plan did not materialise. I know very well that the Ministry of Civil Aviation does not invest in private air stations. But as a special case and in the interest of public, on trial basis the Ministry of Civil Aviation can invest in facilities like buying navigation aids, night landing facilities, construction of compound wall, etc. They had started this process but because of technical reasons, they could not complete the process.

Now for reaching Krishnagiri constituency, Bengaluru is the nearest station.

But though the distance is just 100 kilometres due to heavy traffic congestion, even during normal times it takes four to five hours to reach Bengaluru. So, I would like to request the hon. Minister to take positive steps to establish an airport at Hosur for both civil and cargo services.

माननीय अध्यक्ष : श्री बी. मणिक्कम टैगोर - उपस्थित नहीं।

श्री शंकर लालवानी - उपस्थित नहीं।

श्री अजय कुमार - उपस्थित नहीं।

श्री ए. राजा - उपस्थित नहीं।

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कुछ शिकायतों के बारे में सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कठिन समय का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिना किसी सहायक के अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। इसके बदले में उन्हें मिलने वाला वेतन सिर्फ 6,000 रुपये प्रति माह है। यह वेतन उनके परिवारों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने 'दिवाली उपहार' के रूप में वृद्धि का वादा किया था, जिसे 1 अक्टूबर, 2018 से लागू किया जाना था। हालांकि, इस तरह की वृद्धि का भुगतान श्रमिकों को नहीं किया गया है, जबकि कुछ श्रमिकों ने अपना वेतन भी प्राप्त नहीं किया है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने श्रमिकों के लिए 1,500 रुपये, मिनी श्रमिकों के लिए 1,250 रुपये और सहायकों के लिए 750 रुपये की वृद्धि की घोषणा की थी, लेकिन यह बजट में शामिल नहीं था। उन्हें पेंशन और स्थायी नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं बदला।

वे श्रमिकों को लागू करने के लिए न्यूनतम मज़दूरी और पेंशन की मांग कर रहे हैं, गैर-आईसीडीएस अतिरिक्त काम पर प्रतिबंध, मिनी श्रमिकों को पूर्ण भुगतान, मिनी केन्द्रों को पूर्ण केन्द्रों में अपग्रेड करना, पदोन्नति में आयु सीमा को हटाना आदि।

महोदय, 43 वर्षों के बाद, इस योजना के साथ-साथ आंगनवाड़ी सहायकों को नियमित नहीं किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत काम करने वाले कर्मचारियों और सहायकों को स्थायी दर्जा और न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मिलना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से अपने इन पॉइंट्स के बारे में मंत्री जी को बताना चाहता हूं।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कृष्ण पाल सिंह उर्फ डॉ. के.पी. यादव - उपस्थित नहीं।

श्री महाबली सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री संतोख सिंह चौधरी - उपस्थित नहीं।

श्री राजमोहन उन्नीथन - उपस्थित नहीं।

श्री सुब्रत पाठक - उपस्थित नहीं।

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा - उपस्थित नहीं।

अब सब माननीय सदस्य सिर्फ एक मिनट में अपनी बात रखेंगे।

DR. MAHENDRABHAI KALUBHAI MUNJAPARA (SURENDRANAGAR): Sir, thank you for giving me this opportunity to raise a matter during 'Zero Hour.' I would like raise a matter regarding restarting of higher education and promoting skill development and employment opportunities for De-Notified Tribes and Notified Tribes on the lines of the recommendations of the Idate Commission.

Sir, in India 800 communities are classified as DNT and NT. They were known as habitual crime tribes and tribes without any address respectively. Both these tribes and some other sub-caste of these tribes belong to the Kodi samaj, for example, the Tadapda kodi, Gedia kodi, Thako, Thakoda etc. Their social and educational conditions are not good even after 72 years of Independence.

Our beloved hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi believes in *sabka saath, sabka bikash.* He appointed a Commission under the Chairmanship of Shri Bhikhu Ramji Idate. The Commission has already submitted its report last year to the Government of India. So, I would like to request the Minister of

Social Justice and Empowerment, through you, to implement the recommendations of the Idate Commission and restart reservation for DNT and NT for progress of these tribes.

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Sir, this is regarding widening and strengthening of the existing National Highway No. 31 and conversion from two lane to four lanes on kilometre 1013.000 to kilometre 1040.300 of Nalbari to Bijni, section of national highway 31 in the State of Assam in the East-West corridor under Phase II of NHDP, contract package EW 2/AS 07.

महोदय, यह सिर्फ 27 किलोमीटर का काम है। वर्ष 2005 से यह काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है।

ढोला सदिया का ब्रिज डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार ने शुरू किया था और वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। यह बहुत अच्छी बात है। 14 साल से यह काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि पाथसाला ब्रिज और कल्वर्ट ब्रिज जो अभी तक पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुए हैं, वह 27 किलोमीटर का रास्ता जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, नैशनल हाईवे 37 ओल्ड कृष्णई गोलपाड़ा जिला एक बहुत ही इम्पॉर्टेन्ट रास्ता है, यह मेघालय भी जाता है। यह दक्षिण पार का बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है, लेकिन एक साल से बेली ब्रिज जो सिर्फ 3.5 मीटर का है, ऐसे ही चल रहा है। वहां भूमि अधिग्रहण की भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बावजूद यह काम शुरू नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द यह काम करे। मैं यह भी मांग करता हूं कि हमारे स्टेट का स्टेट हाईवे नंबर 2 है, वह एग्रीकल्चरल एरिया है, उसे नैशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए।

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise an important issue during Zero Hour regarding opening of Kendriya Vidyalayas in my Nagarkurnool Parliamentary Constitutency.

Nagarkurnool is one of the very backward regions in the country. The newly created districts, namely, Nagarkurnool, Jogulamba Gadwal and Waranparthy fall under my Nagarkurnool Parliamentary Constituency. The literacy rate of this place is very low. In this context, I am constrained to bring to the kind notice of the Union Minister for Human Resource Development that not a single Kendriya Vidyalaya School or any other educational institution has been established there till now. As a result of this, students of this region are forced to study in private schools which are very expensive for the poor parents of this region as most of them are farmers, workers, labourers, etc. So, opening of one Kendriya Vidyalaya School in each district of Nagarkurnool, Jogulamba Gadwal and Waranparthy is the need of the hour.

Keeping in view the present position, I would, therefore, earnestly request the Union Minister for HRD that one Kendriya Vidyalaya each at the newly created districts, Nagarkurnool, Jogulamba Gadwal and Waranparthy in my Nagarkurnool Parliamentary Constituency may kindly be sanctioned in the interest of the students.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आप जीरो ऑवर में जितना इंट्रेस्ट लेते हैं, इतना मैंने इतने वर्षों में पहले कभी नहीं देखा। आप इसके लिए पूरे सदन की ओर से बधाई के पात्र हैं। मैं जीरो ऑवर में लगातार नोटिस दे रहा था। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर मैं दो-तीन बार प्राइवेट मेंबर बिल भी ला चुका हूं। हम लोग बचपन से जिस विचारधारा से आए हैं, उसमें हमेशा कहते रहे:

"जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है।"

दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। यह किसकी गलतियों के कारण हुआ, पूरे देश को पता है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। भारत के गृह मंत्री लगातार यह बोल रहे हैं कि धारा 370 टेम्परेरी है। यह कॉंस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है जिसको भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लगातार बोल रहे हैं। इस देश में दो तरह के नागरिक हैं। एक कश्मीर ही है जहां दो नागरिकताएं हैं। 35ए बिना किसी संवैधानिक व्यवस्था के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 370 की आड़ लेकर कश्मीर का नागरिक अलग और देश का नागरिक अलग कर दिया गया है। भारत के इतिहास में इस तरह की भी बातें होती हैं, यह अपनेआप में एक आश्चर्यजनक बात है। उसी का असर है कि आप यह समझें कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ने हमारे जिस भू-भाग पर कब्जा कर रखा है, वहां 24 सीटें रिजर्वड हैं। 24 विधान सभा की सीटें रिजर्व हैं, लेकिन आपको और पूरे सदन को आश्चर्य होगा कि लोक सभा की एक भी सीट उसके ऊपर नहीं है।

ऐसा कहीं नहीं है। देश में विधान सभा क्षेत्र का रिप्रज़ेंटेटिव कोई न कोई लोक सभा का सदस्य होता है। लेकिन हमने अपनी लोक सभा में, अपने कांस्टीट्यूशन में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की है, इसी कारण से मेरा लगातार बिल आता रहा है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि समय आ गया है, सरकार यहां बैठी है और स्पीकर साहब स्वयं इन चीजों के बड़े जानकार हैं। आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि सबसे पहले 370 एक टेम्परेरी धारा है, इसको हटाना चाहिए। दूसरा, 35ए को खत्म करके देश में एक समान नागरिक व्यवस्था करनी

चाहिए, क्योंकि सभी नागरिक समान हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से आकर भी लोग जम्मू-कश्मीर में बसे हुए हैं, जिनको नागरिकता नहीं मिल रही है। पाक ऑक्यूपाइड की जो 24 सीट्स खाली हैं, उसको भरना चाहिए। हमारे संविधान में 552 तक लोक सभा के सदस्य हो सकते हैं, इसलिए सरकार डीलिमिटेशन के माध्यम से तय करे। लोक सभा की एक-दो सीट्स बढ़ानी चाहिए। इससे पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीर हमारा था, है और रहेगा। इस पर कोई भी कम्प्रोमाइज़ भारत सरकार नहीं करेगी। जय हिन्द, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुनील कुमार सिंह, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री दुष्यंत सिंह और श्री राजेन्द्र अग्रवाल को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। यद्यपि यह शून्य काल है, लेकिन हम सभी सांसद आपको शून्य काल के लिए सौ नंबर दे रहे हैं। यह बहुत अच्छी परम्परा है, जिसमें हमें मौका मिल रहा है।

महोदय, मैं आगरा की एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या के बारे में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा- गिरता हुआ भूजल स्तर और यमुना में पानी न होना। यह पेयजल संकट भी है, पर्यटन के लिए नुकसानदायक भी है और ताजमहल, जैसा मैंने पढ़ा है उसकी बुनियाद लकड़ी की है, जिसे नमी की आवश्यकता होती है और इसीलिए वह यमुना किनारे बनाया गया था। अब ताजमहल का किनारा पानी से दूर होता जा रहा है। ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा है कि इससे ताजमहल को खतरा होगा। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक बैराज बनाना बहुत जरूरी है। एक बैराज, इंटरनेशनल स्टेडियम और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा के लोगों की ये प्रमुख मांगें हैं। मैं जब बहुत छोटा था तब से बैराज की मांग हो रही है। कभी डाउन स्ट्रीम, कभी अप स्ट्रीम, कभी सर्वे और कभी डीपीआर हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हथिनीकुंड से ज्यादा पानी छोड़ा जाना चाहिए। यमुना का बृज से बड़ा गहरा संबंध है, कन्हैया जी से बहुत गहरा संबंध है, उनकी जल क्रीड़ाएं हुआ करती थीं। लेकिन आज यमुना में न के बराबर पानी है। पीने के लिए गंगा जल आ रहा है। अगर

वहां बैराज बन जाएगा तो भूजल बढ़ जाएगा और ताजमहल को जो संभावित खतरा है, वह दूर हो जाएगा और पेयजल संकट भी दूर हो जाएगा। संयोग से आगरा के जितने ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक को छोड़कर सभी ओवर एक्सप्लोइटेड ब्लॉक हो गए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयोग से यहां जल शक्ति मंत्री बैठे हुए हैं। मैंने देखा है, लेकिन पढ़कर डेढ़ महीने में वह टर्म नहीं बोल सकते हैं। मैं भी उत्तर प्रदेश में अंडरग्राउण्ड वॉटर मिनिस्टर था। यह तब तक नहीं होगा, जब तक आप उस विभाग से इनवॉल्व नहीं होते हैं। मैं केन्द्र सरकार से यमुना में बैराज के लिए निवेदन करना चाहता हूं। उसी से ग्रीन आगरा, क्लीन आगरा और नवीन आगरा हो पाएगा।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को प्रो. एस. पी. सिंह बघेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रमेश चन्द्र माझी (नबरंगपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, वर्ष 2009 में विजयवाड़ा-रांची कॉरिडोर शुरू हुआ था। यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से शुरू होकर ओडिशा होते हुए झारखण्ड में रांची तक गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र नबरंगपुर के मलकानगिरि जिले में एक ब्रिज कम्पलीट हो चुका है, लेकिन अभी तक तीन सौ मीटर का रास्ता नहीं खोल पा रहे हैं। इसको एक साल हो गया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए भी यह रोड खुलना चाहिए। वहां की पब्लिक की बार-बार डिमांड के बाद भी यह रोड कम्पलीट नहीं हो रहा है। मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाए ताकि वहां की पब्लिक की डिमांड फुलफिल हो पाए।

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक सांस्कृतिक विषय उठाना चाहता हूं। 'करमा प्राकृतिक प्रोजेक्ट' आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व और त्यौहार है। इसे झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, असम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों सहित देश के तमाम हिस्सों, जहां आदिवासी समुदाय है, वहां धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर पवित्र करम के पेड़ की डाली को काटकर पूजन स्थल पर स्थापित कर विधिवत पूजा-अर्चना

की जाती है । वृक्षों के संरक्षण के प्रति आदिवासी समाज का समर्पण बेमिसाल है । प्रकृति को बरकरार रखने के प्रति इनकी निष्ठा अद्भुत है ।

माननीय अध्यक्ष जी, आदिवासी भारत का एकमात्र ऐसा समुदाय है, जो प्रकृति की गोद में रहते हैं और उसकी पूजा करते हैं । पर्यावरण पर मंडराते वैश्विक संकट को मद्देनजर रखते हुए इस समुदाय के रीति-रिवाजों और पर्व-त्यौहारों का संरक्षण और संवर्धन करना आवश्यक है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करना चाहूंगा कि आदिवासियों के करमा पर्व को राष्ट्रीय त्यौहारों की सूची में शामिल किया जाए और इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की अधिसूचना जारी की जाए ।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. निशिकांत दुबे को श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर से होकर गुजरता है । पूर्वाचंल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ने के लिए पूर्वाचंल एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक मार्ग बनाया जा रहा है । इस लिंक मार्ग को स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जा रहा है । मेरे क्षेत्र के भिआउ ब्लॉक के अंतर्गत नत्थूपुर खुर्द में भूमि अधिग्रहण हुआ है । वहां पर दलितों के ऐसे 11 परिवार हैं, जिनको उनकी भूमि से विस्थापित किया गया है ।

मान्यवर, उसमें एक अड़चन यह पैदा हुई है कि उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उस भूमि के मालिक कोई और लोग हैं, जिन्होंने इन दलितों के पूर्वजों को लाकर इस भूमि पर बसाया था । पुनर्वास एक्ट के हिसाब के अगर किसी भी व्यक्ति को किसी की भूमि से हटाया जाता है, तो उसको पहले एक जगह पर जमीन लेकर और उस जमीन पर घर बनाकर जब तक नहीं दिया जाता है, तब तक इस एक्ट का पालन नहीं होता है ।

मान्यवर, मेरा आपसे यह निवेदन है कि ये 11 दलित परिवार पूरी तरह से विस्थापित हो जाएंगे और वे रोड पर आ जाएंगे। इनकी स्थिति को देखते हुए पुनर्वास एक्ट के हिसाब से इनको जमीन लेकर और उस पर आवास बनाकर दिया जाए, तभी उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप माननीय मंत्री जी को जरूर निर्देशित करें कि उनको अपने अधिकारों के अनुसार और पुनर्वास एक्ट के हिसाब से अपनी जमीन और घर मिलने का काम हो सके।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने ही ओड़िशा में फैनी चक्रवात आया था। उससे काफी नुकसान भी हुआ था। The Government of Odisha has requested the Union Government to sanction at least Rs. 5 lakh for building each house affected by the cyclone from *Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)* with one-time waiver of permanent wait list norm for completely or partially damaged houses in the area affected by the severe cyclone Fani. The State Government has also requested that the sharing ratio of funds between Centre and States should be 90:10 instead of 60:40 for construction of the said houses in such areas under the said scheme. यह जो कोस्टल एरिया है, उसके हिसाब से। However, there has been no response from the Government relating to this. Here I would like to mention that Odisha has been repeatedly affected by cyclones and, therefore, we have to build resilient houses. इस हिसाब से ओड़िशा सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया है कि assistance for each house may be increased to Rs. 2.5 lakh in Cyclone Fani affected areas. CBRI has prepared three types of houses for cyclone-resilient houses so that they can withstand severe cyclones.

पिछले 10 वर्षों में तीन से चार बार साइक्लोन आया है। जो आईएवाई के तहत घर दिए जाते हैं, वे सारे ध्वस्त हो जाते हैं या आंशिक रूप से डैमेज्ड हो जाते हैं। अगर हम एक साथ ढाई लाख रुपये रेज़िलिएंट हाउस बनाने के लिए देंगे, तो उस हिसाब से वह गंभीर चक्रवात में रिजिस्ट कर सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह गुजारिश करना चाहता हूं।

श्री विजय बघेल (दुर्ग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दुर्ग लोक सभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 है, जिसमें दुर्ग बाइपास रोड पर स्थित टोल प्लाजा द्वारा पिछले 19 वर्षों से दोपहिया वाहन और कृषि कार्यों में आने वाले वाहनों पर टोल राशि ली जाती है। इसके लिए अनेक बार जनआंदोलन भी हुए हैं, उनका कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सन् 2000 में करार हुआ था। मगर माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी ने पिछले दिनों यह कहा था कि बीओटी के माध्यम से जो सड़कें बनेंगी, उसमें दोपहिया वाहन और कृषि कार्यों में उपयोग आने वाले वाहनों पर टोल की राशि में छूट रहेगी।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वहाँ भी दुपहिया वाहन और कृषि कार्य में आने वाले वाहनों पर छूट दी जाए। उसके लिए आदेशित करें, यह मैं माननीय सड़क मंत्री जी से निवेदन करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. बी.वी. सत्यवती। मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आपको कल भी मौका दे दिया था, लेकिन आप महिला सांसद हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं।

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Hon. Speaker, Sir, I am very much thankful to you for giving me this opportunity to speak on a very important issue.

Sir, we have the Vizag Steel Plant, which is the only steel plant built on people's demands and sacrifices. *"Visakha Ukku, Andhrula Hakku"*. So many agitations took place at that time. It is the only plant of its kind, and more than one lakh people are getting employment directly or indirectly from it.

Sir, 'Vizag Steel' is the only public sector undertaking with its corporate office left for the residual Andhra Pradesh. The most backward area of my Constituency, North Andhra developed mainly due to this gigantic plant. But the problem is that 'Vizag Steel' is being operated without iron ore captive mines since its inception whereas other public sector steel plants under SAIL are having their own mines. So, due to lack of iron ore captive mines, 'Vizag Steel' is bearing a burden of around Rs. 1,000 crore per year.

So, I would request the hon. Minister of Steel, Government of India to please talk to the National Mineral Development Corporation, which is supplying iron ore to Vizag Steel Plant since its inception, to give it at a rationalised price – production cost plus profit margin – on long-term basis, at least, for 10 years or till we get our own mines.

Thank you so much, Sir.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, आधार बहुत आवश्यक है, पादर्शिता की दृष्टि से भी और डिलिवरी की दृष्टि से भी, परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर आधार के कार्ड को बनवाने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कोई छोटा-मोटा संशोधन भी करना हो, कोई जन्म तिथि बदलवानी हो, पिता का नाम बदलवाना हो तो बड़ी-बड़ी लम्बी लाइनें लग जाती हैं। प्राय: सर्वर खराब हो जाता है। इसके कारण तीन-तीन महीने तक इंतजार करना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि आधार कार्ड को बनवाने में दिक्कत न हो, क्योंकि आधार आज सामान्य व्यक्ति के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। मेरी आपसे यह प्रार्थना है।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 29 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.48 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, July 29, 2019/7 Shravana, 1941 (Saka)